खण्ड-231, अंक-5
मंगलवार, 8 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(29 मई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 231 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४०५–४०६
प्रश्नोत्तर	४०६–४४३
प्रश्नों के कथित असत्य उत्तर पर आपत्ति	४४३
२६ मई, १९६२ के "नेशनल हेराल्ड" में श्रीमती सुशीला रोहतगी के नाम के आगे 'स्वायत्त शासन मंत्री' लिखने पर आपत्ति	४४३–४४४
सूचना निदेशालय की डायरी की मांग	४४४
सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	४४४
मुख्य मंत्री द्वारा २६ मई, १९६२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ व २ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के कथित गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४४४–४४५
सोशलिस्ट पार्टी की मांगों के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	४४५–४४७
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	४४७–४४८
बद्रीनाथ और गंगोत्री तीर्थ मार्ग पर चलने वाली बसों के आपरेटर्स द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४४८–४५१
श्री उग्रसेन के निलम्बन के संबंध में दी गयी सूचना पर आपत्ति	४५१
गोरखपुर जिले के नौतनवा उपनगर में बस विस्फोट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४५१–४५५
रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट तथा यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना	४५५
श्री उग्रसेन के निलम्बन के शेष समय की समाप्ति का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४५६–४५७
प्रतिनिहित विधायन समिति के लिये विधान परिषद् के ४ सदस्यों का मनोनयन (स्वीकृत)	४५७
१९६२–६३ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२–गांव सभायें और पंचायतें (जारी)	४५८–४९८
समितियों के नाम-वापसी तथा चुनाव की तिथि में परिवर्तन करने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	४९९
१९६२–६३ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १२–गांव सभायें और पंचायतें (स्वीकृत)	४९९–५०६
नत्थियां	५०७–५२३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २९ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६०

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैवरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरसाजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० गाइल, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनारायसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथ बहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेलावन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी ,श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथशरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)

पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पान्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, खो
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह,श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा,श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणत', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी , श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरी दत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

विधान परिषद् के निम्नलिखित सदस्य भी उपस्थित थे---
श्री हर गोविन्द सिंह,
श्री राम नारायण पांडेय ।

प्रश्नोत्तर
मंगलवार, २९ मई, १९६२
तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

आम चुनाव में काम करने वाले जिला परिषद् अध्यापकों का यात्रा भत्ता

*१---**श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत आम चुनाव में काम करने वाले प्रदेश के किन-किन अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों को यात्रा भत्ता मार्च सन् १९६२ तक प्रदान कर दिया गया है ?

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह)---तीसरे आम निर्वाचन मार्च, सन् १९६२ के प्रथम सप्ताह में समाप्त हुये । मार्च के महीने में भुगतान केवल १५ मार्च, १९६२ तक ही किये जाने थे । अतः इतने कम समय में यात्रा-भत्ता के बिलों का भुगतान करना संभव नहीं था, क्योंकि भुगतान करने से पहले बिलों की जांच करने तथा वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा करने में समय लगता है ।

श्री रामसुन्दर---शायद माननीय मंत्री जी ने १५ मार्च की जगह ४५ मार्च कहा है । क्या सही है, अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं ।

श्री चन्द्रसिंह---मैंने १५ मार्च, १९६२ पढ़ा है, ४५ नहीं ।

श्री रामसुन्दर---क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक कौन-कौन ऐसे जिले हैं कि जिनका भुगतान किया गया है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---यह तफसील तो इस समय नहीं है । यदि आप पूछें तो बतला दूंगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछला अनुभव बतलाता है कि मास्टरों को यात्रिक भत्ता भुगतान होने में देर हो जाती है और ६ महीने का समय निकलने के बाद वह प्रि-आडिट में चला जाता है जिसमें और देर लगती है । तो क्या वे कोई ऐसा कदम उठाने की कृपा करेंगे कि जिससे भुगतान शीघ्र ही हो जाया करे ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे तफसील नहीं मालूम है, लेकिन अगर समय के अंदर बिल आ जाता है तो उसका शीघ्र ही भुगतान होता है। यह जरूरी नहीं है कि उसे प्रि-आडिट के लिये भेजा जाय।

श्री रामसुन्दर---यह एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है कि जिससे बहुत से लोग संबंधित हैं। सारे प्रदेश में जो आम चुनाव हुए उसमें अंतरिम जिला परिषद् के कर्मचारियों ने भाग लिया, वे उसमें लगाये गये और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि १५ मार्च तक भुगतान करने का नियम था। तो १५ मार्च के बाद आज मई का महीना बीत रहा है और मैंने सवाल किया है कि आपके पास कोई ऐसी तालिका है कि आपने कितने जिलों के अध्यापकों का भुगतान कर दिया है। उसका भी आपने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मैं श्रीमन्, इसलिये फिर प्रश्न करूंगा कि क्या सरकार आज बतलाने में समर्थ है कि ५४ जिलों में से कितने जिलों के अध्यापकों को मार्ग व्यय प्रदान किया जा चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर---अगर यह पूछा गया होता कि आज तक कितना भत्ता दिया गया है तो मैं बतला सकता था, लेकिन सवाल दूसरा ही पूछा गया है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---इस बात को देखते हुए कि चुनाव में जो अंतरिम जिला परिषद् के कर्मचारी काम करते हैं उनको भत्ता नहीं दिया जाता, यह सरकार क्या विचार कर रही है कि उनको भत्ता दिया जाय और वह कब तक दिया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---भत्ता तो कायदे से सब को दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि जब उनका बिल जाता है तो उसकी जांच होती है और उसके बाद भत्ता दिया जाता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि १९५७ के आम चुनाव का भी भत्ता (यात्रिक) अभी तक इन अध्यापकों को नहीं मिला है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---इस वर्ष आमतौर से अध्यापक उन्हीं जगहों पर लगाये गये थे जहां से उनको दूसरी जगह जाना नहीं था। ऐसे बहुत कम अध्यापक हैं कि जो कहीं गये और उनको इस वर्ष भत्ता देना है। तो इस वर्ष यह विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अलीजहीर---पहली मार्च तक चुनाव रहे। उस वक्त तक कोई बिल नहीं जा सकता था और फाइनेंस डिपार्टमेंट के यह आर्डर्स हैं कि १५ मार्च के बाद उस सन् में कोई पेमेंट न किया जाय। इसलिये हिसाब-किताब की दिक्कत होती है। वह भत्ता मार्च में, अप्रैल में, मई में, बराबर जांच-पड़ताल के बाद दिया जाता होगा, और उसमें विलम्ब होने की कोई खास वजह नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, कल आपने कहा था कि मंत्रिगण इस तरह का स्पेकुलेटिव उत्तर न दिया करें, मगर आज फिर उसी तरह का उत्तर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---प्रश्न पूछा गया था मार्च, १९६२ तक के बारे में, अब प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि मार्च, १९६२ के बाद क्यों नहीं दिया गया। वे कहते हैं कि दिया जा रहा है।

ऋषिकेश-देवप्रयाग-श्रीनगर मार्ग पर ट्रक दुर्घटना

*२---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तारीख २९ अप्रैल, १९६२ को बद्रीनाथ रोड पर ऋषीकेश से ३६ मील दूरी पर ट्रक के गंगा जी में गिरने से कोई दुर्घटना हुई ? यदि हां, तो वह दुर्घटना क्या थी और उसमें कितने जान माल की हानि हुई ?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल)---ट्रक संख्या यू० पी० एस० ४१४१ ऋषिकेश से देवप्रयाग श्रीनगर मार्ग पर जाते हुए करीब साढ़े तीन बजे सायंकाल बछेलीखाल स्थान के निकट पत्थरों से टकराकर खड्ड में गिर गई जिसमें ट्रक ड्राइवर तथा एक पुलिस के सिपाही की मृत्यु हो गई और करीब ७४ मन आटा जो ट्रक पर लदा हुआ था, वह भी नष्ट हो गया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस ट्रक में पुलिसमैन और ड्राइवर के अतिरिक्त और भी लोग थे, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे कहां गये ?

श्री गनेशीलाल---एक क्लीनर भी था उनके अलावा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---जो पुलिस मैन की मृत्यु हो गयी है, सरकार उसका कोई मुआवजा देने के प्रश्न पर क्या विचार कर रही है और उसके लिये उसकी तरफ से क्या कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)---सरकार के मुआवजा देने का सवाल नहीं है ।

कृषि उत्पादन मंडी विधेयक लाने पर विचार तथा जूट की कीमत में गिरावट

*३---**श्री गेंदासिंह**---क्या कृषि मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि कृषि पदार्थों का उचित मूल्य दिलाने के लिये बाजारों को नियमित करने की योजना आयोग के विचार को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराजसिंह)---इसी दृष्टि से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक (U.P. Agricultural produce Market Bill) तैयार किया जा रहा है ।

*४---**श्री गेंदासिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जूट की गिरती हुयी कीमत को रोकने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री शिवराजसिंह---सहकारी समितियों द्वारा जूट के क्रय-विक्रय का प्रबन्ध हो रहा है । अखिल भारतीय स्तर पर जूट रेशे का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर भारत सरकार भी विचार कर ही है ।

*५---**श्री गेंदासिंह**---क्या सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि जूट की कीमत पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गिर गई है ? यदि हां, तो दोनों वर्षों का भाव क्या है ?

श्री शिवराजसिंह---जी हां ।

१९६०-६१	..	..	२७ रु० से ६० रु० प्रतिमन
१९६१-६२	..	..	१६ रु० से ४० रु० प्रतिमन

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह विधेयक कब से बन रहा ह और कब तक बन कर इस सदन में आने की उम्मीद है ।

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)---यह बहुत दिनों से बन रहा है और बहुत जल्द यहां आने की उम्मीद है ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही कि सेकिंड फाइव इयर प्लान में प्लानिंग कमीशन की यह इच्छा थी कि इस तरह का विधेयक कानून की शक्ल में बन जाना चाहिये और दूसरे सूबों में इसी प्रकार का कानून बन भी गया है । यदि हां, तो यहां इतने विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका जिक्र है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन केंद्रीय सरकार ने कई बार स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिये लिखा है और प्लानिंग कमीशन की भी राय ऐसी है । तो वह तैयार हो रहा है और वह जल्दी इस असेम्बली आये, इसकी कोशिश हो रही है ।

श्री गेंदासिंह—जूट की कीमत जो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष काफी गिरी है और इस प्रश्न पर भी विचार होता रहा है कि कोआपरेटिव बिभाग द्वारा कोआपरेटिव बेसिस पर इसकी बिक्री की व्यवस्था की जाय, तो सरकार क्या तुरन्त कोई ऐसी कार्यवाही कर रही है जिसमें कि उसकी कीमत न गिरने पाये ।

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, इस संबंध में सहकारी समितियां कायम की जा रही हैं ताकि मिडिलमेन्स प्राफिट जो लोग उठा रहे हैं वह न उठा सकें और जिस भाव पर मिलें जूट खरीदती हैं उसी भाव पर किसानों से खरीदा जा सके । इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार को यह सिफारिश की गयी है सेंट्रल जूट कमेटी की ओर से और प्रदेश की सरकार की ओर से कि कोई फ्लोर प्राइस भी इसकी नियत कर दी जाय ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जूट के भाव के गिरने के कारण क्या हैं ?

श्री शिवराजसिंह—जूट एक अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का इस पर असर पड़ता है । इसके अतिरिक्त जूट की खरीदारी में मिलों की मोनोपोली है और उसको तोड़ने की नीयत से ही यह सहकारी समितियां कायम की गयी हैं । जब जूट की पैदावार बढ़ जाती है उस हालत में जूट के दाम गिर जाया करते हैं ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जूट की कीमत गिरने का मुख्य कारण यह है कि जूट हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट किया जाता था अमेरिका और इंग्लैण्ड को और वहां उन्होंने उसके आल्टरनेट पदार्थ तैयार कर लिये जिसकी वजह से जूट के माल की खपत कम हो गयी ?

श्री शिवराजसिंह—इस तरह की कोई जानकारी सरकार को नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय कृषि मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भाव काफी गिर गया है और मैंने जो सूचना दी है उसको सूचना मानकर भारत सरकार से इस बारे में पत्र-व्यवहार करेंगे और सिफारिश करेंगे कि दूसरे मुल्कों में जूट के बाजार की तलाश की जाय ?

श्री शिवराजसिंह—माननीय सदस्य महोदय के लिखने पर अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, यह मेरा काम तो नहीं है, लेकिन मैं सूचना दे देना चाहता हूं कि भारत सरकार जूट की व्यवस्था करने जा रही है । जूट की कीमत जो पिछले साल के मुकाबले में काफी गिर गयी है और अब कोआपरेटिव बेसिस पर खरीदारी का काम जारी होगा और कब तक जारी होगा, यह नहीं कहा जा सकता, तो सरकार इस संबंध में इस उद्योग की कुछ मदद करेगी ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इस समय यह कि गवर्नमेंट इस संबंध में कुछ अधिक नहीं कर सकेगी । कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से मार्केटिंग हो, आम तौर पर गवर्नमेंट इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है, सिवाय इसके कि मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी जाय वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का काम है । और कोई मदद हो सकती है या नहीं, वह माननीय गेंदा सिंह अगर सुझाव देंगे तो विचार करने में प्रसन्नता होगी ।

सरकार द्वारा मोटरों की खरीद

*६—**श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर), **श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा** (जिला सीतापुर) तथा **श्री नेकराम शर्मा**—क्या यह सही है कि स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा यू० पी० एम० ३५५५ नम्बर की मोटर खरीदी गई है ? यदि हां, तो यह मोटर नई है या सेकेंड हैंड और इसका मूल्य क्या दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—इस नम्बर की कोई मोटर नहीं खरीदी गई ।

*७—**श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा तथा श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि १० जून, १९६१ से लेकर २० अप्रैल, १९६२ तक सरकार ने कौन-कौन नई तथा सेकिंड हैन्ड मोटर खरीदी हैं तथा कितनी-कितनी की।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—१,१०,३३३ रु० ८२ नये पैसे की लागत की ९ नई मोटरें खरीदी हैं जिनका विवरण संलग्न है । सरकार द्वारा कोई सेकेंड हैन्ड मोटर नहीं खरीदी गई ।

(देखिये नत्थी 'क' आग पृष्ठ ५०७ पर)

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १,१०,३३३ रुपये की जो राज्य संपत्ति विभाग ने मोटरें खरीदीं वह किन किन महानुभावों को दी गयी हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—उत्तर प्रदेश सरकार में २१ मिनिस्टर साहबान हैं जिनमें से ९ के लिये गाड़ी खरीदी गई थीं और अब १० गाड़ियां और खरीदने का प्रपोजल है।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो गाड़ियां खरीदी गई हैं राज्य सरकार की तरफ से उसमें सदन के अध्यक्ष महोदय के लिये भी कोई गाड़ी खरीदी गई है ?

श्री राममूर्ति—विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के अध्यक्ष, दोनों के लिये गाड़ी सरकार की तरफ से दी जाती है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

बाढ़ पीड़ित शिविर दुवारी बनाने का ठेका

*१—**श्री रामसुन्दर**—क्या सिंचाई मंत्री ६ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२ और १४३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि दुवारी, जिला आजमगढ़ बाढ़ पीड़ित शिविर बनाने का ठेका किन-किन ठेकेदारों को कितने-कितने पये पर कब-कब दिया गया था ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—प्रिंसिपल, जे० एस० स्कूल दुवारी को २०१८.९० रु० का ठेका २१-८-५६ को तथा श्री जदूशाह को २०५३.४० रु० का ठेका २६-१०-५८ को दिया गया था ।

*२—**श्री रामसुन्दर**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ठेकेदारों को कितनी-कितनी बोरी सीमेंट, कितने-कितने मन लोहा, कितनी-कितनी हजार ईंटें एवं कितना-कितना रुपया कब-कब प्रदान किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—केवल श्री जादूशाह को ४० बोरी सीमेंट नवम्बर, १९५८ में तथा ८२ बोरी सीमेंट २६-१२-५८ को दी गई और अन्य सामग्री सीधे कार्य पर लगाई गई और इतनी सीमेंट का दाम काट कर उनको १,२१४ रु० ठेके के भुगतान में १७-३-५९ को प्रदान किया गया। प्रिंसिपल जे० एस० स्कूल दुवारी को इस ठेके के भुगतान में ९२६ रु० २०-१२-५६ को तथा ४४२ रु० २९-३-५८ को प्रदान किया गया था। सामग्री सब सीधे कार्य पर लगाई गई। इसके अलावा उनको २४४.०६ रु० २१-११-५६ को रोड़ा तुड़ाई, बालू सप्लाई व सीमेंट आदि की ढुलाई, लदाई व उतराई के लिये प्रदान किया गया।

*३—**श्री रामसुन्दर**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दरख्वास्त की जांच करने वाले परगनाधीश घोसी की रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इस संबंध में सूचना सदस्य महोदय को उनके अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ के उत्तर में दी जा चुकी है।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो सामान ठेकेदारों को दिये गये हैं उन सामानों के अतिरिक्त सरकार द्वारा और कौन-कौन से सामान इस काम के लिये दिये गये ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लिस्ट से सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, बता दीजिये।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—एक लाख ईंटा फर्स्ट क्लास, उसके बाद उसकी ढुलाई है। फिर १५० बोरी सीमेंट है और उसकी ढुलाई, फिर लोडिंग और अनलोडिंग उसके बाद लेबर रेट के पेमेंट्स जो हुये हैं जदुनाथ जी, प्रिंसियल साहब जे० एस० स्कूल को, फिर ब्रिक वर्क और सीमेंट कंक्रीट वर्क की चुनाई है, गारे की चुनाई, सीमेंट का प्लास्टर और लकड़ी की चौखट। फिर चूना कंक्रीट और सूखे ईंट की चुनाई फर्श में....

श्री अध्यक्ष—यह लिस्ट तो बहुत लम्बी मालूम होती है, यदि माननीय सदस्य कोई विशेष बात पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार द्वारा सरिया दिया गया या उसके लिये रुपया दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—सीमेंट कंक्रीट वर्क जो है वह सब पूरा दिया हुआ है।

श्री रामसुन्दर—भवन निर्माण के लिये सरकार द्वारा सरिया दी गई या सरिया खरीदने के लिये ठेकेदार को रुपया दिया गया ? अगर सरिया दी गई तो कितने टन और रुपया दिया गया तो कितना रुपया दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—सरिया दी गई थी; २१ टन।

श्री रामसुन्दर—यह किस ठेकेदार को दी गई ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—१०४५ रुपये प्रति टन के भाव की है और यह जे० एस० स्कूल के प्रिंसिपल को दी गई।

बुलन्दशहर जिले में नलकूपों का निर्माण

*४—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप व नहर में सिंचाई की नई गूलें बनाने की योजना थी, उसमें से कितने नलकूप व नई लें बन पाईं और न बन सकने के कारण क्या हैं ?

श्री राममूर्ति—जिला बुलन्दशहर में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः १४६ व ७२ नलकूपों का निर्माण निर्धारित किया गया था। इनमें से द्वितीय योजना के केवल ११ नलकूप बनने शेष हैं। इनके अभी तक न बनने का कारण यह है कि डिवीजनल प्लानिंग कमेटी द्वारा, इनके लिये चुनी गई, sites की स्वीकृति समय से प्राप्त न हो सकी थी। अब स्वीकृति प्राप्त हो गई है और यह आशा की जाती है कि अब नलकूप चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक बन जायेंगे। इस जिले में नहर में नई गूल के निर्माण की कोई योजना नहीं

गाजीपुर जिले में बाढ़ विभाग द्वारा नहर, बांध तथा रेगुलेटर का निर्माण

*५—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील का कितना रकबा सिंचित और कितना असिंचित है और सरकार उस असिंचित रकबे को सिंचित करने के लिये क्या उपाय कर रही है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—सैदपुर तहसील का सिंचित तथा असिंचित रकबा क्रमशः १,६२,५२० तथा ८२,४४६ एकड़ है। असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिये इस समय कोई योजना नहीं है क्योंकि उस क्षेत्र में ५०० फुट की गहराई तक उपयुक्त वाटर बीयरिंग स्ट्राटा (water bearing strata) नहीं है और इसके लिये ७०० फिट से लेकर १,००० फिट तक के गहरे नलकूप बनाने पड़ेंगे जिनमें अत्यधिक खर्च आयेगा।

*६—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में बाढ़ विभाग द्वारा तहसीलवार कौन-कौन से बांध व नहर तथा रेगुलेटर बनाये गये हैं और उनके मेन्टेनेन्स के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। गाजीपुर शहर में बनाये गये रेगुलेटर के रखरखाव की जिम्मेदारी वहां की नगरपालिका की है। इनके अतिरिक्त शेष रेगुलेटर, नहर तथा बांध का रख रखाव सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०८ पर)

*७—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में बेलहरी ताल, मगारी ताल तथा खरारी ताल से सिंचाई के लिये क्या-क्या योजना बनी थी और इस वक्त उसकी क्या दशा है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—इन तालों से सिंचाई के लिये कोई योजना सिंचाई बिभाग द्वारा नहीं बनाई गई थी।

श्री कमलासिंह यादव—५५० फीट और ७०० से १,००० फीट की गहराई तक के नलकूप बनाने में कितना खर्च पड़ेगा?

श्री अध्यक्ष—पड़ेगा या पड़ा है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—यों तो ३०० ये ३५० फीट तक के कुंए अच्छे काम करने वाले होते हैं। ३०० फीट के बजाय ६०० फीट का बनाने में कीमत २ गुनी न होकर ढाई और तीन गुनी हो जाती है।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—३०० से ३५० फीट तक के कुंए बनाने में कितना खर्चा हुआ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—८०,००० से १ लाख तक, बिजली और गूलें सब पूरी तरह से तैयार होने में।

श्री कमलासिंह यादव—सैदपुर में कितना एरिया ऐसा है वहां ५०० फीट के लेविल पर स्ट्रेटा मिलता है और जहां ५०० से ७०० तक मिलता है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—नोटिस चाहिये ।

श्री रामसुन्दर—क्या सरकार के पास तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों के लिये कोई सिंचाई की योजना है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—अभी तक नहीं है ।

*८—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—[माननीय सदस्य के सदस्यता से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

दोहरीघाट पम्प नहर में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*९—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि दोहरीघाट पम्पनहर के निर्माण में जो भूमि ली गयी थी उस कुल भूमि का मुआवजा खेतिहरों को दे दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, अभी कुछ किसानों को मुआवजा देना शेष रह गया है ।

*१०—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो कितने किसानों का कितना मुआवजा बाकी है ?

श्री राममूर्ति—अभी १९८० किसानों को २७,७७२.७५ नये पैसे देना बाकी है।

*११—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—सरकार इस बाकी मुआवजे को किसानों को शीघ्र दिलाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है । उनसे इस संबंध में शीघ्रता करने को कहा जा रहा है ।

घाटमपुर तहसील में पानी निकासी के साधन न होना

*१२—**श्री शिवनार्थसिंह** (जिला कानपुर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर, तहसील घाटमपुर में ग्राम सतरहुली, खइरी, भीतर गांव, कन्धरा, बौहारा, मिलकिनपुर, नेवादा, भरथुवा, हाजीपुर, सूलपुर, लडौली, पतारी, हस्कर, असेनयां, मुरलीपुर, तेजवापुर, सिकहुला, पकरा, ऐमनपुर, आदि गांवों में गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण पानी की निकासी के लिये नाले के अभाव में कितने हजार बीघा भूमि जलमग्न हुई ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—११६३ एकड़ भूमि ।

*१३—**श्री शिवनार्थसिंह**—क्या यह सच है कि उक्त भूमि में आज भी पानी भरा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने तात्कालिक सहायता के उद्देश्य से संबंधित किसानों के लिये किस प्रकार की क्या सहायता दी है तथा दीर्घकालीन वृष्टि से पानी निकासी की क्या योजना बनाई है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवनार्थसिंह—ग्राम सतरहुली के तीन ओर रजबहा है और चौथी ओर सड़क कच्ची है । वहां पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है । तो क्या उच्च अधिकारियों को पानी निकालने के लिये कोई दरख्वास्त दी गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—उन्होंने वहां जाकर मुआयना भी किया था ।

श्री रामसुन्दर—जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है उनकी सूचना मानकर इन क्षेत्रों के पानी की निकासी के संबंध में सरकार कोई योजना बनावेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—इसका जवाब पहले दिया जा चुका है ।

श्री शिवनार्थासिंह—वहां से पानी निकालने की कौन सी कार्यवाही की गई ? इसमें १,६६३ एकड़ भूमि जलमग्न हो गई थी ।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—केवल पारसाल अतिवृष्टि के कारण यह हुआ । इसकी पुनरावृत्ति होने की आशा नहीं है । इसलिये योजना का प्रश्न नहीं उठता है ।

करहल तहसील में जल निकासी के लिये नाला बनाने की योजना

*१४—**श्री रार्मासिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम चन्दीकरा तहसील करहल और ग्रामसमाज निटावली, गंभीरा के तालाबों में बरसात में इतना पानी हो जाता है कि धा न की फसल खराब हो जाती है और किसानों के मकान गिर जाते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जी नहीं, केवल पिछले साल कुछ मकानों और खेती को हानि पहुंची है ।

*१५—**श्री रार्मासिंह**—क्या सरकार ने कोई रकम फसल व मकान बचाने के लिये पानी निकालने को दी है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जी नहीं ।

*१६—**श्री रार्मासिंह**—यदि दी है, तो इस संबंध में क्या काम हुआ है और यदि नहीं दी, तो इसके सुधार के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जल निकालने के लिये एक नाला बनवाने की योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

श्री रार्मासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्षा में जो मकान गिरे और खेती को हानि हुई उसके लिये सरकार के पास मुआवजा देने की कोई योजना है ?

श्री राममूर्ति—ऐसे वाकयात की जांच सिंचाई और रेवेन्यू दोनों विभागों की ओर से होती है । कानून के मुताबिक मुआवजा भी दिया जाता है, लगान वगैरह में छूट दी जाती है और ग्रेचुइटस रिलीफ भी दी जाया करती है ।

श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने एकड़ फसल में पानी आया और कितने मकान गिरे और उनके नुकसान का तखमीना क्या रहा ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मकान गिरने और फसल की हानि का मंत्री जी उत्तर देंगे, जिनका मूल प्रश्न से सीधा संबंध है ?

श्री अध्यक्ष—आप फिर से सवाल कर लीजिये ।

श्री रामसुन्दर—क्या सरकार के पास कोई सर्वे रिपोर्ट या तालिका है कि कितना फसल का और मकान का नुकसान हुआ तथा कितने मकान गिरे ?

श्री अध्यक्ष—आपके पास कोई इत्तला है कि कितने मकान गिरे और कितने की फसल और मकान का नुकसान हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—इसकी सूचना नहीं है ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप मुझसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं ।

श्री चन्द्रबली—मैं पूछना चाहता हूं दो बार आपने मंत्री जी का जवाब खुद दिलवाया है । ऐसा आप क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—ताकि आपको सहूलियत हो । अगर सदन को यह पसन्द नहीं है कि मैं सवाल को साफ कर दूं तो नहीं करूंगा । आप बैठिये । अगर मैं सवाल गलत समझता हूं तो आप मुझे रोक दीजिये ।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, आपको साफ करने का अधिकार है ।

श्री रामसुन्दर—जो फसल और मकानों की क्षति हुई, सरकार की ओर से उन किसानों को क्या सहायता दी गई ? किस-किस मद में और कितने रुपये की ?

डाक्टर रामनरायण पाण्डेय—गांव गम्भीरा में छूट दी गई २१ रु० की, ग्रचुइटस रिलीफ दी गई ३० रुपये । किरथुआ में ६१ ० की छूट, २५ रु० हाउस सबसीडी । फूलापुर में १९ रु० की छूट, १२० रु० की हाउस सबसीडी, ७२० रु० तकावी और ११४ रु० ग्रेचुइटस रिलीफ दी गई चन्दीकरादेहा में ६ रुपये की छूट, आलमपुर देहा में २७ रुपये की छूट, १०७ रुपया तकावी, पटटावली में ४६० रु० सबसीडी मकान की, १,१७० रु० तकावी और ३५ रु० ग्रैचुइटस रिलीफ ।

रजावल से भगरा ड्रेन तक स्केप का निर्माण

*१७—**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रजावल में से भगरा ड्रेन तक सरकार जो स्केप बनाना चाहती है वह स्केप कब तक बनने की आशा है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—भूमि पर अधिकार प्राप्त हो गया है और स्केप शीघ्रातिशीघ्र बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बरसात से पहले बन जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—कोशिश यह की जा रही है कि जल्द से जल्द बन जाय ।

माट तहसील के नौह झील क्षेत्र में नलकूप निर्माण का स्थगन

*१८—**श्री राधेश्याम** (जिला मथुरा)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला मथुरा तहसील माट में नौह झील के पास की बन्जर भूमि में सिंचाई हेतु नलकूप बनाने की कोई योजना थी जिसको कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक सामान भी नलकूप बनाने हेतु मौके पर पहुंच गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से वह योजना पूरी नहीं हो पाई और अब उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नौह झील क्षेत्र में दो नलकूपों की बोरिंग की गई, किन्तु चूंकि भू-स्तर (strata) खराब था और डिस्चार्ज (discharge) बहुत ही कम था इसलिये नलकूपों का निर्माण नहीं किया जा सका । अतएव इनके पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राधेश्याम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नौह झील क्षेत्र में प्रतिवर्ष क्या पानी की सिंचाई की जाती है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नरसिंहनारायण---माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस क्षेत्र में ट्यूबवेल इसलिये नहीं लगाये गये कि स्ट्रेटा नहीं मिला । तो क्या माननीय मंत्री जी दूसरी जगह जांच कराने की कृपा करेंगे और वहां स्ट्रेटा मिल जाय तो वहां नलकूप लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---हमारे विभाग के जरिये वहां ट्यूबवेल लगाय गय तथा जो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का आर्गेनाइजेशन है उसके जरिये से वहां ट्यूबवेल बनाने की कोशिश की गयी । लेकिन वहां पर जो भी एक्सपेरीमेन्ट्स हुये उन सबसे यह साबित हो गया कि वहां पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिये ट्यूबवेल बनाना वहां उचित नहीं है । हमने पहला जो ट्यूबवेल लगाया उसमें सिर्फ ८ हजार गैलन पानी निकला और यह दूसरा लगाया तो उससे भी कम पानी निकला । इसलिये यह तय किया गया कि यहां ट्यूबवेल लगना मुनासिब नहीं है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि यह नोह झील माट क्षेत्र में है और इसी जगह बहुत सी खाली जमीन पड़ी हुई है तो क्या सरकार का इरादा वहां ट्यूबवेल लगाने का है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बताया कि वहां ट्यूबवेल लग ही नहीं पाते ।

श्री नरसिंहनारायण---वहां का जो क्षेत्र असिंचित रह जाता है वह ज्यादा है । अगर वहां ट्यूबवेल नहीं लग पाये तो क्या सरकार दूसरी किसी योजना पर विचार कर रही है जिससे उस क्षेत्र में सिंचाई की जा सके ?

श्री राममूर्ति---इस वक्त कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सिंचाई विभाग के अस्थायी असिस्टेंट इंजीनियर्स

*१९---**श्री केशवगुप्त** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने असिस्टेन्ट इंजीनियरों की १९५२ से अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं ? उनमें से कितने और किस वर्ष तक लोक सेवा आयोग से स्वीकृत हो चुके हैं और कितने किस वर्ष से लोक सेवा आयोग के समक्ष नहीं भेजे गये हैं और ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये परिशिष्ट 'ग' आगे पृष्ठ ५०९ पर)

*२०---**श्री केशवगुप्त**---क्या सरकार का यह विचार है कि १९५२ से १९६१ तक जितनी उपरोक्त नियुक्तियां हुई हैं उन सबको खड़की से नये पास किये गये उम्मीदवारों के साथ परीक्षा में बैठना होगा और ऐसी परीक्षा के फलस्वरूप नियुक्तियां की जावेंगी ?

श्री राममूर्ति---वस्तुस्थिति यह है कि सन् १९५२ से १९५७ तक नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ताओं में से १७४ आयोग द्वारा अस्थाई नियुक्ति के लिये पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं और बाकी २९३ सहायक अभियन्ताओं को, जिनकी नियुक्ति १९५८, या उसके पश्चात् हुई है, या आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं किये गये हैं, खड़की तथा अन्य विश्वविद्यालयों से नये पास किये गये उम्मीदवारों के साथ परीक्षा में अवश्य बैठना पड़ता, किन्तु अस्थाई अभियन्ताओं की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुये, यह निर्णय किया गया है कि २०० अस्थाई पदों पर नियुक्तियां साक्षात्कार द्वारा की जायं ।

*२१---**श्री कशवगुप्त**---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ से १९६१ तक जितने अस्थायी इंजीनियर नियुक्त किये गये हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने खड़की विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में दीक्षा प्राप्त की है ?

श्री राममूर्ति---१३० ।

श्री केशवगुप्त—क्या सरकार को मालूम है कि नियमों के अनुसार ऐसी अस्थायी नियुक्तियों को एक वर्ष के अन्दर लोक सेवा आयोग के सामने स्वीकृति के लिये जाना जरूरी है ?

श्री राममूर्ति—ऐसा कोई रिजिड रूल तो नहीं है, लेकिन सरकार की ऐसी कोशिश रहती है कि उनको जल्दी से जल्दी भेजा जाय । देरी की वहज यह हो गयी कि सरकार इस बात पर विचार कर रही थी कि आगे जितने भी इंजीनियर्स लिये जांय वे सब कंपीटेटिव एक्जामिनेशन से लिये जांय, इससे हमें अच्छा स्टाफ मिल जायगा, लेकिन विचार करने में देरी हो गयी इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने इंजीनियर्स को भेजने में देरी हो गई ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि इस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह को मान लेने से कई सौ इंजीनियर्स जो पिछले ७—८ सालों से कार्य कर रहे हैं उनको नौकरी से हटना पड़ेगा इससे लोगों में बड़ा असंतोष है तथा इससे सरकारी कार्य में भी बाधा पड़ेगी, क्या सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन को सलाह देगी कि वह अपने फैसले पर पुनः विचार करे ?

श्री राममूर्ति—ऐसी बात नहीं है । मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिये ब्यौरेवार बतलाता हूं । हमारे यहां २९३ इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अस्थायी हैं । उनके लिये हमने एक एडवर्टिजमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से निकलवाया कि २०० इंजीनियर्स को लिया जायगा । पब्लिक सर्विस कमीशन की मंशा यह थी कि सन् ६१ की जुलाई में यूनिवर्सिटीज से पास करके निकले हुये लड़कोंके दिमाग तरोताजा होते हैं और उन लड़कों को कम्पटीशन में बैठना चाहिये । अभी उनको स्कूल कालज से निकले हुये एक ही साल हुआ है इसलिये उनको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिये । अगर एक साल पहले वाले लड़के इम्तहान में नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेगा । उसके पहले वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजे जायेंगे और उम्मीद की जाती है कि उनमें जितने भी अच्छे लड़के हैं वे सब ले लिये जायेंगे ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के इस निर्णय के अनुसार कितने इंजीनियर्स ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे हैं और फिर उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने कम्पेटीशन के लिये जाना पड़ेगा ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि इस वक्त २९३ इंजीनियर्स ऐसे हैं और उनमें २०० को ही बुलाया गया है और जो बाकी रह गये वे और हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटीज के निकले हुये बाकी सब कम्पेटीटिव परीक्षा में बैठ सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर—सदन की जानकारी के लिये क्या मंत्री जी उस तालिका को पढ़ देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तालिका लम्बी है, इसलिये उसके पढ़ने की इजाजत मैं नहीं देता ।

श्री गेंदासिंह—जो पहले से काम करने वाले इंजीनियर्स हैं, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाने से पहले अपना कोर्स तैयार करने के लिये सरकार उन्हें कुछ दिनों के लिये छुट्टी देने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—ऐसे इंजीनियर्स जो स्टेट की नौकरी में है और जिन्होंने सन् ६१ में इम्तहान पास किया है उनको इम्तहान के लिये अगर छुट्टी की जरूरत पड़ी तो छुट्टी दी जायगी ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को स्मरण है कि इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि यूनिवर्सिटीज से निकले हुये लड़कों को व जो इंजीनियर्स यहां काम करते हैं--उन दोनों की अलग अलग परीक्षा होगी ?

श्री अध्यक्ष—जो नीति है वह तो उन्होंने बतला दी ।

*२२—**श्री शिवचरण** (जिला आगरा)—[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६३ के अन्तर्गत स्थानांतरित किया गया ।]

श्री शिवचरण—श्रीमन्, मेरा एक व्वयस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न पहले ही स्थगित करके उसे सातवें मंगलवार के लिये रखा गया था, तो वह सातवां मंगलवार कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—आपका जो प्रश्न मुझे यह सूचना मिली है कि उसके लिये एक स्पष्टीकरण मांगा गया था और चूंकि स्पष्टीकरण विलम्ब से आया, इस वजह से इसको स्थगित किया गया है। यह बहस का वक्त नहीं है, इस संबंध में आप मुझसे बातचीत कर लेंगे।

एटा जिले में लहरा स्थान पर गंगा का कटाव रोकने की प्रार्थना

*२३—**श्री बेदराम** (जिला एटा) तथा **श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६१ में जिला एटा में लहरा मुकाम पर जहां गंगा जी ने कटाव किया था उसका सर्वेक्षण कराया गया था? यदि हां, तो सर्वेक्षण की क्या रिपोर्ट है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जी हां। सर्वेक्षण के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि लहरा के मजरा गढ़िया व डिगलस नगर की आबादी के कुछ भाग की ४६.३७ एकड़ भूमि १९६१ की गंगा नदी की बाढ़ से कट गई है तथा कुछ मकान बह गये व कुछ को क्षति पहुंची।

*२४—**श्री बेदराम** तथा **श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में गंगा जी के कटाव से २ हजार बीघा भूमि तथा २ गांव १९६१ में बह गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है जिससे भविष्य में इस स्थान पर कटाव न हो ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जी नहीं। क्षति जो हुई है उसका विवरण प्रश्न २३ के उत्तर में दिये गये ब्यौरे तक ही सीमित है। जहां तक योजना बनाने का प्रश्न है ग्राम लहरा के बचाव हेतु १,२१,५१४ रु० की लागत की एक योजना बनाई गई थी, किन्तु उसे कार्यान्वित होने योग्य नहीं पाया गया, इसलिए कि सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत जो ठोकर (spers) बनाये जाने वाले थे उनके कायम रहने पर संशय था तथा योजना की लागत भी क्षति की अपेक्षा अधिक लाभप्रद न थी।

श्री बेदराम—माननीय मंत्री जी ने जो बतलाया कि आबादी के कुछ मकान कट गये हैं, तो क्या वे बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या डिगलिसनगर ग्राम पूरा का पूरा नहीं बह गया है ?

श्री राममूर्ति—कुछ मकान गिर गये हैं, इससे साफ जाहिर है कि कुछ मकान बाकी रह गये हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—(जिला गोरखपुर)—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कटाव को रोकने के लिये कौन सी योजना सरकार के विचाराधीन थी और उक्त योजना लागू न करने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य ने गौर से सुना नहीं। यह बतलाया गया है कि इस बात का सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण के बाद इंजीनियर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर वहां पर ठोकर लगायी जाती है तो उस पर एक लाख ३० हजार पय खर्च होंगे।

और साथ ही यह भी मालूम हुआ कि जो कच्चे पक्के मकान हैं उनको भी हटाया जायगा और उसकी कीमत भी डेढ़ लाख के करीब होती थी और यह भी नतीजा निकाला गया था कि अगर उस जगह पर स्पर बनेगा तो वह मजबूत नहीं होगा और क नहीं सकेगा। इन्हीं कारणों से इस स्कीम को कार्यान्वित करने में मजबूरी दिखाई गई थी।

जिला कानपुर आर० टी० ओ० में चुनाव के लिये मोटर ठेला देने में अनियमितता

*२५—**श्री शिवनार्थासिंह**—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत चुनाव में जिला कानपुर आर० टी० ओ० ने चुनाव कार्य हेतु कितने मोटर ठेलों को चुनाव कार्य करने का आदेश दिया था ?

श्री गनेशीलाल—९१६ ।

*२६—**श्री शिवनार्थासिंह**—क्या यह सच है कि जिस जगह जाने के लिये उन ठेलों को प्रथम आदेश दिया गया था बाद में वह आदेश रद्द किये गये जिसके कारण एक और ठेला मालिकों को अचानक दूसरे जिलों में जाना पड़ा और दूसरी ओर से बहुत से ठेलों को मुक्त कर देने के कारण चुनाव कार्य में बाधा पड़ी तथा बाकी तौर से सरकार द्वारा सामान भरे हुये अनेक ठेलों को भी हस्तगत करना पड़ा ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*२७—**श्री शिवनार्थासिंह**—क्या यह सच है कि उक्त सब अनियमिततायें कार्यालय के कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण हुईं ? यदि हां, तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं, शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवनार्थासिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला चुनाव अधिकारी कानपुर के द्वारा कितने ठेलों की मांग की गई थी और कितने कम कर दिये गये और अन्य जिलों से कितने ठेलों की मांग हुई और कितने-कितने किस-किस जिले में भेजे गये ?

श्री गनेशीलाल—कानपुर रीजन के आर० टी० ओ० द्वारा कानपुर रीजन के लिये जो मांगे गये थे वह इस प्रकार थे: कानपुर के लिये २१२, बांदा के लिये ९२, झांसी के लिये ९९, फतेहपुर के लिये ७१, हमीरपुर के लिये १०५, इटावा के लिये ६२, फर्रुखाबाद के लिये ८१ और जालौन के लिये ८३ और इसके अलावा बस्ती जिले के लिये भी १११ ठेलों की मांग की गई थी ।

श्री शिवनार्थासिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ठेला मालिकों को यह आदेश किस वक्त दिये गये थे कि आप ड्यूटी पर फलां-फलां जिले में जाइये ?

श्री गनेशीलाल—आदेश की तो निश्चित तिथि मेरे पास नहीं है, लेकिन कानपुर के लिये १८-२-६२ तक केवल ५५ ठेले पहुंचे थे और इसीलिये और मांग की गई थी ।

गाजीपुर जिले में धरम्मपुर-नरायनपुर गंगा बांध ठीक कराने की प्रार्थना

*२८—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)—क्या सिंचाई मंत्री को यह पता है कि गाजीपुर जिले में धरम्मपुर से नरायनपुर तक गंगा नदी के किनारे-किनारे बाढ़ से गांवों की हिफाजत के लिये जो बांध बनाया गया था इस समय वह टूटी हुई अवस्था में है ? क्या सरकार इसे आगामी बरसात से पहले इस बांध को बनवाने को सोच रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—ऐसा कोई बांध नहीं बनाया गया था अतः प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब और किस अधिकारी से कराई गई है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डय—इस प्रश्न के बाद ही जांच का निर्णय आया है ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—श्रीमन्, मैंने पूछा था कि यह जांच किस अधिकारी से और कब कराई गई ?

श्री राममूर्ति—जब यह प्रश्न आया उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर कन्सर्न्ड जांच के लिये गये थे और उसी के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है ।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी प्रश्नकर्त्ता के सवाल को सूचना मानकर फिर से किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे कि क्या यह सही है कि बांध बना और उसके बाद वह टूटा पड़ा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो प्रश्नकर्त्ता ने नहीं कहा है ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—अध्यक्ष महोदय यह सही है कि यह बांध अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, तो क्या मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में मेरी सूचना को सही मान कर क्या मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे और वहां निर्माण कार्य करायेंगे ।

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है, जब हमारे यहां ४,००० गांवों के लेविल को ऊंचा करने की एक योजना बनी थी तो उस योजना के अन्तर्गत यह भी स्कीम थी कि गांवों को बाढ़ के जमाने में जोड़ने के लिये कुछ कच्ची सड़कें बना दी जायं ताकि लोग आ जा सकें । ऐसा मालूम होता है कि कुछ गलतफहमी है, तो वह कच्ची सड़क बनाई गई थी जोड़ने के लिये और उस पर कोई पुल पुलिया नहीं बनाये गये थे, बाढ़ में सड़क के ऊपर से लोग निकल जाते हैं । कम फ्लड रहता है तो उस सड़क को लोग अपने आने-जाने के काम में लाते हैं। अक्सर ऐसा खयाल है लोगों का कि लोग उस सड़क को बांध समझने लग गये हैं । लिहाजा कोई नया या पुराना बांध बनने की कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—जिस इलाके के बांध का सवाल है वह १० मील लम्बा इलाका तीन तरफ से गंगा से घिरा हुआ है । जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ से बचाने के लिये और गांवों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिये कुछ सड़क बनायी गई है जबकि मेरा कहना है कि १० मील लम्बा बांध अंग्रेजों के जमाने से १ से ३ फर्लांग की दूरी पर गांवों की रक्षा के लिये बनाया गया है । पारसाल २ गांव पंचायतों ने बाढ़ से बचने के लिये बांध की मरम्मत की और मंत्री जी कहते हैं कोई बांध नहीं है । अतः मंत्री जी क्या फिर किसी अधिकारी से जांच करायेंगे और अगर बांध है तो उसको पक्का बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो इत्तला है उसी की बिना पर जवाब दिया गया । अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बात पूछना चाहते हैं तो मेरे पास लिख कर भेज दें उसकी फिर जांच करा ली जायेगी ।

नहर मांट ब्रांच क्षेत्र में नलकूप सिंचाई नहरी रट पर लेना

*२९—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहर मांट ब्रांच के क्षेत्र में जो तहसील सिकन्दराबाद व खुर्जा, जिला बुलन्दशहर में तथा जिला अलीगढ़ में पड़ता है जो नलकूप लगाये गये हैं उन पर नहरी दरों से सिंचाई लेने का सरकारी निश्चय भंग कर दिया गया और नल कूपों पर घंटों के हिसाब से ही पानी का रेट लगाया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—मांट ब्रांच क्षेत्र में बनाये गये नलकूपों पर नहरी रेट लगाने के औचित्य पर पुनः विचार किया जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र विकल—मंत्री जी बतायेंगे ट्यूबवेल जब से लगाये गये हैं तब से अब तक किस दर से सिंचाई ली जा रही है ?

श्री राममूर्ति---जब से ट्यूबवेल लगाये गये हैं उस वक्त से अब तक सिंचाई वाल्य-मेटरी बेसिस पर ली जाती है, यानी १६,००० गैलन पानी १ रुपये में दिया जाता है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि इस नहरी क्षेत्र में जब ट्यूब वैल्स की योजना सरकार ने बनायी थी तो किसानों ने उसका विरोध किया था और मंत्री जी ने जनता में और यहां सदन में आश्वासन दिया था कि हम इन ट्यूबवैल्स से नहरी रेट पर पानी देंगे ? तो क्या यह आश्वासन सही है ? और अगर है, तो उसको क्यों भंग किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय यह बात सही है । इसकी छानबीन करा ली गई और कागजात मुहैया कर लिये गये हैं जिनसे साबित होता है कि सदन में इस तरह का आश्वासन दिया गया था । इसलिये उन कागजात को अब फाइनेंस डिपार्टमेंट भेजा गया है और मैं उम्मीद करता हूं उसको माना जायगा क्योंकि सदन में जो आश्वासन दिया गया था उसकी एक वकत होती है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी अपने पूर्व निश्चय पर रहने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह तो कह ही रहे हैं ।

हरदोई-हत्याहरण-बेनीगंज बस सर्विस

*३०---**श्री परमाई** (जिला हरदोई)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो बस सर्विस जो हरदोई से बेनीगंज वाया हत्याहरण होती हुई जाती थी वह करीब एक महीने से बन्द हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गनशीलाल---जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

कासिमाबाद थानान्तर्गत राजापुर माइनर नहर का निर्माण

*३१---**श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर)---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में थाना कासिमाबाद के अन्तर्गत ग्राम रामगढ़ के पास जो पम्प कैनाल लगायी गयी है उसकी क्षमता पहले से बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ कैनाल की शाखायें बढ़ाई जा रही हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन ?.

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---राजापुर नाम की एक नई माईनर बनाई जा रही है ।

*३२---**श्री रघुवीर**---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कैनाल के ऊपर जगह ब जगह पुलिया बनाने के लिये कई ग्राम पंचायतों द्वारा मांग की गई है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---जी हां । किन्तु और पुलिया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*३३---**श्री रघुवीर**---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कैनाल की शाखायें बढ़ाई जा रही हैं तो टोंस नदी में पानी की कमी पड़ेगी ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार की कोई योजना है कि टोंस नदी का पानी कैसे रोका जाय ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---प्रथम भाग---राजापुर माइनर बनाने से टोंस नदी म पानी की कमी नहीं पड़ेगी ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता---

श्री रघुवीर---मंत्री जी बतायेंगे कि जो राजापुर बनायी जा रही है इसम किसानों की कितनी जमीन ली गई है और यह माईनर कब तक तयार हो जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---कितनी जमीन किसानों की ली गई इसकी सूचना इस समय नहीं है ।

श्री भीखालाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गर्मियों में जब टोंस नदी में पानी कम हो जाता है तो प्रति वर्ष पानी को रोकने के लिये टेम्पोरेरी बांध बनाने की आवश्यकता पड़ती है ?

श्री राममूर्ति---माननीय सदस्य कहते हैं तो सही बात होगी ।

श्री रघुवीर---५७-५८, ५८-५९, ५९-६० और ६०-६१ में बराबर टोंस नदी में पानी की कमी रही और गन्ने की फसल के लिये पानी नहीं मिला और हजारों एकड़ फसल बरबाद हो गयी जब कि टोंस में पानी बांध से बांध कर रखा गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---६०-६१ में ७६९ एकड़ और ६१-६२ में ७६६ एकड़ ईख को सिंचाई हुई है । वहां नदी में पानी जरूर कम हो जाता है, लेकिन काम के लिये पर्याप्त पानी रहता है ।

श्री रामसुन्दर---कैनाल की जो उपशाखा सरकार बनाने जा रही है उससे कितने एकड़ की सिंचाई हो सकेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नरसिंहनारायण---एक व्यवस्था का प्रश्न है । हर प्रश्न में माननीय मंत्री जी को सूचना की जरूरत होती है । इतना स्पष्ट प्रश्न है कि सरकार एक कैनाल बनाने जा रही है, लेकिन न कोई एस्टीमेट है, न एस्टिमेट का कागज है जिससे वे बतला सकें । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जो इस तरह का जबाव न दिया करें, कुछ सोच समझ कर और पढ़-लिख कर आया करें ?

श्री अध्यक्ष---कोई रिफ्लेक्शन न करें । उन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे सवाल करेंगे । हां, यह खेद की बात है । माननीय मन्त्री तैयार ज्यादा होकर आया करें ।

रोडवेज कर्मचारियों की सुविधाओं में कमी

*३४---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग में जो सुविधायें कर्मचारियों को पहले मिलती थीं उसे कम कर दिया गया या एकदम खत्म कर दिया गया जैसे कि---

(क) कैजुअल छुट्टी १४ दिन जो मिलती थी उसे खत्म कर दिया गया,

(ख) सालाना ३० दिन की छुट्टी की जगह १९ दिन कर दिया गया,

(ग) गजटेड हालीडेज २६ दिन की जगह ५ दिन,

(घ) मेडिकल छुट्टी जो सवेतन मिलती थीं उसे खत्म कर दिया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त सुविधायें क्यों खत्म कर दी गईं ?

श्री गनेशीलाल---जी हां, रोडवेज कर्मचारियों में प्रशासकीय शाखा के उच्च अधिकारियों ट्रैफिक साईड में जूनियर स्टेशन इन्चार्ज तथा इंजीनियरिंग साईड में जूनियर फोरमैन से ऊपर के कर्मचारियों को छोड़ कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में नई सर्विस कंडीशन्स के अनुसार रोडवेज संचालन के काम को एक प्रतिगतिशील राष्ट्रीय व्यवसाय के रूप में चलाने के लिये ऐसा किया गया।

*३५—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक कन्डक्टर तथा ड्राइवर से प्रति दिन १५–१६ घंटे काम लिया जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गनेशीलाल—साधारणतया ऐसा नहीं होता ।

श्री ऊदल—माननीय मंत्री जौनपुर, बनारस और इलाहाबाद रीजन में इस बात की जांच करायेंगे कि बनारस में १६ ड्राइवर और जौनपुर में २६ ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे १४ और १६ घंटा ड्यूटी ली जाती है ?

श्री मुजफ्फरहसन—लिख कर माननीय सदस्य भेजेंगे तो उसे देख लिया जायगा ।

श्री ऊदल—अधिकारियों की सुविधाओं को तो सरकार ने कम नहीं किया लेकिन कर्मचारियों की सुविधाओं को कम करने के लिये कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी थी ?

श्री मुजफ्फरहसन—वजूहात जो थीं उनको जवाब में बतला ही चुका हूं ।

डिफेण्कट ऐग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट के अस्थायी इंजीनियर्स व इन्स्पेक्टर्स

*३६—**श्री रामअनन्त पाण्डेय** (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Defunct Agriculture Engineering Department में कितने कृषि इंजीनियर, सहायक कृषि इंजीनियर, सीनियर मैकेनिकल इन्सपेक्टर और मैकेनिकल इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिनकी सेवायें दस वर्ष या उससे अधिक की थीं और क्या वे आज भी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं ?

*३७—क्या सरकार को ज्ञात है कि ये कर्मचारी आज तक स्थायी (confirm) नहीं किये गये ? यदि हाँ, तो क्यों नहीं ?

*३८—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये कर्मचारी कब तक स्थायी किये जायेंगे और इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—Defunct Agriculture Engineering Department सितम्बर, सन्, १९५५ में तीन विभागों में विभाजित हुआ । स्टेट ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन और लखनऊ स्थित कृषि वर्कशाप और बरेली वर्कशाप को अनुसंधान शाखा कृषि विभाग को स्थानान्तरित हो गयी ।

लघु सिंचाई (प्राइवेट वर्क्स) योजनायें नियोजन विभाग को स्थानान्तरित की गईं ।

मेरठ और बरेली की वर्कशाप और ट्यूबवेल्स तथा सप्लस स्टोर्स का डिस्पोजल सिंचाई विभाग के ही पास रहे ।

जो सूचना प्रश्नों में मांगी गई है, वह नियोजन विभाग तथा सिंचाई विभाग से आंशिक रूप में प्राप्त हो सकी है और कृषि विभाग से सम्बन्धित प्राप्त हुई सूचना पूर्ण है । प्राप्त हुई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५१०–५११ पर)

राज्य क बन्द नलकूप

*३९—**श्री बेदराम**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने नलकूप (क) बिजली के अभाव, (ख) डिस्चार्ज की कमी, (ग) मशीनरी की खराबी के कारण बन्द हैं ? ये कब तक चलने लगेंगे ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री राममूर्ति---बिजली की कमी के कारण कोई नलकूप बन्द नहीं है। डिस्चार्ज की कमी तथा मशीनरी आदि की खराबी के कारण कुल ८३ नलकूप बंद हैं। इनकी खराबी दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ताकि जितने नलकूप सम्भव हो सकें यथाशीघ्र पुनः चालू हो जायं।

मंत्रियों की हवाई जहाज से यात्रा तथा हिन्द फ्लाइंग क्लब द्वारा हेलीकाप्टर खरीदने पर विचार

*४०---**श्री शिवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बतायेगी कि यू०पी० फ्लाइंग क्लब में सरकारी हवाई जहाज के रख-रखाव पर पिछले वर्ष कितना खर्च हुआ है ?

श्री मुजफ्फरहसन---यह निश्चित नहीं बताया जा सकता, क्योंकि फ्लाइंग के एकाउन्ट्स में सरकारी हवाई जहाजों पर किये गये खर्च का अलग हिसाब रखना कठिन है।

*४१---**श्री शिवेन्द्रप्रताप**---क्या सरकार बतायेगी कि १ अक्तूबर, सन् १९६१ से १५ फरवरी, सन् १९६२ तक कौन-कौन मंत्री सरकारी हवाई जहाजों से किन-किन स्थानों पर गये और कितना खर्च हुआ ?

श्री मुजफ्फरहसन---यात्राओं के सम्बन्ध में सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। उपरोक्त प्रश्न में बताये गये कारण से खर्च का निश्चित ब्योरा नहीं दिया जा सकता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४१२-४१३ पर)

*४२---**श्री शिवेन्द्रप्रताप**---क्या यह सही है कि सरकार कुछ नये हवाई जहाज खरीदने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कौन से हवाई जहाज, कितनी लागत के तथा किसके द्वारा खरीदने जा रही है ?

श्री मुजफ्फरहसन---सरकार करीब साढ़े तीन लाख रुपये की कीमत का एक हेलीकाप्टर हिन्द फ्लाइंग क्लब के जरिये खरीदने का विचार कर रही है।

फतेहपुर जिले में सेशन्स न्यायालय के विचाराधीन मुकदमे

*४३---**श्री रघुवीरसहाय** (जिला फतेहपुर)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में सन १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में कितने सेशन्स के न्यायालय थे ?

श्री सैयद अली जहीर---५।

*४४---**श्री रघुवीरसहाय**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में कितने सेशन्स के समान के काबिल मुकदमे फतेहपुर जिले में कायम हुये और उनमें से कितने सेशन्स सुपुर्द हुये ?

श्री सैयद अली जहीर---कुल २६४ ऐसे मुकदमे कायम हुये और उनमें से ८१ मुकदमे सेशन्स के सुपुर्द हुये।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र म कर्मचारियों का वेतन वृद्धि बकाया

*४५---**श्री कृष्णानन्दराय** (जिला गाजीपुर)---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग गोरखपुर में सन् १९५२ से १९६२ तक कितने कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि बाकी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---४१२ कर्मचारियों की।

रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी देहरादून द्वारा कुम्भ मेले के लिये परमिट

*४६—श्री तेजनारायण (जिला खीरी)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी देहरादून द्वारा कुम्भ मेला हरिद्वार के लिये प्राइवेट बस मालिकों को परमिट किस आधार पर दिये गये और किन-किन सड़कों पर उक्त मेला के सिलसिले में कितने-कितने परमिट दिये गये ?

श्री मुजफ्फरहसन—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट व रूल्स से सम्बन्धित नियमानुसार नीचे लिखे हुये परमिट दिये गये ।

१—देहरादून–ऋषिकेश, हरिद्वार मार्ग	१००
२—मेरठ–हरद्वार मार्ग	२५
३—लक्सर–हरद्वार मार्ग	६

उप-शाखा नहर नत्थूपुर में कुलाबा लगाने तथा नहर संबंधी असुविधाओं को दूर करने की मांग

*४७—श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री १४ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि परिणाम से प्रार्थियों को सूचना कब-कब और क्या-क्या दी गई है ?

श्री राममूर्ति—परिणाम से प्रार्थियों को जो सूचना दी गई है उसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४१४ पर)

मुरादाबाद जिले में नदियों की बाढ़ रोकने की प्रार्थना

*४८—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में गंगा, रामगंगा, गंगन, सोत, करुला, रक्षेड़ा, ढेला नदियों में हर साल जो बाढ़ आती है और उससे जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिये कोई प्रबंध किया गया है ? अगर किया गया है, तो क्या ?

श्री राममूर्ति—गंगा नदी के किनारे जीवपुर बांध की रक्षा के लिये एक रिटायर्ड बांध बनाया गया है जिसे और पुष्ट किया जा रहा है । अन्य नदियों की बाढ़ों को रोकने के लिये कोई, प्रबंध नहीं किया गया है ।

*४९—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील मुरादाबाद में कौन सी स्कीम सिंचाई की लागू होने जा रही है—ट्यूबवेल की या नहर की और वह कब तक लागू हो जायगी ।

श्री राममूर्ति—मुरादाबाद तहसील के क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है । इस समय वहां पर २१ नलकूप चल रहे हैं तथा चार और नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है ।

*५०–५१—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—[७ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६४–६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

[२९ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—श्री उग्रसेन—[माननीय सदस्य के सदस्यता से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये ।]

*४-५—श्री ऊदल—[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६-७—श्री रामसुन्दर—[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

रोडवेज के रेट नये पैसों में बदलने का विचार

*८—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत में नये सिक्के जारी हुये काफी अरसा हो गया परन्तु फिर भी उनके विभाग में रोडवेज के ड्राइवरों को १-१/२ पाई फी मील के हिसाब से माइलेज (mileage) भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और क्या वह भत्ता दो नये पैसे प्रति मील में बदल दिया जावेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—रोडवेज के मुख्तलिफ रेट नये पैसों में बदलने के बारे में कार्यवाही हो रही है । ड्राइवरों के माइलेज भत्ता रेट अभी नहीं बदले गये हैं । यह भत्ता २ नया पैसा फी मील करने का विचार नहीं है ।

गुमियाताल ड्रेन का निर्माण

*९—श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हैदरगढ़ तहसील (बाराबंकी) स्थित टिकरा रानीखेर झील के पानी की निकासी के लिये नाला बनाने की योजना स्वीकार कर ली गई है। यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय किया जायेगा और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

श्री राममूर्ति—गुमिया ताल ड्रेन लगभग २५,००० रुपये की अनुमानित लागत पर बनाई जा रही है । मार्च, सन् १९६४ तक इसके बन जाने की आशा है ।

*१०—श्री रामकिशोर—[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

शिवगढ़ ड्रेन की खुदाई

*११—श्री रामकिशोर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिवगढ़ ड्रेन की खुदाई का कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ? क्या सरकार के पास ऐसी सूचनायें हैं कि हर साल वर्षा में लोगों को इस ड्रेन की पूर्ति न होने से अपार कष्टों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या इस कार्य को वर्षाकाल से पूर्व पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री राममूर्ति—जहां तक कार्य की प्रगति हुई है उसके हिसाब से शिवगढ़ ड्रेन के निर्माण का कार्य ३१-३-१९६३ तक समाप्त हो जाने की आशा है । यह सही है कि इस ड्रेन की पूर्ति न होने के कारण जनता को कुछ कष्ट अवश्य है हालांकि सन् १९६१ में काफी relief हो गई है । निर्माण का कार्य वर्षाकाल से पहले पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है किन्तु निश्चित रूप से यह कहा नहीं जा सकता कि ऐसा हो पायेगा ।

अलीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज का निवास गृह

*१२—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज का निवास-गृह इस समय सरकारी है या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां ।

*१३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—यदि हां, तो कितनी जमीन पर इमारत बनी है और कितनी खाली पड़ी है तथा जितनी इमारत बनी है उसका अनुमानित मूल्य इस समय क्या होगा और जितनी भूमि उससे सम्बन्धित है उसका इस समय, अनुमानित मूल्य क्या होगा ?

श्री सैयद अली जहीर—इमारत १४४१ २/९ वर्ग गज पर बनी है और १,३९,१५० वर्ग गज भूमि खाली पड़ी है तथा बनी हुई इमारत का इस समय अनुमानित मूल्य ३५,००० रुपये है और उससे सम्बन्धित भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग ४,१७,४५० रुपये है।

***१४—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी**—क्या सरकार का विचार उपरोक्त निवास-गृह तथा उसकी सम्बन्धित भूमि को किसी को दे देने का है ? यदि है तो क्यों और कितनी कीमत पर और क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान निवास-गृह कब और कितने में लिया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज का निवास गृह सन् १९०४ में लिया गया था। विक्रय पत्र के अभाव के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसका क्रय मूल्य उस समय क्या दिया गया होगा परन्तु सन् १९२३ ई० के रजिस्टर आफ बिल्डिंग्स में उसकी कीमत ३३,८०७ पये अंकित है।

***१५—श्री रामचन्द्र विकल**—[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

सीड स्टोरों से दिये गये जड़हन बीज की क्षति पूर्ति पर विचार

***१६—श्री नरसिंहनारायण**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९-६० में जो सरकारी सीड स्टोरों से जड़हन का बीज दिया गया था, वह बोने के बाद धान का बीज निकला और उसकी वसूली उस समय माफ कर दी गई थी ?

***१७**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार के बीज देने से जो किसानों की फसल को क्षति पहुंची उसके लिये सरकार ने किसानों को क्या मुआवजा दिया ?

श्री चरणसिंह—जी हां। सन् १९५९-६० में नहीं बल्कि सन् १९५८-५९ में इस प्रकार का बीज बंट गया था। माफी नहीं दी गयी थी बल्कि किसानों को तकावी दी गयी थी जिससे कि वे दोबारा पौधा लगा सकें।

***१८—श्री नरसिंहनारायण**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेंगी कि आज भी मय सूद के उपरोक्त रकम की वसूली हो रही है ? यदि हां, तो क्यों और कहां ?

श्री चरणसिंह—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है तकावी का कर्जा नियमानुसार वसूल किया जा रहा है और जो बीज की हानि हुई है उसके बकाया की माफी का प्रश्न विचाराधीन है।

मोटर दुर्घटनायें रोकने के लिये क्लेम्स ट्रिब्युनल स्थापित करने पर विचार

***१९—श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत सरकार ने २ फरवरी, सन् १९५६ को मोटर वहिकिल्स ऐक्ट में बढ़ती हुयी दुर्घटनाओं को देखते हुये संशोधन किया है कि प्रत्येक मोटर गाड़ी का बीमा होगा और उससे जो घायल होगा उसी बीमे की रकम से उसे मुआवजा दिया जायेगा और मुआवजे का निर्णय क्लेम्स ट्रिब्यूनल करेगा जिसकी स्थापना राज्य सरकार करेगी और मोटर दुर्घटनायें रोकने के लिये मुआवजा सम्बन्धी रूल्स भी राज्य सरकारें बनायेंगी, यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। यह संशोधन १६-२-५७ से लागू हुआ है।

प्रदेशीय सरकार के लिये क्लेम्स ट्रिब्यूनल कायम करना अनिवार्य नहीं है फिर भी इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि शीघ्र निर्णय हो जायेगा।

*२०–२१–श्री गणेशचन्द (जिला मनपुरी)–[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गय ।]

*२२–२३––श्री चन्द्रबली––[७ वें मंगलवार क लिए स्थगित किय गय ।]

*२४–२५––श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)––[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किय गय ।]

*२६–२८–श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)––[हटा दिये गये ।]

*२९––श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)––[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले में धान का गलत बीज सम्बन्धी सवाई कर्जा माफ करने पर विचार

*३०––श्री भानुप्रतापसिंह––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ या ५८ में बस्ती जिले में जो गलत धान का बीज, अगहनी के स्थान पर कुवारी, सहकारी और सरकारी बीज गोदामों से बांटा गया था, क्या उसकी सवाई की वसूली हो रही है ? विभागीय कर्मचारियों की उपरोक्त गल्ती के कारण किसानों को जो लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा था, उसको देखते हुये, क्या सरकार सवाई कर्जे को माफ नहीं करेगी ?

श्री चरणसिंह––जी नहीं । सवाई कर्जे को माफ करने का प्रश्न सरकार क विचाराधीन है और शीघ्र ही फैसला हो जायगा ।

*३१––श्री चन्द्रजीत––[८ वें गुरुवार के लिए प्रश्न ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

हेलीकाप्टर खरीदने का निश्चय

*३२––श्री चन्द्रजीत––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार कुछ हेलीकाप्टर्स खरीदने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कितने और कितनी कीमत के ?

श्री मुजफ्फर हसन––जी हां । सरकार ने लगभग साढे तीन लाख रुपये की कीमत का एक हेलीकाप्टर खरीदना तय किया है ।

लखनऊ में अकबरपुर हाउस को अरक्षित घोषित करना

*३३––श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद) तथा श्री हिम्मतसिंह––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर हाउस जिसमें सचिवालय का गृह पुलिस (ग) और (घ) विभाग स्थित है सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अरक्षित घोषित कर दिया गया है ?

श्री राममूर्ति––जी हां ।

*३४––श्री महमूद हसन खां तथा श्री हिम्मतसिंह––यदि हां, तो सरकार उन विभागों के कर्मचारियों के बैठने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री राममूर्ति––गृह पुलिस (ग) और (घ) विभागों के कर्मचारियों के बैठने के लिए अन्य भवनों की व्यवस्था की जा रही है ।

आम चुनाव में काम करने वाले कर्मचारियों का भत्ता

*३५—**श्री रामसुन्दर**—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत आम चुनाव में काम करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों का मार्ग व्यय और भत्ता चुकता कर देने के आदेश जिला अधिकारियों को देने के बाद भी जिलों में उसका वितरण अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—तीसरे आम निर्वाचनों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सवा लाख से ऊपर है। लगभग इन सभी को मार्ग व्यय तथा भत्ता उनके उच्च अधिकारी द्वारा दिया जायगा जिनके आधीन वे काम कर रहे हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे ऐसे बिलों का भुगतान शीघ्र कर दें। वित्तीय औपचारिकताओं (Financial formalities) के कारण भुगतान करने में कुछ समय लगता है अतः संभव है कि कहीं कुछ देर हो गई हो। इन अधिकारियों को एक बार फिर आदेश दिये जा रहे हैं कि वे इन बिलों का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर दें।

*३६—**श्री लखीसिंह**—[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

विभिन्न आर० टी० ओ० के दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या

*३७—**श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी गाड़ियों और लाइसेंसों की संख्या लगातार बढ़ते हुये भी हर जिले में ट्रांसपोर्ट के दफ्तर क्यों नहीं हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*३८—**श्री हरीसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४८ ई० में गाड़ियों और परिमिटों की संख्या कितनी थी और हर आर० टी० ओ० के दफ्तर में कितने कर्मचारी थे और अब कितने हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५१५ पर)

*३९—**श्री हरीसिंह**—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परमिटों, गाड़ियों तथा लाइसेंसों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई या कब तक बढ़ जाने की आशा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—कर्मचारियों की संख्या में समय-समय पर आवश्यक बढ़ती की गई, इस वर्ष में ४५ पद और बढ़ाए जा रहे हैं ?

*४०-४१—**श्री भगौतीदीन** (जिला जौनपुर)—[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

सारदा कैनाल पैरलल ब्रांच, लखनऊ डिवीजन से माइनर निकालने की प्रार्थना

*४२—**श्री भोखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा कैनाल पैरलल ब्रांच लखनऊ डिवीजन में एक माइनर ग्राम ढखवा के निकट निकल कर ग्राम रामपुर, खंजरी, चांदा बैजा, लहरू, ताल्ही व अल्हों इत्यादि को सिंचाई के लिये पानी देने की योजना पर वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और यह माइनर कब तक बन जाने की संभावना है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*४३—**श्री अहमद बख्श** (जिला मुजफ्फरनगर)—[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले का कटाव

*४४—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में तहसीलवार किन-किन स्थानों पर कटाव जारी है और उसका रकबा क्या है ?

श्री चरणसिंह—विभाग द्वारा गाजीपुर जिले में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण (Survey) अभी तक नहीं किया गया है।

*४५—**श्री कमलासिंह यादव**—उपर्युक्त कटाव रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*४६—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार को मालूम है कि सैदपुर तहसील में रामपुर इत्रवल के पास कोई भूमि-संरक्षण विभाग का कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो वहां क्या प्रगति हुई है ?

श्री चरणसिंह—जी हां। १,००० एकड़ के जलागम क्षेत्र में एक प्रदर्शन योजना १९५९-६० में चलाई गई थी। अब तक ८३१ एकड़ क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य किया जा चुका है।

*४७-४८—**श्री जयगोपाल** (जिला सहारनपुर)—[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४९—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[७ वें गुरुवार के लिए प्रश्न १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५०-५२—**श्री देवदत्त** (जिला उन्नाव)—[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*५३-५४—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री गयाप्रसाद तथा श्री नेकराम शर्मा**—[नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्रश्न ६-७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*५५-५६—**श्री मैनेजर** (जिला बलिया)—[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*५७-५८—**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)—[७वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*५९—**श्री रामकिशोर**—[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

कालपी-राठ सड़क पर बस सर्विस न होना

*६०—**श्री शिवसम्पति शर्मा** (जिला जालौन)—क्या उत्तर प्रदेश सरकार को पता है कि जालौन जिले में कालपी-राठ जिला बोर्ड की पुरानी सड़क है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

*६१—**श्री शिवसम्पति शर्मा**—क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि अस्थायी परमिट तुरन्त देकर इस सड़क पर बस चला कर जनता के कष्टों को दूर करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—परमिट देने का अधिकार रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी को है, सरकार को नहीं।

इटावा जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*६२--श्री सहदेवसिंह--क्या सरकार यह बताने को का कष्ट करेगी कि इटावा जिले म किन-किन राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को कितनी-कितनी पेन्शन या अन्य सहायता सरकार को ओर से मिल रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जिला इटावा में जिन राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को गृह सामान्य विभाग के अन्तर्गत पेंशनों तथा एक मुश्त अनुदान स्वीकृत की जा चुकी है, उनके सम्ब में वांछित †सूचना संलग्न है ।

*६३-६५--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--[७वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

बसों का किराया

*६६--श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका विचार बसों के किराये में वृद्धि करने का है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं ।

*६७-६९--श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ रोडवेज क्षेत्र से सहायक बुकिंग क्लर्कों को हटाने की शिकायत

*७०--श्री रघुवीर--क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के परिवहन विभाग न अप्रैल, सन् १९६१ से कुछ सहायक बुकिंग क्लर्कों को अपने पद से मुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो उनको क्या संख्या है और उनके हटाने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*७१--श्री रघुवीर--क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि अप्रैल, सन् १९६१ से ए० जी० एम० आजमगढ़ के अन्तर्गत क्षेत्र के कितने सहायक बुकिंग क्लर्क अपने पद से हटाये गये हैं और क्या ए० जी० एम० आजमगढ़ ने उनकी पुर्नियुक्ति के लिय किसी उच्चाधिकारी को लिखा है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री मुजफ्फर हसन--किसी सहायक बुकिंग क्लर्क को पद से मुक्त नहीं किया गया, अतः पुर्नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

रोडवेज विभाग में हरिजन ए० टी० आई० क्लर्क तथा कन्डक्टर

*७२--श्री मंगलदेव--क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के रोडवेज विभाग में कितने कन्डक्टर ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--३,३७५ ।

*७३--श्री मंगलदेव--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कन्डक्टरों को प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को नौकरी से हटाकर पुनः दूसरे दिन नियुक्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा केवल उन अस्थायी कन्डक्टरों के मामले में होता है जिनकी नियुक्ति परिवहन आयुक्त द्वारा मंजूर पदों पर होती है। परिवहन आयुक्त एक साथ एक पद को एक वर्ष से ज्यादा समय के लिये मंजूर नहीं कर सकते ।

*७४—**श्री मंगलदेव**—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के रोडवेज विभाग में कुल कितने ए० टी० आई० क्लर्क और कन्डक्टर हैं और उनमें हरिजन कितने हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५१६ पर)

*७५-७६—**श्री चैतन्यराज सिंह** (जिला अलीगढ़)—[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

कुलाबा नम्बर ९८-ए, रजबहा टिकरी, गंगा नहर का स्थानान्तरण करने की प्रार्थना

*७७—**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया** (जिला मेरठ)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका विचार है कि कुलाबा नम्बर ९८-ए रजबहा टीकरी गंगा नहर बुलन्दशहर डिवीजन की पुरानी जगह पर ही लगा दिया जाय जिससे पहिले २७० बीघे भूमि की सिंचाई ग्राम शाहपुर बमैटा में होती थी और अब केवल १४० बीघे की होती है और १३० बीघे भूमि शुष्क रह जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा ।

सई नदी की बाढ़ रोकने की प्रार्थना

*७८—**श्री भोखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सई नदी की बाढ़ को रोकने के लिये क्या उसे गहरा करने व सीधा करने की योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं । व्यय का, प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर जिले में किशुन पुर-नौबस्ता मार्ग का राष्ट्रीयकरण

*७९—**श्री रक्षपाल सिंह** (जिला फतेहपुर) तथा **श्री जगदीश प्रसाद**—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किशुनपुर-नौबस्ता मार्ग, जिला फतेहपुर का बस चलाने हेतु राष्ट्रीयकरण शीघ्र करने वाली है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । निश्चित रूप से समय बतलाना संभव नहीं है ।

फतेहपुर जिले की हथगांव डिस्ट्रीव्युट्री

*८०—**श्री रक्षपालसिंह** तथा **श्री जगदीशप्रसाद**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में रामगंगा नहर (हथगांव डिस्ट्रीव्यूट्री) का निर्माण-कार्य कब तक पूर्ण हो सकेगा तथा उससे सिंचाई के लिये पानी कब से मिलना आरम्भ हो सकेगा ?

श्री राममूर्ति—प्रश्नकर्त्ता का अभिप्राय फतेहपुर जिले में हथगांव डिस्ट्रीव्यूट्री से प्रतीत होता है । इस डिस्ट्रीव्यूट्री का निर्माण-कार्य समाप्त हो चुका है । अभी सिंचाई के लिये पानी केवल जड़हन धान के लिये ही उपलब्ध हो सकेगा ।

*८१-८२—श्री जगन्नाथ (जिला जौनपुर)—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८३—श्री जगरनाथ—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

फतेहपुर जिले में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की बरखास्तगी

*८४—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में पशुपालन विभाग में १९४९-५० में कितने कर्मचारी मुअत्तल किये गये और उनमें जो सबसे अधिक अवधि तक मुअत्तल कर्मचारी रहा हो उसकी मुअत्तली की अवधि क्या रही है और उसे मुअत्तली की अवधि में कितना भत्ता मिला है तथा पूरी अवधि में कितना भत्ता इस प्रकार दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—पशुपालन विभाग के अन्तर्गत फतेहपुर जिले में १९४९-५० में केवल एक कर्मचारी मुअत्तल किया गया था । यह कर्मचारी ८-११-१९४९ से ९-४-१९५४ तक मुअत्तल रहा । इस कर्मचारी की मुअत्तली की अवस्था मे वेतन का तृतीयांश भत्ता दिया गया । इस अवधि में इस संबंध में कुल १,३९८ रुपये ६ नया पैसा भत्ता दिया गया ।

*८५—श्री कैलाश—क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों को क्यों मुअत्तल किया गया था उनको क्या क्या सजायें दी गईं तथा कितने व्यक्ति बहाल कर दिये गये ?

श्री चरणसिंह—इस कर्मचारी के विरुद्ध अयोग्यता, आज्ञा उल्लंघन, दुर्व्यवहार के अभियोग थे जिनके पूर्णतया सिद्ध हो जाने के कारण उसे मुअत्तली की तारीख से सेवा मुक्त (dismiss) कर दिया गया । चूंकि एक ही कर्मचारी मुअत्तल था अतः किसी और को सजा देना या बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*८६-८७—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

हरदोई जिले में "फ्लावर शो" पर व्यय

*८८—श्री मोहन लाल (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में माह फरवरी, मार्च, १९६२ में कोई flower show किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितना धन खर्च हुआ और वह किन-किन साधनों से प्राप्त हुआ ?

श्री चरणसिंह—जी हां, इसमें कुल मिला कर १६३५ रु० १६ न० पै० का व्यय हुआ । यह धन जनता के अनुदान, बुकलेट की बिक्री, प्रवेश शुल्क, उत्तर प्रदेश फ्रूट डेवलपमेंट बोर्ड, जिला गन्ना उत्पादन समिति तथा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट फेडरेशन से प्राप्त हुआ था ।

*८९—श्री मोहनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस flower show में अधिक पुरस्कार किस व्यक्ति को किन-किन चीजों में मिले ?

श्री चरण सिंह—सबसे अधिक पुरस्कार श्रीमती ऊषा वार्दराजन को फल, सब्जी और फूलों की विभिन्न किस्मों पर मिले ।

*९०—श्री मोहनलाल—क्या सरकार यह बतानें की कृपा करेगी कि १९६०-१९६१ में हरदोई जिले में flower show में कितना धन खर्च हुआ था ।

श्री चरणसिंह—१९६०-६१ में इस प्रकार की कोई प्रदर्शनी नहीं हुई ।

*९१—श्री इन्द्रासन (जिला आजमगढ़)—[६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*९२-९३—श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*९४-९५—श्री राजनाथ (जिला गाजीपुर)—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*९६— श्री राजनाथ—[६ वें मंगलवार के लिये प्रश्न १३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९७— श्री भीखालाल—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*९८—श्री झिलमिट झिल्लू (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में अब तक कितने राजनीतिक पीड़ितों को सहायता एवं पेन्शनें दी गईं ?

श्री मुजफ्फर हसन—गाजीपुर जिले में गृह (सामान्य) विभाग द्वारा अब तक ४१३ राजनीतिक पीड़ितों को एक मुश्त आर्थिक सहायता एवं राजनीतिक पेंशनें दी गईं ।

*९९-१००—डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)— [हटा दिये गये ।]

उत्तर प्रदेश विधि आयोग का कार्य

*१०१—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने स्थापना के बाद इस समय तक क्या कार्य किया है ?

श्री सैयद अली जहीर—उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने पुनरीक्षण के लिये राज्य के अधिनियमों की एक सूची तैयार की और इस बात के निर्णय के लिये कि उनको किस क्रम से लिया जाये उक्त सूची सरकार को भेंजी । आयोग ने Foreign Marriages Bill के प्रारूप का परीक्षण करके केन्द्रीय विधि आयोग को भेजने के निमित्त उस पर विस्तृत टिप्पणी दी । अलावा इसके, आयोग ने कृषि भूमि में भूमिधारी, सीरदारी और आसामी अधिकारों से सम्बद्ध मामलों में माल और दीवानी के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भी दी है । साथ ही आयोग ने U.P. (Temporary) Control of Rent & Eviction Act, 1947 का निरीक्षण करने की दृष्टि से उसका परीक्षण प्रायः समाप्त कर लिया है और अब वह संशोधनों के प्रालेख को अन्तिम रूप दे रहा है । साथ ही विधि आयोग इस प्रस्ताव की संवैधानिकता का भी परीक्षण कर रहा है कि सरकारी भूगृहादि से बेदखली तथा उनके किराये की वसूली की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम बनाया जाये ।

*१०२—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१०३-१०४—श्री राधेश्याम—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०५-१०७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सेशन्स जज, उन्नाव के अदालत में लिये गये हरिजन क्लर्क

*१०८—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेशन जज, उन्नाव के अधीन लिपिकों का चुनाव सितम्बर, सन् १९६१ ई० में हुआ था ? यदि हां, तो कितने उम्मीदवार चुने गये थे और उनमें से कितने की तैनाती १५ अप्रैल, सन् १९६२ तक हो गई थी और चुने हुये उम्मीदवारों में कितने हरिजन थे ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, १४ उम्मीदवार चुने गये थे, जिनमें से ११ की तैनाती १५ अप्रैल, १९६२ तक हो गई है। चुने हुये उम्मीदावरों में २ हरिजन थे।

*१०९-१११—**श्री कल्पनार्थसिंह**—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

बनारस में कण्डक्टरों का बकाया वेतन

*११२—**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद रीजन के अन्तर्गत बनारस में सन् १९५४-५५ ई० में कितने ऐसे कन्डक्टर थे जिनसे असिस्टेन्ट बुकिंग क्लर्क का कार्य लिया गया और उन्हें कन्डक्टर ग्रेड से १३ रु० मासिक कम वेतन दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—पांच।

*११३—**श्री माताप्रसाद**—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारियों का कितना वेतन शेष है और उसे चुकाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—४९७.५६ रुपये वेतन बकाया है जिसके भुगतान के लिये बिलों की जांच हो रही है।

*११४-११६—**श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला आगरा)—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर में बस स्टेशन बनाने की योजना

*११७—**श्री रामआसरे** (जिला बाराबंकी)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के फतेहपुर कस्बे में जो बस स्टेशन है उसका भवन किराये पर है या उसके लिये कोई इमारत सरकारी बनी हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह बस स्टेशन किराये की इमारत में है।

*११८—**श्री रामआसरे**—क्या सरकार यात्रियों की बड़ी संख्या उपरोक्त बस स्टेशन से चढ़ती उतरती है इसको देखते हुये यात्रियों के ठहरने की कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। नई इमारत बनवाने का काम जमीन मिलने पर शुरू किया जायेगा।

*११९—**श्री अहमद बख्श**—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२०—**श्री यशपाल**—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२१—**श्री शिवचरण**—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२२-१२३—श्री शिवनाथसिंह—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२४—श्री राधेश्याम—[६वें मंगलवार के लिये प्रश्न १३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१२५—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—[६वें मंगलवार के लिये प्रश्न १३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१२६—१२७—श्री रामकिशोर—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२८-१२९—श्री झिलमिट झिल्लू—[६वें मंगलवार के लिये प्रश्न १३६-१३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

शुद्ध बीज वितरण की योजना

*१३०—श्री भानुप्रतापसिंह—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विचाराधीन कोई योजना है जिसके द्वारा इस बात की व्यवस्था हो सके कि किसानों को शुद्धता एवं बीच के अगाव (germination) के बारे में जो कह कर बीज दिया जायगा वह उसी के अनुसार होगा ?

श्री चरणसिंह—इस प्रकार की योजना बन गई है। इस वर्ष खरीफ से चालू की जायगी ।

*१३१-१३२—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३३—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[६वें मंगलवार के लिये प्रश्न १३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखनऊ-जौनपुर बस सर्विस पर विचार

*१३४—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से सीधे जौनपुर के लिये सुल्तानपुर रुखवा बदलापुर होकर कोई सरकारी रोडवेज की तरफ से बस चलने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह मामला विचाराधीन है ।

*१३५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार के पास जौनपुर से लखनऊ तक बस चलाने के लिये इलाहाबाद डिवीजन के मैनेजर द्वारा मार्च में किसी प्रकार की मांग की गयी थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां ।

*१३६-१३७—राजा विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर)—[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

आम चुनाव में काम करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*१३८—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ फरवरी, सन् १९६२ से २८ फरवरी, सन् १९६२ तक जनरल एलेक्शन में प्रान्त भर में कितने आफिसर्स के खिलाफ (इलेक्शन में किसी पार्टी का काम करने के सिलसिले में) अर्जियां पड़ी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१३९---श्री सोहनलाल धुसिया---उस सिलसिले में कितने मुकदमें दायर हुये हैं और कितनों पर departmental action लिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---सूचना एकत्रित की जा रही है।

कैथा ग्राम में जहरीला गेहूं उत्पन्न होने की जांच

*१४०---कुंवर श्रीपाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि बाराबंकी जनपद की तहसील फतेहपुर के बिलहरा क्षेत्र के कैथा गांव में अभी हाल ही में कोई काले रंग का जहरीला गेहूं पाया गया है जिसके खाने से कुछ लोग परलोक वासी हो गये तथा उसकी जांच प्रदेशीय कृषि विभाग कर रहा है ? यदि हां, तो अब तक की जांच का क्या परिणाम निकला है ?

श्री चरणसिंह---बिलहरा क्षेत्र के कैथा ग्राम में कहीं-कहीं किन्हीं खेतों में गेहूं के पौधे में मौसम खराब रहने के कारण 'कन्डुवा' लग गया था। जिसके कारण कुछ गेहूं काला पड़ गया था। लेकिन यह गेहूं जहरीला नहीं था और न कोई व्यक्ति इसके खाने से मरा। इसकी जांच कृषि विभाग ने कर ली है और अब इस पर किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। समाचार का खंडन भी जिलाधीश बाराबंकी ने कर दिया है।

*१४१---कुंवर श्रीपाल---[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

सचिवालय में कूलरों पर व्यय

*१४२---कुंवर श्रीपाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ सचिवालय में जो कई स्थानों पर पानी ठंडा करने वाले कूलर लगे थे वे क्यों हटा दिये गये तथा उक्त योजना पर कुल कितना व्यय हुआ था ?

श्री राममूर्ति---सचिवालय में ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए १० कूलर लगे थे। उस योजना में लगभग २२,००० रुपया खर्च हुआ। इनमें से ४ कूलर जिनके अन्दर गैस समाप्त हो गई थी, मरम्मत के लिये निकाल लिये गये।

रोडवेज विभाग का आय-व्यय

*१४३---श्री रामसुन्दर शास्त्री---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज का कितना आय-व्यय रहा और उसमें उक्त विभाग के कर्मचारियों पर कितना खर्चा किया गया ?

श्री मुजफ़्फर हसन---सन् १९६१-६२ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज की आय लगभग ११,३९,७७,५४५ रु० हुई तथा व्यय लगभग ९,२०,११,७७४ रु० हुआ। उसमें से कर्मचारियों के वेतन तथा मंहगाई भत्ते पर लगभग २,५८,३१,४०८ रु० व्यय हुआ।

*१४४---श्री रामसुन्दर शास्त्री---क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ के वर्ष में ट्रकों (ठेलों) तथा टैक्सियों से कितनी आमदनी हुई तथा अगले वर्ष में इनसे आमदनी बढ़े इस सिलसिले में क्या सोच रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---सन् १९६१-६२ में रोडवेज को ट्रकों तथा टैक्सियों द्वारा क्रमशः लगभग १५,१७,१४५ रु० व ५,४५,६७३ रु० की आमदनी हुई। ट्रकों तथा टैक्सियों के प्रसार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

*१४५—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज में इस समय कितनी बसें, ट्रकें और टैक्सियां हैं और १९६२-६३ के साल में उन्हें कितना और बढ़ाने को सोच रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सन् १९६१-६२ के अन्त में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज में कुल ३,३११ बसें, १४५ ट्रकें और ९३ टैक्सियां थीं। सन् १९६२-६३ में २०० बसें बढ़ाने का विचार है। ट्रकों तथा टैक्सियों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

*१४६-१४७—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—[७वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

संडीला विकास क्षेत्र में ऊसर भूमि को कृषि भूमि बनाना

*१४८—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि को कृषि योग्य भमि बनाने की जो योजना बनाई गई है उस योजना के अन्तर्गत जिला हरदोई में क्या ऐसी ऊसर भूमि कृषि योग्य बनाई गई ? यदि हां, तो कितनी और कहां-कहां ?

श्री चरणसिंह—जी हां। यह योजना हरदोई जिले के संडीला विकास क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चालू की गई है। पिछले वर्ष १९६१-६२ के अन्त तक कुल ४ गावों अर्थात् सैक, टिकरा बरार, सोम एवं ककरैली में यह कार्य सम्पन्न किया गया। लगभग २९ एकड़ भूमि में मेड़ बन्दी, समतल एवं रसाव कार्य किया गया।

*१४९-१५१—श्री रामलखन (जिला वाराणसी)—[७वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१५२-१५३—श्री कल्याण चन्द मोहिले—[७वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१५४-१५५—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[७वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१५६—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—[७वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

*१५७-१५९—श्री गेंदासिंह—[६ वें मंगलवार के लिए प्रश्न १३९-१४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१६०—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—[वापस ले लिया गया]

परासी नाले पर जिगिना गांव के निकट रेगुलेटर की मरम्मत की आवश्यकता

*१६१—श्री भानुप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती तहसील डुमरियागंज में परासी नालें पर जिगिना गांव के निकट रेगुलेटर किस उद्देश्य से और कब बनवाया गया था ? बनवाने में कितना व्यय हुआ था, कितने बार वह रेगुलेटर टूटा और कितनी बार उसकी मरम्मत हुई, अन्तिम बार वह कब टूटा और उसके बाद उसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई, बार-बार टूटने का क्या कारण है तथा क्या पुनः उसको मरम्मत करा कर ठीक कराने का सरकार का विचार है ?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

फतेहपुर जिले में सिजौली माइनर को बढ़ाने की प्रार्थना

*१६२—श्री रामकिशोर—क्या सिचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि फतेहपुर डिवीजन के अन्तर्गत फतेहपुर जिले में पड़ने वाली सिजौली माइनर की लम्बाई बढ़ाई जाने के लिये पैमाइशें की गई हैं? यदि हां, तो किस-किस साल में ?

श्री राममूर्ति—सिजौली माइनर को बढ़ाने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

*१६३—श्री रामकिशोर—क्या निकट भविष्य में सरकार सिजौली माइनर को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसके बढ़ने की कब तक सम्भावना है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

*१६४—श्री रामकिशोर—उपर्युक्त विचाराधीन प्रस्ताव कब तक अमल में लाया जायेगा क्या सरकार बतायेगी कि इस माइनर की बढ़ने वाली लम्बाई कितनी होगी और किस-किस गांव की जनता उससे लाभान्वित हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

चिल्लूपार परगने में घाघरा का कटाव

*१६५—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सिचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले के बांस गांव तहसील के चिल्लूपार परगना में कितने गांव घाघरा और राप्ती नदी से कट कर पार में चले गये हैं और कितने गांवों में आज भी कटाव जारी है ?

श्री राममूर्ति—२० गांव पूरी तरह पार में चले गये हैं और ३४ गांवों में कटाव जारी है।

*१६६—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि उपरोक्त नदियों से कटे हुये गांवों में प्रत्येक की जनसंख्या क्या है और सरकार उन व्यक्तियों को बसाने, रोजी-रोटी का प्रबन्ध करने जा रही है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न १६५ के उत्तर में उल्लिखित २० गांवों में से १३ ग्राम गैर आबाद थे। शेष ७ ग्रामों की जनसंख्या तथा उनको दी गई सहायता का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५१७ पर)

*१६७—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नदियों का कटाव न रोकने की वजह से उक्त परगने में कितनी भूमि १३२३ फसली के बाद किस-किस गांव की आज तक नदी में चली गई है और उससे सरकार को अनुमानित राजस्व का कितना घाटा उठाना पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति—यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है स्थिति यह है कि यह ग्राम एहतमाली है इनका मालगुजारी घटती बढ़ती रहती है जिसे राजस्व में घाटा नहीं कहा जा सकता।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५१८-५१९ पर)

बरेली जिले में उतरसिया नलकूप से आय

*१६८—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के अन्तर्गत राजकीय नलकूप उतरसिया से विगत ५ वर्षों में प्रति वर्ष सिंचाई द्वारा कितनी आय हुई है ?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५२० पर)

गाजीपुर जिले में नलकूप

*१६९—श्री झिलमिट झिल्लू—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में अब तक कितने सिंचाई के नलकूपों का निर्माण हुआ और किन-किन स्थानों पर ?

श्री राममूर्ति—गाजीपुर जिले में मार्च, १९६२ तक १६२ नलकूपों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। २१ पर निर्माण-कार्य जारी है। १८३ नलकूपों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५२१–५२३ पर)

*१७०—श्री झिलमिट झिल्लू—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में कितने नलकूप लगाने की योजना है?

श्री राममूर्ति—२० नलकूप ।

प्रश्नों के कथित असत्य उत्तर पर आपत्ति

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है। संयोग से मेरे प्रश्न संख्या १६५, १६६ और १६७ नत्थी (ग) में चले गये थे और इनके पूर्व स्थगन की तिथि भी इसमें लिखी हुई है। इस सम्बन्ध में निवेदन यह करना है कि सिंचाई मंत्री की ओर से जो जवाब आया है वह तथ्यों को छिपा कर सदन में रखा गया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सिंचाई मंत्री जी इस सम्बन्ध में पुनः जांच करके इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

२९ मई, १९६२ के 'नेशनल हेराल्ड' में श्रीमती सुशीला रोहतगी, के नाम के आगे स्वायत्त शासन मंत्री लिखने पर आपत्ति

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, प्रश्न ही के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है, यह बड़ा जरूरी है। एक न्यूज आइटम नेशनल हेराल्ड में २९ तारीख को निकला है। यह कल माननीया सुशीला रोहतगी जी का जो एक अल्पसूचित प्रश्न था उसके सम्बन्ध में है—

"Overbridge or sub-way at Kanpur level crossing—An overbridge or subway is soon to be constructed at the level crossing on the Mall Road in Kanpur near the Murray Company as soon as the Kanpur Municipal Corporation takes decision in the matter, this was revealed in the Legislative Council to-day by Mrs. Sushila Rohatgi, Minister for Local Self-Government."

इतना ही नहीं, सप्लीमेंटरी हुआ वह भी सुन लें . . . .

श्री अध्यक्ष—वह मैं भी पढ़ लूंगा। अगर गलती हो गयी है तो उसे दुरुस्त करा दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण—मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीया सुशीला रोहतगी किसी पद पर आसीन कर दी गयी हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी भाई साहब ने पढ़ कर सुनाया, आज सबेरे मेरे पास कानपुर से एक टेलीफोन यही आया कि इस प्रकार नेशनल हेराल्ड में यह निकला है और उसमें मेरे मंत्री होने के अलावा सप्लीमेंटरी भी मैंने पूछा है जबकि उस समय इत्तफाक से मैं हाउस में उपस्थित भी नहीं थी इसलिये सप्लीमेंटरी करने का कोई सवाल ही नहीं था और किसी अखबार वाले से कल से आजतक न तो मेरी मुलाकात ही हुई है और न बातचीत ही हुई है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—पहले एक प्रश्न खत्म हो जाने दीजिये, आप कृपा कर बैठें। जो समाचार-पत्रों में निकाला है वह मैंने देखा नहीं है। माननीया सुशीलाजी का भी बयान हो चुका है। जहां गलती हो गयी है वहां दुरुस्त कर ली जायगी, ऐसी मुझे आशा है। समाचार-पत्र वाले, जो यहां पर हैं वे, इस बात को देख लेंगे।

सूचना निदेशालय की डायरी की मांग

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—अब मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखता हूं। प्रश्न यह है कि सूचना विभाग की ओर से नव-निर्वाचित सदस्यों को इस वर्ष डायरियां नहीं दी गयी हैं जबकि पुराने सदस्यों को दी गयी हैं। तो यह एक तरह से पक्षपात ही है। इसलिये सूचना विभाग को आप आदेश करें और कहें कि वह नव-निर्वाचित सदस्यों को भी डायरियां दे।

श्री अध्यक्ष—आप मुझसे बात कर लीजियेगा। मेरी समझ में नहीं आया कि आप क्या कह गये।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, जो बात मैंने अपने प्रश्नों के सिलसिले में कही थी उस सिलसिले में मैं इस सदन के नियमों की अवहेलना को ले कर माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना आपको देता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह लिख कर दे दीजियेगा।

मुख्य मंत्री द्वारा २६ मई, १९६२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ व २ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के कथित गलत उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयी है। पूर्व इसके कि मैं उसको लूं, मुख्य मंत्री महोदय का एक पत्र मेरे पास आया है उसको मैं पढ़ कर सुना रहा हूं।

"दिनांक २६-५-१९६२ को श्री रियासत हुसैन द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ व २ के संबंध में श्री रामायण ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि जिन साहब को डी० आई० जी० बनाया गया है उनका नाम क्या है और उन्होंने मिस्टर स्पीयर्स के अलावा और किन-किन को सुपरसीड किया है।

मुख्य मंत्री द्वारा २६ मई, १९६२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ व २ से संबद्ध ४४५ अनुपूरक प्रश्न के कथित गलत उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "उनका नाम श्री गोविन्दचन्द है और यदि जाति बिरादरी की बात पूछी जाती है तो वे कायस्थ हैं ।" उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है—"कि उनका नाम श्री गोविन्दचन्द है और यदि जाति बिरादरी की बात पूछी जाती है तो वे पहाड़ी राजपूत ठाकुर हैं ।"

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—श्रीमन्, हमारा जो विशेषाधिकार का प्रश्न है. . . .

श्री अध्यक्ष—पूर्व इसके कि इस प्रश्न को सदन के सम्मुख रखूं मैं संबंधित व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लाया गया है, उससे पूछ सकता हूं । आपका ध्यान में नियम ६४ के परंतुक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि "परन्तु यदि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष ही की गई हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा;

किन्तु शिकायत यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति देने के पुर्व सदस्य की सफाई को सुनेंगे" तो इस संबंध में मेरे पास सूचना आ गई है और संबंधित माननीय सदस्य ने अपने शब्दों को वापस लिया और उसको दुरुस्त कर दिया है। ऐसी व्यवस्था में मैं नहीं समझता कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है । उन्होंने अपनी गलती को परिशोध कर दिया है ।

श्री काशीनाथ—श्रीमन्, यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है तो इसको पढ़ने के बाद आप नियम ६४ में सफाई ले सकते थे ।

श्री अध्यक्ष—यह गलत बात है । सदन में मैंने कहा तो उन्होंने अपनी गलती का परिशोध कर दिया, अतः अब यह सवाल नहीं उठता ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न उठता है प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार इस सदन के क्या हैं ? क्या संविधान के अनुच्छेद १९४ (१) के अन्दर नहीं उठ सकता है । मेरा ख्याल है कि यहां पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठ सकता है । यहां पर तो गलत बात कहने पर भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है । इसलिये इस सदन के विशेषाधिकार क्या हैं इसकी विवेचना कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—हम आपके आभारी हैं । विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता, यह मैं कह रहा हूं ।

श्री दीपनारायणसिंह—सदन के क्या विशेषाधिकार हैं, यह साफ कर दें ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें ।

सोशलिस्ट पार्टी की मागों के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब श्री नरसिंहनारायण, राधेश्याम, शिवनाथसिंह, चन्द्रबलीसिंह, गिरजाप्रसाद तथा मेड़ीलाल जी ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है । अगर इस विचार से दिया गया हो कि कल की तरह से सदन का परित्याग करना चाहते हों तो दूसरी बात है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, आप बिना पढ़े माननीय सदस्य की नीयत कैसे घोषित कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—यह पहले से प्रिलूड हो तो बात दूसरी है, नीयत का प्रश्न नहीं है वरना कामरोको प्रस्ताव का न यह रूप है और न कारण है । मैं इसलिये इसको पढ़कर सुनाये देता

[श्री अध्यक्ष]

हूं कि अगर इस प्रकार के कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आयें और उनको मैं अपने कमरे में ही अस्वीकृत कर दूं तो कभी-कभी माननीय सदस्यों की शिकायत होती है । प्रस्ताव इस प्रकार है कि—

"आगामी १ जून को राज्य सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित हजारों किसानों द्वारा लखनऊ में राज्य सरकार के सम्मुख होने वाले प्रदर्शन के सिलसिले में सोशलिस्ट दल के नेता श्री उग्रसेन ने आदरणीय सदन में नियम ५२ के अन्तर्गत अनेक बार सोशलिस्ट पार्टी द्वारा रखी गई पांच जनकल्याणकारी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया और उन जन कल्याणकारी मांगों के प्रति सरकार ने बराबर उदासीनता और उपेक्षा की नीति बरती । सरकार की इस जनहित विरोधी उदासीनता और उपेक्षापूर्ण नीति के फलस्वरूप २८-५-६२ को विधान सभा में मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर श्री उग्रसेन जी के निलम्बन की खेदपूर्ण घटना घटी । सोशलिस्ट पार्टी द्वारा प्रस्तुत लोक कल्याणकारी मांगों के प्रति सरकार ने जो उपर्युक्त ढंग पर उपेक्षापूर्ण अप्रजातांत्रिक नीति अपनाई है, उसके फलस्वरूप सारे प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध हो गया है ।

अतः यह सदन जनहित मांगों के प्रति चर्चा हेतु आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

मैं समझता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव का विषय बिलकुल नहीं है । जो सदन में कल आदेश दिया गया उसकी आलोचना नहीं हो सकती, चाहे फिर माननीय उग्रसेन जी का निलम्बन खेदपूर्ण हो या न हो, किन्तु नियमों के अन्तर्गत हुआ । यह प्रश्न कामरोको प्रस्ताव के रूप में नहीं आ सकता ।

दूसरे, जैसा कि मैंने निवेदन किया था सोशलिस्ट पार्टी की मांगें कोई नयी नहीं हैं, उसके सम्बन्ध में इस सदन के अन्दर और बाहर जो सरकार का मत है वह व्यक्त हो चुका है ।

फिर पहली जून को आप आन्दोलन करने जा रहे हैं, यह आप का काम है । हो सकता है कि पहली जून को प्रदर्शन हो या न हो । इसलिये भविष्य की काल्पनिक घटना के ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एक तो जो आपने कहा और कल भी जिसकी तरफ इशारा किया था कि पांच साल से मुतवातिर सोशलिस्ट पार्टी की मांग रही है और उसी मांग को आज भी दोहराया जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी आप व्यवस्था देते हैं, या जो भी बात कहते हैं उसका एक बड़ा महत्व होता है ।

श्री अध्यक्ष—आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री नरसिंह नारायण—मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा यह मुख्य मंत्री जी को कहने का हक है । हम आपका आदर करते हैं । उस आदर और सम्मान को जो हम आपके प्रति रखते हैं या माननीय सदन रखता है, उसको कायम रखते हुए अगर वही बात आप माननीय मुख्य मंत्री से कहलाने की कृपा करते तो हम आपके बड़े अनुगृहीत होते ।

श्री अध्यक्ष—मैं तो नियमों का पाबन्द हूं । अगर नियम मुझे इस बात के आदेश देते हैं कि मैं किसी विशेष व्यक्ति से किसी प्रकार का बयान या वक्तव्य इस आदरणीय सदन के समक्ष दिलाऊं तो उस नियम का मैं पालन करूंगा । अगर आप यह चाहते हैं कि कोई नियमों द्वारा जो बात सम्भव न हो सके तो भी मैं किसी सदस्य से बयान दिलाऊं तो मैं स्वयं, जिन नियमों का पालन करवा रहा हूं, उनको कैसे तोड़ सकता हूं ? मैं क्षमा चाहता हूं । मैं विवश हूं ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—निवेदन यह करना चाहता हूं कि सदन में परम्परा यह रही है कि जो सूचनाएं, चाहे वह कामरोको की हों या नियम ५२ की हों, जिन्हें

आप अपने कक्ष में अस्वीकृत कर देते हैं, वे सदन में पढ़ी नहीं जाती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत आज यह सूचना पढ़ी गयी और क्या यह परम्परा आगे भी कायम रहेगी या नहीं ? इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को अपने विचारों से अवगत कराना चाहता हूं। जब मैं समझता हूं कि किसी विशेष सूचना को सदन के सामने रख दूं, तो मैं उस प्रकार की प्रक्रिया अपने लिये बरतता हूं। अगर मैं समझूं कि किसी विशेष सूचना को मुझे सदन के समक्ष रखना चाहिये तो मैं रख देता हूं। जहां मैं समझता हूं कि जरूरत नहीं है, वहां मैं नहीं रखता। तो यह मेरे विवेक पर निर्भर है और. . . (व्यवधान)

अब उस पर बहस नहीं हो सकती। मैंने जो व्यवस्था दी उस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

श्री अध्यक्ष—व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। जो कुछ मैंने कहा, उस पर विचार-विनिमय नहीं होगा।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)— अध्यक्ष जी, मेरी बात आप सुन लीजिये . . . .

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइए। नियम ५२ के अन्तर्गत. . . .

श्री चन्द्रबली—आप कहते हैं कि सब पुरानी मांगें हैं। उसमें पांचवीं मांग नयी है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—अच्छा, आप बैठिए।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कई एक सूचनायें आयी हैं। मुझे खेद है कि नियम ५२ के अन्तर्गत किसी सूचना को मैं इतने महत्व का नहीं समझता कि उसको स्वीकार करूं। अतः वह सब अस्वीकृत हो गईं।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, प्रदेश भर में गरमी इतने जोरों से पड़ रही है, छः आदमी वाराणसी में मर गये, लखनऊ में पानी का अभाव है और जगह-जगह से ऐसी सूचनायें आ रही हैं और आप कहते हैं कि कोई आवश्यक सूचना नहीं है. . . . . .

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—अध्यक्ष जी, अब आप मेरी बात सुन लीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल भी जिस वक्त आपके सामने यह पेश हुआ था उस वक्त आपने कहा था कि आपकी मांगें तो बराबर ५ साल से चली आ रही हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी, सरकार उसका स्पष्टीकरण करती आयी है, तो श्रीमन्, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अध्यक्ष हैं या प्रधान मंत्री ? यह दोनों काम आप कैसे करते हैं ? आप मुख्य मंत्री हैं या अध्यक्ष ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइए।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय. . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। देखिये, प्रकृति को तो सरकार नहीं रोक सकती। गरमी तो बढ़गी. . . . . .

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—लेकिन कम से कम रिक्सा वालों को मारने से तो बचा सकती है, पानी की व्यवस्था तो कर सकती है । यहां सदस्यों तक को पानी नहीं मिलता .....

श्री अध्यक्ष—आपने जिस रूप में दिया है उस रूप में वह नहीं आता है । माननीय परिवहन मंत्री.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—परिवहन मंत्री बोल लें, तब आपको जो कुछ कहना हो, कह लें ।

बद्रीनाथ और गंगोत्री तीर्थ मार्ग पर चलने वाली बसों के आपरेटर्स द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, दफा ५२ के मातहत ध्यान आकर्षित करने का जो प्रस्ताव आया है, उस सम्बन्ध में मुझे यह अर्ज करना है कि पिछले कई सालों से टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी के प्राइवेट मोटर मालिकान टेहरी-गढ़वाल मोटर ओनर्स कारपोरेशन लिमिटेड, ऋषीकेश के मातहत अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। यह कारपोरेशन कम्पनीज ऐक्ट के मातहत रजिस्टर्ड है। हलाकि गाड़ियों के परमिट निजी तौर पर लोगों के नाम से होते हैं लेकिन गाड़ियों का इन्तजाम तथा यात्रियों की बुकिंग आदि में सहूलियत के ख्याल से उन लोगों ने यह कारपोरेशन बनाया है। गाड़ियों से जो आमदनी होती है उसे एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उसमें से करीब सवा छः प्रतिशत् खर्चा काटकर बाकी रकम मेम्बरों में, गाड़ियों के माइलेज के हिसाब से, कारपोरेशन द्वारा तकसीम कर दी जाती है। इस कारपोरेशन में मुस्तकिल परमिटों की तादाद इस समय १५४ है जिसमें सवारी गाड़ियां और ट्रक दोनों शामिल हैं। इनमें से ४४ गाड़ियों के मालिकों ने २०-५-६२ को, कारपोरेशन को एक नोटिस दिया है जिसमें कारपोरेशन के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया है और इस बात की मांग की गयी है कि आमदनी का बटवारा रोजबरोज किया जाय और ऐसा न होने पर गाड़ियां चलना बन्द कर देने की धमकी दी गयी है। चूंकि प्राइवेट आपरेटरों और कारपोरेशन के दरमियान का झगड़ा तय नहीं हो सका इसलिये २३–५–६२– से १५ गाड़ियों का चलना बन्द हो गया है। २७–५–६२ का आर० टी० ओ० की टेलीफोन की इत्तला के मुताबिक ४४ में से २७ गाड़ियों का चलना बन्द हुआ है। बाकी १७ गाड़ियों के मालिकों ने, ऐसा मालूम पड़ता है कि बाद में अपनी राय बदल दी और उनकी गाड़ियां अब भी कारपोरेशन के मातहत चल रही हैं। दोनों पार्टियों के बीच झगड़े को तय करने की ट्रान्सपोर्ट विभाग की ओर से और जिला अधिकारियों की ओर से कोशिश की गयी लेकिन अभी तक समझौते की कोई शक्ल नहीं बन सकी। आर० टी० ओ०, देहरादून द्वारा मोटर विहिकिल्स ऐक्ट की दफा ६० (१) (ई) के मातहत उन २७ मोटर मालिको को नोटिस दे दी गयी है कि उनके परमिट क्यों न रद्द कर दिये जांय क्योंकि उन्होंने बिना किसी कारण गाड़ियों का चलाना बन्द कर दिया है। इन २७ गाड़ियों का चलना बन्द हो जाने के कारण यात्री मार्ग पर जगह-जगह यात्रियों का जमा हो जाना स्वाभाविक है। २७–५–६२ को ऋषिकेश में रुके हुए यात्रियों की कुल तादाद १,७०१ थी। नोटिस के देने वाले आपरेटर्स में एक व्यक्ति ने कारपोरेशन को तथा आर० टी० ओ० को यह भी सूचना दी है कि यदि उनका झगड़ा तय नहीं हुआ तो वह २९–५–६२ से भूख हड़ताल करेंगे।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो गाड़ियां बन्द हुई हैं, इस सम्बन्ध में उनके आपरेटर्स ने मुख्य मंत्री जी को इस बात का तार दिया था कि वहां पर जो परिवहन विभाग के अधिकारी स्थानीय हैं उनके हस्तक्षेप से स्थिति और भी उलझ गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसी कोई बात सरकार के सामने नहीं आई है।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन गाड़ियों के बन्द हो जाने से जो यात्री पूरे हिन्दुस्तान से यात्रा पर हजारों की तादाद में गये और उनको वहां रुकना पड़ा तो उनको ठीक समय से वापस लाया जा सके और उनको दिक्कत न हो, सरकार इसके लिये कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, यह बड़ी तकलीफदेह बात है। गवर्नमेंट के उनके दरमियान समझौते की कोशिश कर रही है। अभी भी कोशिश की गयी है और हाल की खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, टेहरी और आर० टी० ओ० ने ३१ तारीख को दोबारा लोगों को बुलाया है कि यह बात आपस में तय हो सके।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोशिश के बावजूद भी जो यात्री हैं वह वहां पड़े हुये हैं, और उनकी कठिनाई यह है कि उनके पास जो खर्चा है, सामान है उसके खत्म हो जाने से पहाड़ी स्थान में रुकने से उनको बहुत असुविधा हो रही, सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि प्राइवेट बसेज या सरकारी बसेज वहां पर चलाने की व्यवस्था की जाय ताकि उनको लौटा सके ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैं पहले भी यह अर्ज कर चुका हूं कि वहां पर एक खास किस्म की गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं और इस तरह की गाड़ियां इस वक्त सरकार के डिस्पोजल में नहीं हैं। अगर वे गाड़ियां जो मैदान में इस्तेमाल होती हैं वहां पर इस्तेमाल हो सकती तो काफी मात्रा में सरकार उनको वहां के लिये भेज सकती थी। जो कठिनाई है उसका हल गवर्नमेंट के पास इस वक्त नहीं है।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—यह देखते हुये कि यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं क्या सरकार इस प्रश्न पर बिचार करेगी कि उस रास्ते पर रोडवेज की गाड़ियां चलाई जांय अगर इस वक्त गाड़ियां छोटी काफी नहीं हैं तो सरकार यह नीति अखतियार करेगी कि छोटी गाड़ियां स्पेशल तरीके से तैयार कराकर पहाड़ी रास्तों पर चलाई जायं उन गाड़ियों के साथ जो प्राइवेट गाड़ियां के इस समय चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—इस समय ये गाड़ियां तैयार कराकर थोड़े ही चला सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी सहूलियत के तौर पर कुछ टैक्सी या विशेष तरह की छोटी गाड़ियां, जीप या स्टेशन वैगन, इस समय वहां भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—टैक्सी से यह मसला हल होता दिखाई नहीं देता।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने बतलाया कि ३१ मई को फिर आर०टी०ओ० आदि प्रयास कर रहे हैं कि मसला हल हो जाय, लेकिन यदि यह मसला हल न हुआ तो क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि जितनी मोटरें इस रूट पर चलती हैं उनको रिक्विजिशन कर के उन यात्रियों को उन के द्वारा वापस बुलाया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस पर भी विचार किया जा सकता है। यह भी मैं बतला दूं कि एक डेपुटेशन यहां आया हुआ है और मैंने उनको यहां से फुरसत पाने के बाद मिलने का वक्त दिया है। उनसे भी बात की जायगी। मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि आप बिना शर्त गाड़ियां चलाना शुरू कर दें और आपका मसला हल किया जायगा।

श्री राम सुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कुछ आस पास की सड़कों पर उसी ढंग की रोडवेज की बसें चलायी जाती हैं तो क्या उनमें कुछ काट छांट कर के सरकार उन सड़कों पर बसों को चलाने के लिये तैयार है ?

श्री मुजफ्फर हसन—उस तरफ की तमाम सड़कों में गाड़ियां नाकाफी हैं ।

श्री गंगाधर (जिला चमोली)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में कितने यात्री पड़े हुये हैं ऐसे, जो नीचे नहीं आ सकते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—निश्चित तादाद तो मेरे पास खाली ऋषिकेश की है और मैंने यह कहा कि हर जगह पर लोग जमा हो गये हैं ।

श्री गंगाधर—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि कोटद्वार और श्रीनगर में किस माडल की गाड़ियां चलती हैं और वहां रोडवेज की किस माडल की गाड़ियां हैं ?

श्री मुजफ्फरहसन—मेरे पास इस वक्त माडल के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी जिसमें इस प्रकार की हड़ताल हो गयी और दसदिन तक यात्रियों को वहां रुकना पड़ा । यह एक राष्ट्रीय सवाल है । तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार को लिखेगी कि जो डिफेंस की, मिलिटरी की गाड़ियां हैं उनको भेज कर उन यात्रियों को वापस बुला लिया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे यह वाकफियत नहीं है कि इस तरह की कोई गाड़ियां हैं । मैंने यह अर्ज किया कि अगर यह मामला तय न हो तो क्या-क्या तरीके अख्तियार किये जा सकते हैं, इस पर विचार किया जायगा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या सरकार इस मार्ग के महत्व को देखते हुये उस सम्पूर्ण मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने की कृपा करेगी ।

श्री अध्यक्ष—यह तो एक अलग प्रश्न है ।

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)—क्या मंत्री जी को सूचना है कि आपरेटर्स और मालिकों के बीच में जो झगड़ा है वह इस वजह से कि आपरेटर्स को आमदनी नहीं मिलती थी और इस वजह से एक नोटिस उन्होंने फरवरी में दिया था कि हमारी आमदनी ३१ मार्च तक दे दी जाय और उसके बाद हम कोआपरेशन से अपनी गाड़ियां अलग रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—अब सूरत यह है कि मंत्री जी ने दो बातें बतलायीं । एक तो यह कि एक डेपुटेशन आया हुआ है, उससे बात चल रही है और उन से बातकर के कि वे चाहते हैं कि गाड़ियां चलवा दें । दूसरे, ३१ मई को वहां एक मीटिंग हो रही है । उसमें अगर मामला तय हो गया तो ठीक, नहीं तो आपने कहाकि अगर तय न होगा तो प्रत्येक संभव उपाय करेंगे कि किस प्रकार से यात्रियों को वहां से वापस बुलाया जाय । इस के आगे, इस सम्बन्ध में, आप अब प्रश्न पूछें ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या परिवहन मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि गाड़ियों की कमी की वजह से राशन यात्रियों के पास या चट्टियों तक नहीं पहुंच रहा है और उससे वहां भुखमरी की स्थिति व्याप्त हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष—वे कहां कहते हैं कि भुखमरी है ।

श्री गंगाधर—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जिस प्रकार से कोटद्वार से श्रीनगर तक प्राइवेट आपरेटर्स के साथ-साथ रोडवेज की बसें भी चलती हैं उसी प्रकार यहां बद्रीनाथ और गंगोत्री मार्ग पर भी प्राइवेट आपरेटर्स के साथ-साथ रोडवेज की गाड़ियां चलती रहें उस समय तक जब तक कि यह उनका झगड़ा तय न हो जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—गाड़ियों की कमी का सवाल है, हम तो सभी गाड़ियां चला देते ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---जब तक यह समझौता पूरा न हो जाय तब तक वहां के यात्रियों के लिये रहने तथा भोजन आदि की सामग्री सुलभ कराने के लिये सरकार ने क्या प्रबंध किया है ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस तरह का प्रबंध तो पहले से ही हो गया था जगह-जगह अब वह कम पड़ जाय उसकी बात दूसरी है, लेकिन यह कोशिश की गयी है कि वहां सामान काफी पहुंचाया जाय ।

श्री गंगाधर---इस बात को देखते हुये कि अल्मोड़ा और नैनीताल मार्ग पर जो रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं वे किसी दूसरे प्रकार की नहीं हैं, वही हैं जोकि दूसरे मार्गों पर प्रदेश में चलती हैं, क्या सरकार इसी प्रकार का प्रबंध वहां के लिये भी करायेगी तब तक के लिये जब तक कि यह मोटर-आपरेटर्स का झगड़ा तय नहीं हो जाता ।

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने अर्ज किया कि हर जगह गाड़ियों की कमी है । मैंने साथ-साथ यह भी अर्ज किया कि अगर यह मसला हल नहीं होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा, जो कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे ।

श्री उग्रसेन के निलम्बन के संबंध में दी गयी सूचना पर आपत्ति

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । माननीय उग्रसेन जी को निकालने के बारे में जो सूचना बटी है उसमें विशेष बात यह है कि यहां तो संकल्प यह हुआ था कि उनको सदन से दो दिन के लिये निलम्बित किया जाय मगर इस पत्र में तो उनको परिसर में न घुसने देने की आज्ञा छपी है । परिसर की परिभाषा और सदन की परिभाषा अलग-अलग है । उनको सदन से ही निलम्बित करने का संकल्प था, परिसर में न घुसने देने के लिये नहीं । तो इसको आप देख लें । उनको परिसर में आने से क्यों रोका जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष---इसको हम बातचीत करके समझ लेंगे । मैंने इसको देखा नहीं है । लेकिन जहां तक मुझे याद है, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने जब एक विशेष व्यक्ति को निलम्बित किया था तो वह भी यही था और सदन से निलम्बित करने का अर्थ मैं समझता हूं यही होता है कि वे परिसर में न आने पायें । मैं इसको देख लूंगा, अगर इसमें कोई गलती होगी तो ठीक कर दिया जायेगा ।

गोरखपुर जिले के नौतनवां उपनगर में बम विस्फोट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब गोरखपुर जिले के नौतनवां उपनगर में बम फूटने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नरसिंह नारायण जी द्वारा जो नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित किया गया है उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में, मैं आपकी आज्ञा से निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं । ३ मई, १९६२ को प्रातः लगभग ९-१५ बजे नौतनवां कस्बे के एक मकान में जोर का धमाका हुआ । इस मकान के मालिक श्री विजय कुमार हैं । मकान उन्होंने किराये पर दे रखा है । इसमें तीन मंजिलें हैं और विभिन्न मंजिलों में अलग-अलग लोग रहते हैं । धमाका मकान की सबसे ऊपर की मंजिल में हुआ था । धमाके से मकान को अधिक हानि नहीं हुई, परन्तु जिस कमरे में यह धमाका हुआ था उसके दरवाजे की बन्द करने की छड़ें टूट गई हैं । धमाका सुनते ही कान्सटेबिल चन्द्रशेखर जो नौतनवां में

[श्री नवलकिशोर]

तैनात हैं और उस समय शहर की गश्त लगाने की ड्यूटी पर थे, घटनास्थल पर पहुंच गये। और भी पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने मकान का घेरा डाल दिया। वहां पर एक व्यक्ति को घायल पाया और फौरन ही उसे अस्पताल पहुंचाया। नौतनवां चौकी के सब-इंस्पेक्टर छुट्टी पर थे इसलिये नई कोट थाना खबर भेजी गयी और वहां से थानेदार तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और तफतीश आरम्भ की। मौके पर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक मुकदमा दफा ५ एक्सप्लोजिव्स ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया और बाकी तफतीश अभी जारी है।

यह बात सही नहीं है कि इस प्रकार की और घटनायें इन इलाकों में बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार के विस्फोट की सीमावर्ती इलाके की यह पहली ही घटना है जिसकी खबर पिछले कई महीनों में मिली है। जैसा अभी मैंने कुछ दिन पूर्व इस इलाके के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुये कहा था कि यह सही नहीं है कि वहां की जनता में अरक्षा की भावना फैली हुई है, इस इलाके में पुलिस के इंतजाम को मजबूत किया जा चुका है और अतिरिक्त पुलिस तैनात की जा चुकी है। वहां के जरायम के आंकड़ों को देखने से प्रतीत होता है कि इस इलाके की विधि व्यवस्था की हालत आस-पास के और इलाकों से विभिन्न नहीं है। इस घटना में पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की और इस मामले की जांच तेजी से हो रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो तीन हिस्से के मकान में ऊपरी हिस्से में धमाका हुआ, यह मकान किराये पर है? यदि किराये पर है तो कौन व्यक्ति उसके पड़ोस में रहता था और कौन किरायेदार था जिसके यहां यह धमाका हुआ?

श्री नवलकिशोर--जांच हो रही है, अभी नाम बताना संभव नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो धमाका हुआ यह हैंड ग्रेनेड के एक्सप्लोजन से हुआ है या टी० एन० टी० की स्टिक्स के फटने से हुआ है, और क्या यह सामान वहां लाकर स्टोर करके नैपाल में भेजा जाता है?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, यह जो धमाका हुआ, मैंने अर्ज किया कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ, एक व्यक्ति घायल हुआ जिसे अस्पताल भेज दिया गया। और वह जो सवाल पूछा कि नैपाल में व्यापार होता है तो जब तक पूरा इनवेस्टिगेशन न हो जाय, बताना कठिन है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--मैंने प्रश्न में यह पूछा था कि जो धमाका हुआ है तो वहां उसके कुछ टूटे हुये टुकड़े मिले होंगे, तो वह हैन्ड ग्रेनेड का धमाका है या टी० एन० टी० की स्टिक्स के एक्सप्लोजन से हुआ?

†**श्री नवलकिशोर**--अभी तक तो मालूम होता है कि यह हैन्ड ग्रेनेड का एक्सप्लोजन था। हैन्ड ग्रेनेड शब्द का प्रयोग करने से मेरा मतलब केवल इतना था कि टी०एन०टी० नहीं था और ऐसा एक्सप्लोसिव तैयार किया जा रहा था जिससे हाथ से फेंकने का (crude) बम बन सकता है। उस मकान में कुछ विस्फोटक वस्तु (एक्सप्लोसिव सब्सटेंस) तैयार की जा रही थी और इस सिलसिले में मनसिल (आरसनिक सलफाईड), सोडा जिंक इत्यादि जमा किये हुये थे। इन वस्तुओं को तैयार करने में यह धमाका हुआ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--क्या जांच की जा रही है कि हैन्ड ग्रेनेड वहां एक था या काफी संख्या में हैन्ड ग्रेनेड रखे थे जिसका यह एक्सप्लोजन है?

---

† ३१ मई, १९६२ को सदन में दिये गये वक्तव्य के अनुसार शोधित उत्तर।

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, यह तो जांच सभी बातों की हो रही है। वहां पर बम बहुत ज्यादा तादाद में थे, ऐसा तो मालूम नहीं होता, लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने कहा जब तक जांच कम्पलीट न हो जाय तब तक डिटेल की बातें बताना मुमकिन नहीं होगा।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति घायल हुआ था, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया, वह कौन था? यह हिन्दुस्तानी था या किसी दूसरे देश का था?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, वह व्यक्ति अस्पताल पहुंचा दिया गया। उसकी नैशनलिटी क्या थी, यह अभी नहीं बताया जा सकता।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर बहुत से प्रश्न हैं। मैं आपके द्वारा गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितनी बातें पूछी गयीं और जो डिटेल्ड जांच हो रही है, क्या उस सब को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जहां तक वे बातें ला ऐंड आर्डर से सम्बन्ध रखती हैं, उन बातों को तो मैं अवश्य सदन के समक्ष रख दूंगा, परन्तु जिन बातों का सम्बन्ध नेपालियों से है उनको, मैं सदन के समक्ष रखने में असमर्थ हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो धमाका हुआ है या हुये हैं, जैसा कि वर्णन आया है, स्पष्ट राजनीतिक हैं और यह क्षेत्र नेपाल के अन्दर विद्रोह करने का बेस बना हुआ है, ये बातें तो मैं समझता हूं ला ऐंड आर्डर से सम्बन्धित हैं और इससे भय है कि हमारे एक मित्र राष्ट्र के प्रति इस सीमा के अन्दर से गड़बड़ियां हों, यह सारी बातें जांच करा कर माननीय मुख्य मंत्री जी रोक-थाम करेंगे, इस दृष्टि से मैंने कहा था कि वह सारी चीजें सदन में रखेंगे या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं समझता हूं माननीय नेता विरोधी दल मुझसे कमरे में बात कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)---इस बात को देखते हुये कि नौतनवां उप-नगर नैपाल सरहद से बहुत नजदीक पड़ता है और सरहद के किनारे बहुत से गांवों में आने जाने का रास्ता नहीं है और वहां पर रक्षा के लिये जो पुलिस पोस्टेड है उसने बार-बार प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि यहां पर सड़कें बना दी जायं क्योंकि वहां पर रोज इस तरह के कांड होते रहते हैं, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, आपको यह स्मरण होगा कि इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा जा चुका है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया था कि ला ऐंड आर्डर को मेनटेन करने के लिये जो चीजें आवश्यक हैं उस तरफ सरकार का ध्यान है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि घायल व्यक्ति के अलावा और क्या-क्या सामान उस बिल्डिंग से रिकवर किया गया?

श्री नवलकिशोर---कुछ सोडा, जिंक, मेंसिल, इस तरह के पदार्थ पाये गये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय उप-मंत्री जी एक बार स्वतः वहां जाकर जानकारी करके हमें आश्वस्त करेंगे कि वहां कोई ऐसी गम्भीर स्थिति नहीं है जिसपर चिन्ता की जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---चिन्ता की कोई बात नहीं है।

श्री गेंदासिंह—आपके जाने मात्र से, यदि वहां कोई ऐसी बात होगी तो उसकी जानकारी हो जायगी और उससे लोगों को आश्वस्त होने का मौका मिलेगा, तो क्या आप उस इलाके में एक बार जाने का कष्ट करेंगे ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहां बैठे-बैठे ही बहुत सी चीजों को देख रहा हूं और जानकारी कर रहा हूं ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इस विस्फोट के सिलसिले में जो दो-तीन आदमी गिरफ्तार किये गये हैं वे नैपाली हैं या हिन्दुस्तानी ?

श्री अध्यक्ष—वह कह चुके हैं कि नेशनलिटी नहीं बतलायेंगे ।

श्री श्यामलाल—वह तो घायल व्यक्ति के लिये कहा था ।

श्री नवलकिशोर—जो व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं उनके सम्बन्ध में भी मेरा वही उत्तर है ।

कुंवर श्रीपाल—जो व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं या घायल हुये हैं, क्या वे कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि अभी मालूम ही नहीं कि वे कौन हैं ।

श्री नरसिंह नारायण—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नई कोट के दरोगा घटना के कितनी देर बाद पहुंचे ? साढ़े ९ बजे घटना हुई उसके बाद वे कब पहुंचे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—११ बजे इत्तला मिली और दो बजे पहुंच गये ।

श्री नरसिंह नारायण—जो एक्सप्लोजन हुआ है वह ऊपर के कमरे में हुआ है, उस वक्त उसमें कितने आदमी थे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नरसिंह नारायण—इस बात को देखते हुये कि इस प्रकार का एक एक्सप्लोजन दो महीने पहले भी हो चुका है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई विशेष योजना बना कर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—यह बात सही नहीं है । दो महीने पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—जिंक और मैंसल आदि तत्वों के हासिल करने के उनके साधन क्या है ?

श्री अध्यक्ष—अभी तहकीकात हो रही है ।

श्री श्यामलाल—विस्फोट कैसे हुआ, घायल व्यक्ति कौन थे, गिरफ्तार हुये आदमी कौन हैं, यह सूचना अभी तक सदन के सामने नहीं आयी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी या गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे सूचना सदन को देने में वे कितने दिनों में समर्थ हो सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल इस प्रश्न को कर चुके हैं और उसका उत्तर भी मिल चुका है ।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बात में कहां तक सच्चाई है (क्योंकि वे इस सूबे के रहनमा है) कि राजा की

गोरखपुर जिले के नौतनवां उपनगर में बम विस्फोट के संबंध में नियम ५२ के ४५५ अन्तर्गत वक्तव्य

.ानाशाह हुकूमत से सम्बन्धित हिन्दुस्तान की एक पार्टी है जिसको जनसंघ कहते हैं, उसके साथ है और वह उनको सीधे तौर पर समर्थक बना कर अपनी कार्यवाही को जस्टीफाई करने की कोशिश करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—एक बार तो मैंने उनको रोक दिया अब आप भी वही कर रहे हैं।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट तथा यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। मुझे आपको यह सूचित करना है कि—

रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट एवं यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने हेतु क्रमशः ४ और २ सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा दिनांक २८ मई, १९६२ को की गयी और सब नाम निर्देशन-पत्र ठीक पाये गये हैं। नामों की वापसी के लिये ३१ मई, १९६२ के सायंकाल ५ बजे तक का समय निश्चित है अतः यदि उक्त समय तक अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन ४ जून, १९६२ को विधान वाचनालय, विधान भवन, लखनऊ में दिन के १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

इसमें जो नाम निर्देशित किये गये हैं वे इस प्रकार से हैं—

यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल

(स्थान—२)

१—श्री ए० सी० ग्राइस	(कानपुर)
२—श्रीमती शकुन्तला नाय्यर	(बस्ती)
३—श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन	(टेहरी-गढ़वास)

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट

(स्थान—४)

१—श्री चिरंजी लाल	(एटा)
२—श्री जे० पी० मिश्र	(हरदोई)
३—श्री जगदीशशरण रस्तोगी	(मेरठ)
४—श्री श्रीनिवास	(अलीगढ़)
५—श्री बालेन्दु भूषण प्रताप सिंह	(प्रतापगढ़)
६—श्री सहदेव सिंह	(इटावा)
७—श्री ब्रह्मदत्त मायर	(सहारनपुर)
८—श्री मेघनाथ सिंह शिशौदिया	(मेरठ)
९—श्री चन्द्रजीत यादव	(आजमगढ़)

नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल के लिये ३ नामों से दो नाम और रुड़की "यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये ९ नामों से ४ नाम रहेंगे। ३१ मई, १९६२ के सायंकाल ५ बजे तक अगर अधिक नाम वापस हो गये अन्यथा फिर इलेक्शन ४ जून को होगा।

श्री उग्रसेन के निलम्बन के शेष समय की समाप्ति का प्रस्ताव

श्री गेंदासिंह (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, एक मिनट आपका समय मैं चाहता हूं। मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि माननीय उग्रसेन जी को कल दो दिन के लिये जो सदन से निलम्बित किया गया था उसमें से इस समय तक डेढ़ दिन तो बीत चुका और केवल आधा दिन बाकी है, पहले तो मैं चाहता था कि आज के दिन पूरा अवसर उनको सदन की सेवा करने का दिया जाय लेकिन पहले मुझे प्रस्ताव लाने का अवसर ही नहीं मिला---तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि जितना समय अब तक बीत चुका है उसके बाद उनको सदन की सेवा करने का मौका दिया जाय। और मैं चाहता हूं कि सरकारी पक्ष के सदन के, माननीय नेता तो संयोग से इस समय चले गये हैं लेकिन उनके स्थान पर जो साहब हों, वे उदारता पूर्वक इस प्रस्ताव पर विचार करें।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने जो आपके सामने दरख्वास्त पेश की है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। हालांकि मैं बिल्कुल इस मसले में साफ हूं कि सदन की कार्यवाही एक मुनज्जम तरीके से होनी चाहिये और बहुत शोरगुल करके इस तरह से सदन की कार्यवाही में कावट पैदा हो जायगी तो यह सदन जो हमारी डेमोक्रेसी या पार्लियामेंटरी सिस्टम का एक डेलिकेट ईंस्ट्रूमेंट है उसके क्रैक होने या उसक टूट जाने का अन्देशा पैदा हो जाता है। इसलिये मैं इस मसले में बिल्कुल साफ हुं कि आपकी रहनुमाई में और रूल्स के मुताबिक इस सदन की कार्यवाही एक मुनज्जम तरीके से, संगठित तरीके से होनी चाहिये। माननीय उग्रसेन जी को सदन की सेवा से दो दिन के लिये अलग करना मैं समझता हूं कि यह अर्सा बहुत लम्बा था और जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने फरमाया, उनको अब मौका देना चाहिये कि वे फिर लौट कर आवें और जो बहस हो रही है उसमें हिस्सा लें। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी की दरख्वास्त कबूल की जायगी।

श्री अध्यक्ष---मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सदन के माननीय सदस्यों को मैं इतना बतला देना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य के प्रति कोई भी कटु शब्द कहना---मेरे हृदय में चोट पहुंचाता है और मेरा दुर्भाग्य है कि कभी-कभी मैं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाता हूं जिसके लिये मुझे बाद में खेद होता है। तो जैसा कि अहमद साहब ने अपने विचार प्रकट किये, सदन से निवेदन कर दूं कि हमारी सबसे बड़ी शोभा यह है कि हम अपने नियमों का पालन करें, मेरी शोभा यह है कि मैं आपके आदर और आपके सदन के गौरव को बढ़ाऊं जिसके लिये दोनों तरफ से कोआपरेशन होना चाहिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मन्त्रिमन्डल के जो प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि इसमें उनको कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---श्रीमन्, ऐसे तो मुझे कोई आपत्ति है नहीं, मगर जिस बात की तरफ अहमद साहब ने आपकी दृष्टि की, उस सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द कहना चाहती हूं। मैं यह देख रही हूं कि इस सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से हो नहीं पा रही है जिसे देख कर मुझे बहुत दुख, हैरानी व शर्म है। कल जब मैं इस सदन की कार्यवाही देख रही थी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बोलने के लिये खड़ी भी हुई लेकिन आपने मुझे बुलाया नहीं, इसलिये मैं बैठ गयी। जैसा कि अहमद साहब ने कहा---हमलोग पार्लियामेंट में कई साल तक रहे हैं और देखे हैं कि वहां किस ढंग से कार्यवाही होती है। यह एक जिम्मेदार संस्था है जिसके हम और आप सभी एक जिम्मेदार सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की यह जो सबसे बड़ी संस्था है, उसको हम ही चलाने वाले हैं। लेकिन आज हम किस ढंग से चल रहे हैं। अगर नियमों को देखें तो अपोजीशन का भी अपना एक रोल है और मैं खुद अपोजीशन में रह चुकी हूं और जानती हूं कि अपोजीशन का रोल जिम्मेदारी के साथ रूलिंग पार्टी से मिल कर शासन

को चलाना है। आज आप और हम सभी मिल कर इस प्रान्त के राज्य को चला रहे हैं। अपोजीशन का भी एक यह पोजिटिव व कंस्ट्रक्टिव रोल है कि वह समालोचना करे, नुक्स निकाले लकिन सब को एक साथ मिल कर इस प्रान्त के राज्य को चलाना है। इसलिये गैरजिम्मेदारी के तरीके से यहां की कार्यवाही होती है तो यह एक बहुत ही दुख व लज्जा की बात है। मुझे कल यहां की कार्यवाही देख कर ऐसा लग रहा था कि जैसे हाई स्कूल के लड़कों की असेम्बली हो रही हो और हुड़दंगा-सा मचा हो। यह कोई हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। मैं चाहती हूं कि जो लोग जिम्मेदार व संजीदा हैं वे अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझें। यहां विजिटर्स भी बैठे देखते हैं, अखबार वाले भी देख रहे हैं, यह कोई घर की बात नहीं है, सारे उत्तर प्रदेश की निगाह और सारे भारत की निगाहें आप की तरफ हैं इसलिये यह जरूरी है कि इधर के और अपोजीशन के सदस्य जरा सोच समझकर, अपनी जिम्मेदारी को समझकर, यहां आचरण करें। अगर आलोचना करने की और नुक्स निकालने का उन को अधिकार है तो उस को जिम्मेदारी के साथ वह पालन करें, एक संजीदगी का यहां परिचय दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी व श्री जेड० ए० अहमद ने जो प्रस्ताव यहां रखा है, मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी सोचने और समझने के बाद ही यह प्रस्ताव पेश किया है। जहां तक जिम्मेदारी का सम्बन्ध है, मैं आपके द्वारा बहुत ही अदब के साथ ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह बहुमत में हैं और इस नाते उन को जितना डिसिप्लिन्ड होना चाहिये उसे अल्पमत वालों को प्रेरणा मिलती है। जब वह डिसिप्लिन्ड होंगे तो अल्पमत वाले भी डिसिप्लिन्ड रहेंगे। श्रीमन्, हम आप का आदर करते हैं और आप के हुक्म का भी आदर करते हैं और मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय नेता जो कल सदन से निकाले गये हैं वह भी आप की आज्ञाओं का पालन करते हैं लेकिन कल कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई और एक व्यवस्था के अन्तर्गत वह स्थिति पैदा हो गई।

श्री अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि प्रस्ताव को सदन के सामने रखें या न रखें?

श्री नरसिंह नारायण—जी हां।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो निलम्बन का प्रस्ताव कल सदन द्वारा स्वीकृत हुआ था उसका निरसन किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रतिनिहित विधायन समिति के लिये विधान परिषद् के ४ सदस्यों का मनोनयन

श्री ब्रजभूषण शरण (जिला देहरादून)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति, १९६२-६३ में कार्य करने के लिये सभापति, विधान परिषद्, यदि वे इस से सहमत हों, तो विधान परिषद् के ४ (चार) सदस्यों को उक्त समिति में सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये मनोनीत करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति, १९६२-६३ में कार्य करने के लिये सभापति, विधान परिषद्, यदि वे इससे सहमत हों, तो विधान परिषद् के ४ (चार) सदस्यों को उक्त समिति में सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये मनोनीत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १२--गांव सभायें और पंचायतें

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपलानी)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२---गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९७,४४,५०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। इस अनुदान से हम पंचायत राज के खर्चे की स्वीकृति मांग रहे हैं।

पंचायतें एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पंचायत राज यों तो कई साल से है मगर इस साल हम अपनी प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना को पुख्तारूप से कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और गांवों की रूरल डेमोक्रेसी का जो ढांचा बना रहे हैं उसमें उनका एक केन्द्रीय स्थान होगा। हम आशा करते हैं कि ग्राम का उत्थान और जो विकास का काम होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान पंचायतों का रहेगा और पंचायतों के ऊपर जो और संस्थायें हैं जैसे क्षेत्र समिति, और जिला परिषद् इन तीनों संस्थाओं के सहारे ग्रामों में नये ढंग से जीवन संचार होगा, वहां का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रबन्ध होगा। इसीलिये हम चाहते हैं पंचायतों को ज्यादा शक्ति दी जाय।

पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। लोग समझते हैं भारतवर्ष में प्रजातंत्र अभी नया आया है अंग्रेजों के बाद। मगर ऐसा नहीं है। भारतवर्ष का प्रजातांत्रिक ढांचा बहुत पहले से रहा है। प्राचीन इतिहास बताता है हमारे जनपद और पंचायतें कितनी शक्तिशाली थी अपनी-अपनी जगह पर, जितने उस जगह के ऐडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे, चाहे इकोनामिक हों, आर्थिक हों, सोशल फंक्शन्स हों वे सब पंचायतें करती थीं। उनका बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी थी। उन जिम्मेदारियों का सम्पादन पंचायतें बड़े सुचारु-रूप से किया करती थीं। सारा इनीशियेटिव पहले उन्हीं के हाथ में था। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में वे उतनी शक्तिशाली नहीं रह गईं, क्योंकि सारा इनीशियेटिव केन्द्र में आ गया था। प्राचीन परम्परा में शक्ति पंचायतों में निहित होती थी और वहीं से ऊपर को एक पिरेमिडिकल स्ट्रक्चर बनता था। मगर अंग्रेजों के जमाने में सेन्ट्रलाइज्ड सरकार जब हो गई तो पंचायतें समाप्त-सी हो गईं।

इस तरफ सबसे पहला कदम उत्तर प्रदेश में उठाया गया। लेकिन जितनी कार्यक्षमता और पटुता की उनसे आशा की जाती थी वह प्रारम्भ में उनसे न पाई जा सकी क्योंकि उनको अपने काम की पूरी जानकारी नहीं थी। सके अलावा उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं थी इसीलिये वे अच्छी तरह से काम न कर सकीं। अब हम कोशिश कर रहे है, पुरानी परम्परा के अनुसार, नया जीवन दान देने की ताकि जो इतना बड़ा ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसमें गांव लेविल पर जो यूनिट है उसमें शक्ति हो, वह अपना काम ठीक से कर सके तो गांव वालों को बहुत-सी सहूलियतें मिलेंगी और उनका खुद भी विकास होगा तथा उसमें वे पूरी तरह से दिलचस्पी लेंगे। अंग्रेजों के जमाने में शक्ति ऊपर से नीचे को चलती थी लेकिन अब हम शक्ति नीचे से ऊपर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिये हम आशा करते हैं कि पंचायतों की जो परिकल्पना है वह अगर अच्छी तरह से आ सकी तो एक बड़ा जबरदस्त क्रान्तिकारी काम पंचायतें कर सकेंगी।

आप लोग जानते हैं पंचायतों का चुनाव १९६०-६१ में हुआ। ७२,३३३ गांव सभायें हैं और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् कानून का कुछ भाग पिछले साल से लाग कर दिया गया है। लेकिन चूंकि पूरा चुनाव नहीं हुआ है इसलिये पूरी ताकत उनको नहीं दे सके। मगर इस दरमियान में अन्तरिम जिला परिषद् को काम करने का मौका दिया गया है। जो पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्लानिंग का विभाग था उन दोनों को मर्ज कर दिया गया। आज वह अन्तरिम जिला परिषद् के रूप में काम कर रहा है और इस थोड़े अर्से में डेमोक्रेटिक डिसट्र-

डिस्ट्रिक्ट लेविल पर अन्तरिम जिला परिषद् की मार्फत हुआ है। यह थोड़ा अच्छा

काम हुआ है। जब नया कानून चालू हो जायगा तो सारी शक्ति पुख्ता रूप में हम दे सकेंगे। चुनाव भी इस साल पूरे करने हैं। पहले न्याय पंचायत का पुनर्निर्माण पूरा करना है। न्याय किसी तरह से अभी चलाया जा रहा है और आशा करती हूं कि जुलाई महीने तक न्याय पंचायतों का पुनर्निर्माण हो जायगा। फिर क्षेत्रीय समिति का चुनाव पूरा हो जायगा। ये दोनों चुनाव हो जाने के बाद जिला परिषद् का चुनाव हाथ में लेंगे ताकि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय समिति जिला परिषद् ऐक्ट के अनुसार पूरी शक्ति दे कर पंचायत राज्य चलाने की जो व्यवस्था है उसे हम पूरा कर सकें।

पंचायतों को नई शक्ति देने के लिये क्षेत्रीय समिति तथा जिला परिषद् कानून में कुछ तब्दीली की गयी है। इसमें गांव समाज को हम खत्म कर रहे हैं। गांव समाज को खत्म करके गांव समाज की सम्पत्ति पंचायतों के पास रहेगी लैंड मैनेजमेंट कमेटी की मार्फत और उनकी जो सम्पत्ति है वह गांव के फंड में रहेगी। ८५ फीसदी इसकी आमदनी रहेगी गांव पंचायत के फंड में और १५ फीसदी रहेगी लीगल और कम्युनिटी लैंड के लिये।

एक बड़ी भारी शक्ति पंचायत को दी जा रही है। गांव में जितने बालिग हैं और जिनकी उम्र ४५ साल से अधिक न हो उनसे श्रम लिया जा सकता है। चाहे वे श्रम दें या श्रम नहीं देते हैं तो एवज में गांव पंचायत को पैसा लेने का अधिकार होगा। ऐसे अधिकार हमें चाहिये ही जब डेवलमेंट एक्टिविटीज हम करना चाहते हैं। जनता का उनमें सहयोग हो और कुछ अधिकार पंचायतों को उसके लिये दिये जा रहे हैं। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। २/३ मेजारिटी इस कानून को चलाने के लिये राजी होगी तभी पंचायत ऐसी व्यवस्था कर सकेगी। छोटी-छोटी गांव सभायें अपने छोटे-छोटे काम करती हैं। अगर कुछ गांव सभायें मिल कर बड़ा काम करना चाहती हैं तो अब तक उनको यह अधिकार नहीं था। अब यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी इजाजत दे दे तो कुछ गांव सभायें मिल कर शिक्षा, अस्पताल या सड़क बनाने का काम एक साथ कर सकती हैं। पहले प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सरकारी मुलाजिम था जिसकी देखरेख में पंचायतों को काम करना होता था। तो यह अधिकार क्षत्रीय समिति और जिला परिषद् को दे दिया गया है। तो डेमोक्रटाइजेशन के लिये यह बड़े कदम उठाये गये हैं जैसे कुछ कानून बदले गये हैं। कमेटी बनाने के लिये लोगों को कोआप्ट करने के अधिकार दिये गये हैं। वे अपना धन कोआपरेटिव सोसाइटीज और लार्ज स्केल सोसाइटीज में जमा कर सकती हैं। इस तरह से हम आशा करते हैं कि अगर गांव पंचायतों के पास शक्ति रहेगी और सामर्थ रहेगी तो वे एफिशियटली काम कर सकेंगी।

१९६०–६१ में पंचायतों के चुनाव हुए हैं। दिसम्बर, १९६० और मार्च, १९६१ के अन्दर जहां प्लेन्स थे वहां चुनाव हो गये और मई, जून, ६१ में पहाड़ों में चुनाव हो गये। चुनाव का एनालिसिस बन रहा है और बन कर छपने के बाद थोड़े दिन में बांट दिया जायगा। बहुत सी अच्छी बात हुई हैं उनमें दो चार की तरफ थोड़ा ध्यान आपका दिलाऊंगी। एक है निर्विरोध चुनाव प्रधानों का हुआ है। पहाड़ों में ८१ प्रतिशत और प्लेंस में ४२ परसेंट निर्विरोध चुनाव हुए हैं। गांव में लोगों का चुनाव प्लेंस में ५४ परसेंट और पहाड़ों में ९७ परसेंट निर्विरोध हुआ है। स्त्रियों के लिये यह बड़ी दिलचस्पी की बात होगी कि २१३ हमारी बहनें प्रधान चुनी गयी हैं और १,२६३ बहनें गांव सभा की मेम्बर चुनी गयी हैं। इस एनालिसिस का जो हमें नतीजा मिला है उससे हमें बड़ा हर्ष होता है। हम डेमोक्रेटिक ढांचा चाहते हैं, लेकिन उसमें एक खराबी यह है कि लोग चुनाव में इतना लिपट जाते हैं कि फिर उनको काम करने की शक्ति बिगड़ जाती है। मगर चुनाव का एनालिसिस हमें बताता है कि ग्रामीण लोगों को इतनी बुद्धि है कि वे यह समझते हैं कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनको दोबारा आना चाहिये या निर्विरोध आना चाहिये। तो यह एक बड़े हर्ष की बात है।

पंचायत के पास आर्थिक रिसोर्सेज अगर हम न पहुंचायें तो वह ठीक से काम नहीं कर सकती। पंचायत कुछ तो अपने टैक्स से पैसा वसूल करती है—टैक्स कलेक्शन के बारे में प्रगति ठीक नहीं

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

रही मगर इस बारे में पिछले साल कुछ प्रगति हुई है। अप्रैल और दिसम्बर, १९६१ के अन्दर उन्होंने ६०,२१,२७३ रुपये टैक्स के कलेक्ट किये और हम आशा करते हैं कि मार्च, १९६२ तक यह रकम १ करोड़ पहुंच जायगी। यह सही है कि उनका बकाया करीब ढाई करोड़ रुपये तक पहुंच गया है लेकिन देखा यह गया है कि जितना टैक्स वसूल करना चाहिये उससे कुछ ज्यादा ये वसूल कर रही हैं जिसकी वजह से एरियर्स आहिस्ता-आहिस्ता निकलता जाता है। हम आशा करते हैं कि मार्च, १९६२ तक जब हमारी रिपोर्ट आयेगी तो ढ़ाई करोड़ की जगह सवा २ करोड़ ही रह जायगा।

टैक्स के अलावा दूसरी जगहों से इन्हें ग्रांट मिलती है ताकि ये अपना काम कर सकें। इसके अलावा ब्लाकों के जरिये से भी कुछ ग्रांट्स इनको मिलती हैं जैसे लोकल वर्क्स, सेल्फ-हेल्प ग्रांट, हरिजन सेवक की ग्रांट। इन सब को मिला कर पंचायत के पास बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एक खासी रकम हो जाती है जिससे वह काम कर सकती हैं। पंचायतों ने इस रकम को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, कहीं सड़कें बनाने में, कहीं पंचायत घर बनाने में, कहीं किसी दूसरे काम में।

न्याय पंचायत के बारे में मैंने कहा कि उसके पुनर्निर्माण में कुछ देरी हो गयी। पिछले साल बाढ़ वगैरह की वजह से देहातों में काम नहीं हो सका। फिर सब लोग एलेक्शन में फंस गये। इसलिये पुनर्निर्माण का काम पिछड़ गया, मगर मैं आशा करती हूं कि जुलाई तक पुनर्निर्माण खत्म हो जायगा। जो काम न्याय पंचायतों ने केसेज के बारे में किया है उसका रेजल्ट कुछ इतना बुरा नहीं है। अप्रैल से दिसम्बर, १९६२ तक ७० हजार के करीब कैसेज फाइल हुए थे और कुछ बकाया पिछले साल का था, यानी लगभग १ लाख केसेज थे। उसमें से उन्होंने ७२ हजार केसेज निकाल दिये हैं जिसमें से ३१ हजार कैसेज समझौते से तय किये हैं। हम जानते हैं कि न्याय पंचायतों के लोग कोई बहुत कानून के जानने वाले नहीं हैं, साधारण लोग हैं तो भी जिस ढंग से वह काम कर रही हैं वह कुछ बुरा नहीं है। उनके काम में और इम्प्रूवमेंट करने की गुंजायश है। हम आशा करते हैं कि जो नये पंचायत के सेक्रेटरी हैं उनको अच्छी तरह शिक्षा दे देने के बाद इस काम में और ज्यादा तरक्की होगी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंचायत राज में कुछ सुधार करने के वास्ते ३-४ बड़े-बड़े प्रोग्राम हमने रखे हैं। पहला पंचायत सेक्रेटरीज को प्रशिक्षण देना। दूसरा, जो गांव सभाओं को पंचायत सेक्रेटरीज को रख रखाव के लिये अतिरिक्त अनुदान देना। तीसरा, पंचायत राज का स्टाफ कुछ और बढ़ाया जाय ताकि सुपरविजन का काम और अच्छा हो। चौथा जो सब से ज्यादा महत्व का है वह यह कि इनको ज्यादा से ज्यादा कर्जा अपने उत्पादनशील साधन बढ़ाने के लिये दिया जाय।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

इन चारों में ट्रेनिंग का जो काम है यह केन्द्रीय सरकार की मदद से होता है। केन्द्रीय सरकार एक अनुपात से सहायता करती है। नान-रेकरिंग एक्सपेंडीचर में पहले साल वह ५० फीसदी देती है, दूसरे साल भी ५० फीसदी, तीसरे साल ३३ फी सदी और चौथे साल २५ फी सदी। हम समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार से नान-रेकरिंग मदद हमें ७५ फी सदी मिलती है पिछले साल ७,२०,००० रुपया हमने रखा था। यह पंचायत सेक्रेटरियों की शिक्षा के प्रोग्राम में खर्च होने के लिये था। इसमें आधे से ज्यादा रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया था और आधे से कम हमने दिया था। हमारा प्रोग्राम था कि २,४०० पंचायत सेक्रेटरियों को ट्रेनिंग दी जाय। इसमें कुछ परेशानी हुई क्योंकि ट्रेनिंग के सेंटर्स देर से खुल सके। इसलिये कुल १,२०० सेक्रेटरियों को ही ट्रेनिंग दे पाये मगर साल के आखीर में जितने सेंटर्स काम में लेना चाहते थे वे सब काम में आ गये हैं। इसलिये हम २,४०० सेक्रेटरियों को ट्रेन्ड कर लेंगे। पिछले साल के १,२०० सेक्रेटरियों को भी ट्रेन्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके लिये ज्यादा साधन चाहिये। इसके लिये हम

चाहे स्टेट से या केन्द्र से साधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं उम्मीद करती हूं कि इस साल का हम कोटा पूरा कर लेंगे और पिछले साल का भी पूरा कर लेंगे । ट्रेनिंग के दरमियान में मैं ३० रुपये स्कालरशिप देते हैं और इस साल के लिये हमारा इलोकेशन ६,७८,१०० रुपया है । मैं उम्मीद करती हूं कि जब पंचायत सेक्रेटरीज ट्रेंड हो जायेंगे तो हमारी ग्राम पंचायतें और न्याय पंचायतें अच्छा काम कर सकती और उनके काम में तरक्की होगी ।

दूसरी स्कीम मैंने बताई, वह यह है कि जो गांव सभाओं को सेक्रेटरियों के रख-रखाव के लिये अतिरिक्त सहायता दी जाय । इस प्रोग्राम के अनुसार २०० नये सेक्रेटरीज रखे जायंगे । पंचायत सेक्रेटरियों को तनख्वाह बहुत कम मिलती है । उसकी शिकायत हमारे मेम्बरान भी शायद करेंगे । उनको ५० से ७५ तनख्वाह मिलती है । हम चाहते हैं कि इसमें बढ़ोत्तरी कर सकें लेकिन नहीं हो पाई है । इसलिये डी० ए० दिया गया । अब उनको १२ रुपये ८ आने डी० ए० दिया जा रहा है । आधा सरकार देगी और आधा गांव सभा देगी । उनको टी० ए० के बारे में भी बड़ी शिकायत है । उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी लेकिन उसको भी दूर किया गया है । अब तक उनको टी० ए० लेने में दिक्कत पड़ती थी । उन्हें टी० ए० कई विभागों से लेना पड़ता था । अब वह केवल पंचायत राज्य विभाग से ही सीधे सीधे मिलेगा ।

इसके अलावा एकाउन्टेन्ट्स की ५ टीमें नियुक्त करने का प्रस्ताव है जो प्रधानों को ट्रेन करेंगे ताकि पंचायतों का काम अच्छी तरह से हो सके । सब से महत्वपूर्ण बात जो हम कर रहे हैं वह लोन्स के बारे में है । उनको पैसा दिया जाता है जिससे उनके असेट्स बढ़ सकें । इसके लिये पिछले साल हमारे पास २,८६,००० रुपया था जो इस साल ९,७३,००० रुपया कर दिया गया है । इसलिये मैं आशा करती हूं कि इसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी ।

एक सवाल शायद मेम्बरान उठायेंगे । जो नो कांफीडेंस मोशन गांव सभापति के खिलाफ लिया जाता है उसमें भी हमने तब्दीली की है । अब कोई नो कांफीडेन्स मोशन आयगा तो उसका निर्णय सीक्रेट बैलट से होगा ।

पंचायत राज्य विभाग के काम के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं । कल मैंने बताया था कि जो काम हमारे विकास का है उसको करने का जरिया पंचायत मशीनरी है । इसलिये ये दोनों विभाग एक साथ कर दिये गये हैं । केन्द्रीय सरकार ने एक नया पैटर्न इवोल्व किया है कि जितना डेमोक्रेटिक डिसेंटेलाइजेशन का काम है वह पंचायतों द्वारा हो, इसलिये दोनों विभाग एक साथ सम्मिलित हो गये हैं । हमने अपने प्रांत में देरी की थी, जब दोनों एक हो गये हैं । पंचायत क्षेत्र समिति और अंतरिम जिला परिषद्, ये दोनों एक मिलकर विकास का काम कर सकती हैं । हमारी जो यूनिट्स हैं ये जब चुनकर आ जायंगी तो हम इनको पावर्स दे देंगे, इनके दो तीन महीने के अन्दर आ जाने की उम्मीद है । तो मैं आशा करती हूं कि विकास का और पंचायत राज्य का काम सुचा रूप से चलेगा । मैं आशा करती हूं कि मेम्बरान इस ग्रांट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इसको मंजूर करेंगे ।

***श्री राधेश्याम** (जिला मथुरा)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कल भी और आज भी मैंने बहिन सुचेता जी की बात बड़े गौर से सुनी और चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, कोई भी ग्राम पंचायत के अनुदान के संबंध में इस पक्ष में नहीं होगा कि अनुदान की धनराशि घटा दी जाय । जो कटौती का प्रस्ताव मैंने पेश किया है वह रुपया कम करने से मेरा मतलब नहीं है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राधेश्याम]

बल्कि जो कुछ हो रहा है उसका वास्तविक स्वरूप इस सदन में पेश करना चाहता हूं। जहां तक ग्राम पंचायत के आदर्श का सवाल है महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन गांव के एक किसान या मजदूर का लड़का देश का राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री होगा उस दिन मैं समझूंगा कि वाकई में गांव का स्वराज्य हो गया ।

१५ अगस्त, १९५७ को ग्राम पंचायत ऐक्ट हमारे सामने आया । जिस वक्त से यह आया है तब से गांव पंचायत ने तरक्की की इससे कोई इनकार नहीं कर सकता । लेकिन साथ-साथ जो खामियां हैं उनको भी मैं सामने रख देना चाहता हूं । हम उन आदमियों में नहीं है जो आलोचना के लिये आलोचना करें । सरकार को विरोधी पक्ष की आलोचना की ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि विरोधी पक्ष आलोचना करके पूरी सफाई कर देता है, वैसे मैं जानता हूं कि 'हां' की संख्या ज्यादा है । आप हमारी बात मानने के लिये तैयार नहीं होंगे । लेकिन जनता ने हमको चुन कर भेजा है, हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है ।

आज जो गांवों की दशा है वह किसी से छिपी नहीं है । आज बहन सुचेता जी गांवों में जायें तो मालूम पड़ेगा कि अंग्रेजी जमाने में जो हालत थी, इन पंद्रह सालों में ८ या साढ़े ८ फीसदी चाहे परिवर्तन हो गया हो वरना वही हालत है जो अंग्रेजों के जमाने में थी । तो फिर इतना रुपया गांव पंचायत पर बराबर खर्च किया जाय यह सोचने की बात है। इस संबंध में मैं अपने सुझाव रखना चाहता हूं । एक तो केन्द्र की पंचायत हो, दूसरे प्रांत की पंचायत हो, तीसरे जिले की पंचायत हो और चौथे गांव की पंचायत हो । मैं समझता हूं कि पूज्य बापू जी ने चौखम्भा राज्य की कल्पना की थी उसको बहन सुचेता जी अनुचित नहीं समझेंगी ।

अभी बहन सुचेता जी ने यह बात कही कि हम ग्राम पंचायतों को ऋण देने जा रहे हैं। लेकिन ऋण होगा क्या ? उनके पास आमदनी क कोई साधन ह ही नहीं । आप सबसे पहले यह सोचिये कि गांव पंचायतें अपन परों पर खड़ी हों । गांव पंचायतें हमारे शासन की इकाई ह । तो एक-चौथाई भाग राजस्व की वसूली में से आप गांव पंचायतों को क्यों नहीं देते हैं ? ६ करोड़ रुपया, २३ करोड़ में से गांव पंचायतों के लिये दिया जा सकता है । आप पंचायत सेक्रेटरी रखते हैं, पटवारी रखते हैं, राजस्व की वसूली के लिए कुर्क अमीन और चपरासी भी हैं । कल राजस्व मंत्री जी ने कहा कि ग्राम पंचायतों को लगान वसूल करने का काम इस लिये नहीं दे सकते हैं क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ऐसा काम करने में असफलता होती है । लेकिन जनता की चुनी हुई तो विधान सभा भी है । फिर सरकार का काम कैसे चलता है ? अगर आप को गांव का सुधार करना है तो यह अधिकार गांव पंचायतों को देना ही होगा ।

गांव पंचायतों के चुनाव बालिग मताधिकार पर होते हैं लेकिन जो वोटर्स लिस्टें हैं उनमें बड़ी गड़बड़ी होती है । मैं इसका दोषारोपण सरकारी पक्ष पर ही नहीं करना चाहता । इसके लिये निरक्षरता भी किसी सीमा तक जिम्मेदार है । अगर बालिग मताधिकार पर चुनाव होता है तो सही ढंग से होना चाहिये । अब की आपने बैलेट पेपर द्वारा प्रधानों का चुनाव करवाया, तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि प्रधान के साथ-साथ आप पंचों के चुनाव भी बैलट द्वारा करायें। जैसे-जैसे जनता में जनतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी वैसे-वैसे उनके दृष्टिकोण में यह प्रश्न आयेगा भय का । तो आपको उस भय को निकालना पड़ेगा और इसलिये पंचों का चुनाव भी आप बैलट द्वारा कराइए । उसमें आपकी कोई बहुत ज्यादा लागत नहीं बढ़ेगी । आखिर एक ही दिन में लोक सभा और विधान सभा का चुनाव होता है कि नहीं ? उसी तरह इनका भी हो सकता है । ऐसा अगर आप करें तो उनका सही रूप से निर्वाचन हो सकता है । इसके अलावा प्रधान जनता द्वारा चुना गया और मंत्री सरकारी नौकर हो, यह दोनों विरोधाभास कैसे चल सकता है । एक तरफ तो आप जनतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रधान जनता

का चुना हुआ और सेक्रेटरी सरकारी नौकर । तो १७ और ४० जो आपने रखा है, १७ कम से कम और ४० ज्यादा से ज्यादा उसमें से पंचायत के पदाधिकारी भी आप बनावें । एक प्रधान बने और एक पंचायत मंत्री बने । पंचायत मंत्री ग्राम सभा का सदस्य जरूर होना चाहिये, अगर आप चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें अपने बल पर खड़ी हों क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी अगर उस गांव का रहने वाला नहीं है तो सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि १०० में से ८० फीसदी वह नाकारा साबित होता है । वह अपनी साइकिल लेकर कभी-कभी क्षेत्र में आता है । उसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई कर्त्तव्य नहीं रह गया है । प्रधान के पास वह आता है और अपने आप ही न सदस्य इकट्ठा होते हैं, और न कोई मीटिंग होती है, सारी कार्यवाही अपने आप वह कर लेता है । मैं तो खुद इसका भुक्तभोगी हूं । मैंने अपने क्षेत्र में ८२ ग्राम पंचायतों का चुनाव निर्विरोध कराया है और उसमें मैंने देखा कि ग्राम पंचायतों के निर्विरोध चुनाव करने में पंचायत के अधिकारी खुद अड़चन पैदा करते थे । वह नहीं चाहते थे कि पंचायत का चुनाव निर्विरोध हो और पंचायत का सेक्रेटरी उसकी एक कड़ी होता था । वह चाहता था कि पार्टीबन्दी के आधार पर चुनाव हो क्योंकि जब दूसरी पार्टी होगी तभी उसको दूसरे साधनों को दुरुपयोग करने का अवसर मिलगा । मैंने देखा, होता क्या है, पंचायत मंत्री कभी कभी आता है, अपने रजिस्टर में मीटिंग की कार्यवाही वैसे ही लिख लेता है—चाहे कोरम हो, चाहे न हो, कोई अपने खलिहान में काम करता होता है, कोई कहीं होता है, और यहां वह मीटिंग हो जाती है, फिर उनके दस्तखत वह करा लेता है और इस तरह सारी कार्यवाही हो जाती है । प्रधान, आप जानते हैं अपने देश के अंदर शिक्षा की कमी के कारण ज्यादातर बिना पढ़े-लिखे या कम पढ़े-लिखे होते हैं । उनके बिना पढ़े-लिखे होने का नाजायज फायदा पंचायत मंत्री उठाता है और गलत-सलत काम प्रधान से करा लेता है । तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि पंचायत के सदस्यों में से मंत्री बनाइए और उस मंत्री को आप तनख्वाह जो देते हैं वह दीजिये । उसके साथ साथ एक कोषाध्यक्ष भी रहे जो हिसाब किताब रखे और एक आडिटर रहे तथा एक उपमंत्री रहे । ये पांच पदाधिकारी पंचायत के सदस्यों में से ही आप बनाइये जिससे उनको अपनी जिम्मेदारी का पूरा परिचय हो जाय । मैं समझता हूं कि इस सुझाव को मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस पर कोई खर्च नहीं होगा ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता था ग्राम सभा के प्रधान के बारे में । मैं गांव का रहने वाला हूं और गांव की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हूं । गांव सभा का प्रधान, प्रधान बनने के बाद समझने लगता है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है । क्यों वह वैसा समझता है ? इसलिये समझता है कि हमारा यह कृषि प्रधान देश है, और कृषि ही गांवों में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है । तो प्रधान को जब सार्वजनिक काम में लगता पड़ता है और उसके घर के काम का हर्ज होता है तो उसके घर के लोग नाराज होते हैं क्योंकि जीविकोपार्जन के काम में कमी आने पर नाराज होने की बात होती ही है । तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि गांव सभा के प्रधान का वेतन रख दिया जाय । अब वह कितना हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि फिर प्रश्न पैदा हो जायगा कि कहां से आये । लेकिन समाजवादी व्यवस्था में १०० रुपये से कम किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये । तो तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जितना आप उचित समझें, उतना वेतन गांव सभा के प्रधान का निश्चित कर देवें और मंत्री को वेतन आप देवेंगे । कोषाध्यक्ष, उपमंत्री इनको वेतन न दिया जाय । जब आप गांव सभा के प्रधान को वेतन देंगे तो उसे यह मालूम पड़ेगा कि क्या उसका कर्त्तव्य है, क्या उसकी जिम्मेदारी है और ग्राम सभाओं में क्या-क्या होना चाहिये यह, मैं आपके सामने जोड़ना चाहता हूं । ग्राम सभाओं को आप कर्जा देना चाहते हैं तो कर्जा दीजिये । उसके लिये कहा गया कि कर्जा कहां से वसूल होगा तो उसके लिये मेरा सुझाव है कि एक बटा चार भाग राजस्व को उनको देना चाहिये । उसके लिये आप कहेंगे कि रुपया

[श्री राधेश्याम]

कहां से आयेगा । उसके लिये मैं बतलाना चाहता हूं । ग्राम पंचायत में एक आप पंचायत का कार्यालय खोलिये । जैसे यहां पर सेक्रेटेरियट खुला हुआ है उसी तरह से यह कार्यालय हो । ग्राम सभा में भी मुश्किल आयेंगी जैसे कि यहां पर भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है । इन ग्राम सभाओं को इतना अधिकार देना चाहिये जिससे वे अपना काम कर सकें । प्रधानों को कुछ अधिकार नहीं होता है और जब यहां भी काम करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो वहां पर प्रधानों की कौन सुनता है । सरकार को ही जब मुश्किल पड़ती है तो ग्राम के प्रधान के सामने कानून की बात नहीं कर सकते हैं और न कानून की बात में यह कारगर हो सकते हैं, लेकिन पंचायत के रजिस्टर में जरूर लिख दिया जाता है । मैं कहूंगा कि ग्राम सभा में पुलिस के ४ सिपाही रखे जायं उस ग्राम सभा के दफ्तर में और कम से कम ४ बन्दूक के लाइसेन्स प्रधान और ग्राम सभा के द्वारा आप उनको दिलायें जिससे ग्रामीण लोग समझें कि हमारी पंचायत के भी कुछ अधिकार हैं । इतनी बात हो जाती है तो ग्रामीण यह समझेंगे कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं और उनको इतना सहारा मिलने पर वे उन्नति के लिये अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे । सिपाही के साथ और लाइसेन्स के साथ पंचायत का सेक्रेटरी वहां पर रहे । आज वह प्रधान के आदेश पर रजिस्टर में हाजिरी भर देता है । जब सदस्य रहेंगे तो उनकी जिम्मेदारी होगी और वे ही कार्य विवरण लिख देंगे ।

अगर अमीन और चपरासी, जो राजस्व को वसूल करने वाले हैं, इसी ग्राम पंचायत के सिपुर्द कर दिये जायं और राजस्व विभाग से तनख्वाह उनको दी जाय तो अच्छा रहेगा । आज भी राजस्व विभाग उनकी तनख्वाह देता है । अगर अमीन और चपरासी वहां पर रहेंगे तो वे ग्राम पंचायत के मातहत वसूली का कार्य कर सकेंगे । आज उनके लिये कहा जाता है कि वे वसूल नहीं कर सकते । मगर यह काम आसानी से हो सकेगा और राष्ट्रीयकरण का कार्य भी अग्रसर होगा । राष्ट्रीयकरण करने पर ग्रामों में यह माना जायगा कि ग्रामीण लोगों को भी कुछ अधिकार हैं । यदि आप इसको सूक्ष्म रूप से ही मान लेते हैं तो ग्राम पंचायत अपना अधिकार समझेगी और वह लोग भी समझेंगे कि हमारे पास एक दफ्तर है और एक संगठित कार्यक्रम है । तब आपको मालूम पड़ेगा कि गांवों की हालत ठीक हो सकती है या नहीं ।

सुचेता बहन जी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्विरोध हुये और कुछ में ही विरोध हुआ । इसको मैं भी मानता हूं कि गांवों के अन्दर नव चेतना बढ़ रही है । वह बढ़नी चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, परन्तु मैं आपको कहता हूं कि ग्राम पंचायतों को आप राजस्व का काम दे नहीं सकते वसूलयाबी के लिये, क्योंकि आप समझते हैं कि वे नाकारा है और यह समझते हैं कि वे कर नहीं सकती हैं तो फिर अदालती पंचायत को सिविल के झगड़े का काम उनको कैसे दिला सकते हैं ? इसका क्या जवाब है ? वे इतने पढ़े लिखे हैं और इतने योग्य हैं तो उनके लिये एक तरफ कहते हैं कि राजस्व की वसूली नहीं कर सकते हैं और दूसरी तरफ मानते हैं कि वे ईमानदारी से डिग्री दिलाते हैं और फिर कहते हैं कि पंचायतों का काम सुचारु रूप से चला । मैं कहता हूं कि सुचारु रूप से काम उनका नहीं चला । मैं जानता हूं कि सरपंचों ने एक तरफ डिग्री दिया है । बहुत से सरपंच तो कुछ बातें जानते ही नहीं है और जो जानते हैं उन्होंने भी पार्टीबन्दी के आधार पर डिग्री दी । जनतंत्र में एक बहुत बड़ी खामी होती है । जनतंत्र के आधार पर ही जनतंत्र चलती है परन्तु जनतंत्र में जितनी अच्छाई है उतनी खराबी भी हैं । जनता के प्रतिनिधि हजार ईमानदार हों लेकिन यदि शासन पर उनके अंकुश नहीं रहता है तो वह गलत काम करेंगे । सही काम नहीं करेंगे । आप प्रत्येक अदालती पंचायत को जानते हैं । मैं कहता हूं कि आप अदालती पंचायतों को तोड़ दीजिये और अदालती पंचायतों का सारा काम ग्राम पंचायत के सिपुर्द कर दीजिये । दोनों ही अलग-अलग काम करती है । यदि अदालती काम ग्राम पंचायत को दे दिया जाता है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है । गांव सभा के हाथ में प्रधान और सदस्यों के

चुनाव का काम देना चाहिये । इस तरह से सारे अधिकार उसको देने चाहिये । राजस्व की वसूली का अधिकार, प्राइमरी स्कूलों का इन्तजाम, वहां पर पुलिस भी उनके हाथ में रहे । साथ ही कुर्क अमीन और चपरासी का एक दफ्तर हो । ये सब काम उनके हाथ में दिये जायं। बीज गोदाम भी उनके पास रहे । साथ ही वहां पर साधन सहकारी समिति भी बननी चाहिये इसका जिक्र तो मैं यहां पर नहीं करना चाहता। वहां पर एक-एक ग्राम पंचायत में उद्योग कार्यालय भी जरूर रहना चाहिये। आप एक तरफ किताबी ज्ञान देना चाहते हैं और दूसरी तरफ रचनात्मक बात करते हैं। किताबी ज्ञान और रचनात्मक काम, दोनों एक नहीं हो सकते । वहां एक उद्योग का केन्द्र रहे, उसके शिक्षक रहें, मेकैनिक रहें और वे उन ग्रामीण बच्चों को उनके खाली समय में काम सिखायें, उद्योग धंधों की शिक्षा दें, तभी मैं समझता हूं कि वहां पर कोई कल्याणकारी काम हो सकता है ।

इसके साथ साथ कल भी यह बात चल रही थी, आज भी मैं देख रहा हूं कि चल रही है । नियोजन और एकीकरण, गांव पंचायत और ग्राम सभा दोनों एक दूसरे से संलग्न हैं । आज भी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उस स्तर पर पहुंचेंगे । मैं बतलाना चाहता हूं कि आप अनुदान दे रहे हैं कुआं और रहट बनाने के लिये, वह ठीक है, लेकिन वह रुपया किसानों को मिल नहीं पाता है और उससे थोड़े से लोग ही फायदा उठा रहे हैं । अब प्रश्न यह है कि यह समस्या हल कैसे हो । आप वह रुपया ग्राम सभा के प्रधान और उन पदाधिकारियों को दीजिये जिनको मैं अभी बतला चुका हूं । आप व्यक्तिगत रूप से किसी को रुपया न दीजिये । उनके द्वारा मान्यवर, आप निर्माण का काम कराइये और ब्लाक के अधिकारी देखें कि जो निर्माण के कामों के लिये रुपया दिया गया है वे हुए हैं या नहीं। मेरी जानकारी है हजारों कुओं का रुपया लोगों ने ले लिया है और बनाये नहीं । अगर मंत्री जी किसी प्रतिनिधि को भेज कर जांच करायें तो मैं अपने क्षेत्र में ही ५०० ऐसे कुवें दिखला सकता हूं कि उन कुओं का रुपया ले लिया गया और मेड़ आदि ऊपर बना कर उसे नया बना हुआ दिखला दिया गया। असल में कुवें बनाये नहीं गये । इसलिये आप ग्राम सभा के प्रधान और उन पदाधिकारियों को रुपया दें और उनकी सख्ती के साथ जांच करायें। जनतंत्र में जहां जनप्रतिनिधि उदार होते हैं वहां यह भी होता है कि कानून के जरिये से जो गलत काम हो उसको सख्ती के साथ रोका जाय । हमको बतलाया गया कि विरोधी लोग कानून नहीं मानते और गलत काम करते हैं, लेकिन यह सब आपने ही सिखाया है । सन् ४२ की क्रांति के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरह से तोड़-फोड़ और हुल्लड़बाजी से स्वराज्य लेना शुरू किया गया है उसका फल देश को भोगना पड़ेगा । विरोधी दल के लोग तो स्वयं ही सुधर जायंगे यदि शासन सुधर जाय । तो आप उनकी जांच कराइये और ग्राम प्रधानों के द्वारा यह निर्णय का काम शुरू कराया जाय, यह मेरा निवेदन है ।

एक तरफ पंचायत के मुकदमे चल रहे हैं और दूसरी तरफ जिला परिषद् के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिषद् बन रही है । मैंने बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट और दूसरी चीजें पढ़ी हैं । एक ओर पंचायत इंसपेक्टर हैं, डी० पी० ओ० आदि हैं और दूसरी तरफ वैसे ही अधिकारी ब्लाक में काम कर रहे हैं। यह दोनों समानान्तर कैसे चल सकते हैं यह समझ में नहीं आता । ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का फंड एक करने की बात आयी है और यह सुन कर मुझे खुशी हुई । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ब्लाक और पंचायत के अधिकारियों में विरोधाभास है और वे अपने को भिन्न समझते हैं। श्रीमन्, प्रधानों से मेरा बड़ा संबंध रहा है। वे नहीं समझ पाते कि वे ब्लाक के बी० डी० ओ० की बात मानें या जिला पंचायत राज निरीक्षक की । हालांकि दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम है श्रमदान, विकास करना, बेकारी दूर करना, खड़ंजे लगाना, रोशनी करना आदि, लेकिन इन कामों के लिये दो बाडी हैं । मैं समझता हूं कि सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिये । क्षेत्रीय परिषद् जो आपने बनायी है वह सोच समझ कर बनायी होगी, लेकिन चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिये, अप्रत्यक्ष नहीं ।

[श्री राधेश्याम]

जो लोग अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं वे वही लोग करते हैं जो जनतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। हम तो हर चुनाव को, चाहे वह राष्ट्रपति का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो, या किसी का भी हो, प्रत्यक्ष ही कराना पसन्द करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अभी जिला परिषदों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो शायद अगली बार विधान सभा का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव में होता क्या है? साधन-सम्पन्न लोग वोटों को खरीद करते हैं और वे चुन जाते हैं। अभी कौन्सिलस के चुनाव में हमने देख लिया कि एक लखपती आदमी चुन लिया गया। वह कैसे चुना गया? आप कहेंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव में पैसा अधिक खर्च होगा, अगर आप को जनतंत्र चलाना है, उसको मजबूत बनाना है, तो उसके लिये आपको पैसा खर्च करना ही होगा।

आप ब्लाक कार्यालय और ग्राम पंचायतों के दफ्तरों को एक ही में कर दें। इससे आपको काफी सहूलियत हो जायगी। आप अदालत पंचायतों को बिलकुल तोड़ दें और उनको ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दें। अगर आपने ऐसा किया तो आप ग्राम पंचायतों की तरफ से एक क्रान्तिकारी कदम उठा सकेंगे। जब आप इस सम्बन्ध में बात करते हैं तो यही आभास मिलता है कि कथनी ही सरकार की रह जायगी और करनी में कोई अन्तर नहीं होगा। अंग्रेजों के जमाने में जब जनप्रतिनिधियों की सरकार थी तब भी अधिकारीगण गांवों का दौरा किया करते थे। आज आपके कितने अधिकारी गांवों में जाकर वहा का निरीक्षण करते हैं। आपने १२-१४ हजार की एक जीप तो अपने अधिकारियों को दे दी है, मगर आप जांच तो कराइये कि उसका किस तरह से प्रयोग करते हैं। दो महीने के अन्दर वह जीप बेकार कर दी जाती है। बी० डी० ओ० आदि जो आपके कर्मचारी हैं वे तथा उनके बच्चे उन जीपों पर घूमा करते हैं। जीप टूटने के बारे में मैंने एक अधिकारी से पूछा कि इतनी जल्दी गाड़ी खराब कैसे हो गयी? उन्होंने बताया कि वहां पर बांध आदि बन रहा था और वहां पर आना जाना पड़ता था। सरकार कहती है कि हम उसको कैसे रोकें, उसका कैसे प्रबन्ध करें। प्रबन्ध तो आप को करना है, हम उसको क्या बतायें। हमको अगर आप सरकार बना दें तो हम प्रबन्ध करके दिखा सकते ही हैं। इस समय तो विरोधी लोगों का काम आलोचना करना तथा साथ-साथ कुछ सुझाव देना है। आलोचना के साथ कुछ सुझाव संलग्न हैं। आप अगर जांच कराये तो आपको मालूम हो जायगा कि आज क्या हालत है क्षेत्रीय समितियां की, गांव पंचायतों का, और आप के विकास के कार्यों की। मैंने जो सुझाव रखें हैं अगर उन पर आपने गौर किया और आपके अधिकारियों ने गांवों में जाकर ठीक तरह से गस्त किया और लोगों को विकास की योजनायें बतायीं, तो उससे ही कुछ लाभ हो सकेगा। विकास हो सकेगा वरना नहीं। आपकी पुस्तकें पढ़ने से तो जरूर ऐसा लगता है कि गांधीजी ने जो कहा था वह सब पूरा हो गया और अब आगे विकास की जरूरत नहीं रही, मगर जब हम गांव में जाकर देखते हैं तो वही टूटा हुआ छप्पर, गरीबी और पुरानी हालत देखने को मिलती है। आमदनी भी वहां की घटी है, इसमें दो राय नहीं।

आपने कहा कि सिंचाई के साधन बढ़ायें जायं। वह आपने अनुमानतः गलत तरीके से बढ़ाये, उनका सही उपयोग हो नहीं पाया। तो पूरा इस विभाग पर नियंत्रण कीजिये। इस विभाग को मंत्रिणी में शासन के गुण मुझे काफी नजर आते हैं और वह पुरुष की भांति घूमती हैं, इसमें मुझे खुशी है, पर साथ-साथ अनुरोध करूंगा कि जितनी भ्रष्टाचार उनके मुहकमें में है उतना शायद किसी दूसरे मुहकमे में हो। यह ठीक है कि इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नही है, क्यों कि गांवों से ही संबंध सारे प्रदेश का है और यह मुहकमा गांवों से ही संबंधित है। तो प्रदेश की मुख्य खराबी गांवों में ही होगी। तो एक-एक बात आप देखिये। अगर आपके ५ साल के कार्यकाल में भी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी गांव के अन्दर कोई सुधार नहीं होता है तब यह निश्चय है कि कुछ होने वाला नहीं है, ज्यों कि त्यों बात रह जायगी और फिर आप कहेंगे कि सन् ६७ में आकर फिर सुधार करेंगे और उसके बाद फिर वही कहेंगे, क्योंकि आप को तो ५ साल मिल ही जाते हैं।

दुनिया के हर एक देश का इतिहास पढ़ लीजिये। माननीय गोविन्द सहाय यहां बैठे हैं जो समाजवाद के पंडित हैं। मैंने उनका व्याख्यान अलीगढ़ में और कई जगह सुना है, आज तो वह सरकारी पक्ष में है। समाजवाद की बात वह बड़े ढंग से करते हैं, एनलिसिस करके समझाते हैं। खैर समाजवादी मुल्कों की बात छोड़ दीजिये, पूंजीवादी मुल्कों में भी आप कहते हैं कि यह देश पिछड़ा हुआ है तो मुझे शर्म आती है। अंग्रेजी सरकार को हमने लड़कर भगाया। अगर सन् ४७ से ५२ तक कहते कि बहुत पीछे हैं तो ठीक था, लेकिन १५ साल बाद आज भी यह बात कहना गलत है। आप के पास सारे साधन और वस्तुयें मौजूद हैं जो विज्ञान के लिये जरूरी हैं और अगर नहीं हैं तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूंजीवादी मुल्कों में भी इन १५ वर्षों में विकास का काम हुआ है। आज जनतंत्र की बात करते हैं तो बहुत चिढ़ होती है। हो सकता है कि मेरे दिमाग में आपकी बात न आती हो, क्योंकि नौजवान हूं, कालिज से निकला हूं, लेकिन जनतंत्र की बात आप करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। जाकर जरा दारुलशफा की और सेक्रेटेरियेट की हालत देखिये और फिर गांव की हालत देखिये। कोई है आपके पास उत्तर ? जितने में आपका दारुलशफा बना है उतने में सौ गांव बन जाते और सौ गांवों में मेरा खयाल है कि १ हजार के हिसाब से १ लाख आदमी रह सकते थे, तो क्या इसकी जरूरत है ? महात्मा गांधी जी की बात करते हो, मालूम है उनका निजी खर्च कितना था ? जरा उनका और अपना खर्चा देखिये, एक बी० डी० ओ० के खर्चे से मिलान कीजिऐ जो निम्न श्रेणी का कर्मचारी है, उसका भी ३-४ गुना होगा। गांधी जी की बात कहना बड़ा आसान है, लेकिन गांधीवादी आदर्श जैसा होना चाहिये, जैसी गांधी जी की कल्पना थी, वह कोई और चीज है। मैंने उनका एक लेख पढ़ा था, उसका अंग्रेजी का एक वाक्य यह था---

"Like the train which is moving forward without caring for difficulty in the way, the mankind is also moving towards its progress and it is hoped that soon it will reach its destination."

गांधी जी बड़ी सरल भाषा में कहते थे कि वह कौनसा दिन आयेगा जब हमारे ग्रामीण स्तर के लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। १५ साल हो गये, एक ही रंण-रोमना। हम कहते हैं सही बात, हम सुझाव देते हैं तो आप कहते हैं कि रुपया नहीं है। बस यही आफत हो जाती है। तनख्वाह बढ़ाने के लिये कहां से रुपया आ रहा है ? एम० एल० एज० की तनख्वाह बढ़ाने जा रहे हैं, कल ही चर्चा हो रही थी, उसके लिये कहां से आ रहा है, बताइये ? सेक्रेटेरियेट और दारुलशफा बनाने के लिये कहां से आ रहा है ? सिनेमा बनाने के लिये सीमेंट और रुपया कहां से आ जाता है ? गांव के उत्थान के लिये रुपया नहीं था, मध्यम वर्ग के स्तर को बढ़ाने के लिये अनाप-शनाप रुपया है।

इसलिये मैंने जो सुझाव दिये, अगर वह आपने आलोचनात्मक भाषा में लिये हैं तो वास्तव में ग्राम स्वराज्य की कल्पना आपके सामने हो सकती है। मेरी बात का जवाब देने के लिये तर्क तो निकलेंगे ही, क्योंकि "हां" की संख्या ज्यादा है। संख्यानुसार के आधार पर "हां" की संख्या ज्यादा हो तो जो सरकारी पक्ष कहें वह ठीक ही है और दूसरे जो कहें, वह गलत है, इस प्रकार से क्या जनतंत्र चला है ? किसी देश में नहीं चला। जनतंत्र की दो परिभाषायें हैं। जनतंत्र में अल्पमत को उतनी ही सहूलियतें दी जाती हैं जितनी कि सरकारी पक्ष को। साथ ही साथ जनतंत्र में अल्पमत सरकारी पक्ष में भी बदल सकता है और सरकारी पक्ष अल्पमत में आ सकता है। तो उन सहूलियतों को दीजिये और उस दृष्टिकोण से माप-दंड लाइये, तभी गांव सभाओं का कल्याण हो सकता है.....

श्री उपाध्यक्ष---अब आपको बोलते हुये आधा घंटा हो गया है।

श्री राघेश्याम---अब जल्द ही खत्म करूंगा।

[श्री राधेश्याम]

गांव प्रधानों की बाबत कहा गया कि वे पार्टीबन्दी के आधार पर चुने गये हैं। कुछ जगहों पर वे पार्टीबन्दी के आधार पर नहीं चुने गये होंगे, उनकी बात जाने दीजिये, लेकिन ज्यादातर पार्टीबन्दी के आधार पर ही चुने गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब किसी विधान सभा का अध्यक्ष एक पार्टी का सदस्य हो सकता है तब फिर गांव सभा का प्रधान किसी पार्टी का सदस्य क्यों नहीं हो सकता? किसी भी जनतंत्र में जो स्पीकर चुना जाता है यदि वह पार्टीमैन होता है तो वह पार्टी से इस्तीफा दे देता है, लेकिन इस देश में रूलिंग पार्टी के सदस्य विधान सभा के स्पीकर होते हैं। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि चूंकि बी० डी० ओ० खराब हैं इसलिये काम भी खराब होता है। मैं यह मानता हूं कि यदि ग्राम पंचायत में पार्टीबन्दी चलेगी तो वह गलत काम करेगी, लेकिन आप अपनी तरफ भी तो नजर डालिये। जब विधान सभा में शासक पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, जो कि चुनाव के बाद भी पार्टी से इस्तीफा नहीं देता तो फिर गांव प्रधान के लिये इस प्रकार की बात करना केवल कल्पना ही होगी। मैं जानता हूं कि आप संख्या के बल पर जनतंत्र की परिभाषा भी बदल सकते हैं और पूंजीवाद की परिभाषा भी बदल सकते हैं इसलिये मैं इस सम्बन्ध में क्या कह सकता हूं।

मुझे गांधी जी का एक वाक्य याद आता है, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं रही, उसको समाप्त कर दो और उसकी जगह पर लोक सेवा संग्राम पार्टी बनाओ। लेकिन जब कांग्रेस को रखा गया और पार्टी के आधार पर सरकार बनी तो फिर सोशलिस्ट पार्टी को भी मजबूर होना पड़ा। सोशलिस्ट पार्टी ही सबसे पहले अलग हुई थी। हमारी पार्टी ने घोषणा की थी कि सरकारी पक्ष संख्यानुसार जनतंत्र की अवहेलना करेगा तो हम भी पार्टी बनाकर उसकी आलोचना करेंगे। जब बुनियाद ही गलत है तो वैसा फल भी भोगना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर निर्माण कार्यों में आपको सहयोग दें, भुखमरी, गरीबी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सब बातों को मिटाने में यदि आपसे आगे न रहें तो पीछे भी न रहें। परन्तु जैसी आपकी व्यवस्था है उसमें हम कुछ कर नहीं पाते, दिल मसोस कर रह जाते हैं, फिर मजबूरन यही सोचना पड़ता है कि स्ट्रगल करके दुरुस्त करें। सुचेता जी कहती हैं कि हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों की तरह से दंगा करते हैं। हमको मजबूर होकर वैसा करना पड़ता है क्योंकि हम जो सुझाव देते हैं उनको आप मानते नहीं, "हां की संख्या ज्यादा है" यह कहकर ठुकरा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शासन की तरफ से जो गलत काम होते हैं, जब नया इतिहास लिखा जायगा, तब उसके लिये जवाब देना पड़ेगा। गांव प्रधान के लिये आपने यह प्राविधान कर रखा है कि एक बार हार जाने पर गांव प्रधान उस टर्म में गांव प्रधान नहीं बनाया जा सकता, आखिर यह कैसा कानून है? मैं जिन मंत्री महोदय को हरा कर आया हूं उन्होंने मेरे क्षेत्र में एलान किया ---उनको एम० एल० सी० का टिकट नहीं मिला कि मैं हार गया तो क्या, मैं तो मंत्री बन जाऊंगा? इस मंत्रिमंडल में चोर दरवाजे से लोग आये जिसकी हिन्दुस्तान के तमाम इतिहासकारों और लेखकों ने आलोचना की, इसका कोई जवाब आपके पास है? सबसे बड़ी गल्ती और जनतंत्र पर कुठाराघात यह हुआ कि एम० एल० सी० का चुनाव तो जिताया नहीं पहले ही मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि फलां फलां मंत्री बना दिये गये.....

श्रीमती सुचेता कृपालानी---उपाध्यक्ष महोदय, जो बात वह कह रहे हैं वह बिलकुल इर्रेलेवेंट है।

श्री उपाध्यक्ष---जी हां।

श्री राधेश्याम---मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इसका जिक्र मैंने जानबूझ कर किया था। मैंने जो सुझाव दिये हैं, मैं आशा करता हूं कि वह उन पर जनतांत्रिक दृष्टिकोण से विचार करने की कृपा करेंगी।

[अनुदान संख्या १२––गांव सभायें और पंचायतें

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री कृष्णानन्दराय ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––गांव सभाओं और पंचायतों के कोष के निर्माण और संचालन पर बहस करना एवं सुझाव देना ।
२	श्री विजयपालसिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––शिकायतें करना और सुझाव देना ।
३	श्री विपिनबिहारी तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––लगान का १० प्रतिशत देने सम्बन्धी नीति पर चर्चा करना ।
४	श्री छेदालाल चौधरी..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––गांव सभाओं की कार्य-विधि, चुनाव और न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव देना ।
५	श्री मैनेजर ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।
६	श्री जे० पी० मिश्र ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
७	श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––पंचायतों को कुछ एक निर्माण-कार्य सौंपे जा रहे हैं, पर उन्हें प्राविधिक परामर्श देने की व्यवस्था नहीं की गई है ।
८	श्री रामभजन ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––गांव सभाओं तथा पंचायतों को अधिक उपयोगी और कार्य-कुशल बनाने के लिये सुझाव देना ।

[कटौती के प्रस्ताव जो उपस्थित किये हुये माने गये ।]

क्र०-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक का रूप
९	श्री शिवदानसिंह ..	मद (क) गांव सभाओं और पंचायतों की स्थापना के सम्बन्ध में व्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सरकार की नीति के सम्बन्ध में सुझाव रखना ।
१०	श्री घनश्यामदास ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—पंचायत मंत्रियों के कार्यों पर उच्च कर्मचारियों द्वारा नियंत्रण में ढिलाई का होना ।
११	श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री भानुप्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री मुन्नूसिंह, श्री विजयसिंह, श्री चैतन्यराजसिंह, श्री रामअधार कनौजिया, श्री नवरंगसिंह, श्री प्रेमसिंह तथा श्री बलवीर सिंह ।]	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री राजनाथ (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

मैं माननीय विकास मंत्राणी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारी ग्रामीण पंचायतें प्रजातंत्र की आधारशिलायें हैं । इन्हीं को बल प्रदान करके हम प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं । यही शासन की प्रारम्भिक इकाइयां और प्रजातंत्र की नीव हैं । इन्हीं के विकास से देश का विकास होगा और समाजवाद के लिये मार्ग प्रदर्शित होगा । इन्हें अधिक से अधिक बल प्रदान करने के लिये हमारी सरकार सदा प्रयत्नशील है । इन्हीं ग्रामों के बारे में, जहां की ये पंचायतें होती हैं, मैथिलीशरण गुप्त ने भी कहा है कि :

जगती कहीं ज्ञान की ज्योति,
शिक्षा की यदि कमी न होती ।
तो ये ग्राम स्वर्ग बन जाते,
पूर्ण शान्तिरस में सन जाते ।।

ज्ञान और शिक्षा की वहां अब भी कमी है । हमारी सरकार इनके लिये प्रयत्नशील है । हम ग्रामों में गोष्ठी की आयोजना करते हैं । समय-समय पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है । इतना ही नहीं, समय-समय पर ऐसी गोष्ठियां की जाती हैं जिनमें ग्रामों के लोगों को भी भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है । शिक्षा के लिये प्रत्येक गांव में बालक और बालिकाओं के लिये पाठशालाओं की व्यवस्था की गई है । यह इसलिये किया गया है कि हमारे ग्रामों से शिक्षा का अभाव दूर हो । शान्ति के लिये भी हमारी सरकार की व्यवस्था है और जो चुनाव की प्रणाली अपनाई गई है वह इसीलिये है कि द्वेष न फैले । यदि हम गांवों की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम उसमें सफल न हों और वहां शान्ति-रस-धारा प्रवाहित

न हो । हम चाहते हैं कि हम ग्रामों में प्रजातंत्र के मार्ग प्रशस्त करने वाले कार्य करें । इसके लिये इकबाल के शब्दों में याद आती है --

आ मिल के गैरियत के पर्दे को फिर उठा दें,
बिछुड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें ।

इस प्रकार हमारे विरोधी पक्ष के भाई और हम यहां दलगत राजनीति को प्रश्रय न दें। प्रजातंत्रीय विकास के लिये तीन सिद्धान्त हैं । यदि हमारा सिद्धान्त समाजवादी नहीं होगा, हमारा कार्यक्रम पूंजीवादी होगा और मध्यमवर्गीय होगा, तो कभी भी इन ग्रामों में समाजवाद और प्रजातंत्र की नीव को सफल नहीं बना सकते हैं । लेकिन सरकार सचेष्ट है, उसका कार्यक्रम समाजवादी और प्रजातांत्रिक है और उसका सिद्धान्त भी प्रजातांत्रिक समाजवाद है । हम अपनी तमाम योजनाओं को और कार्यक्रमों को समाजवाद के रूप में समन्वित करके आगे बढ़ रहे हैं । इसका परिणाम यह होगा कि धीरे-धीरे गांवों का विकास होगा और वहां प्रजातंत्र की नीव मजबूत, सरल होगी ।

इसके साथ में जहां तक ग्रामीण पंचायतों का सम्बन्ध है, उसके बारे में दो-एक सुझाव आपके सम्मुख रखना चाहता हूं । पहला सुझाव यह है कि ग्रामीण पंचायतों के प्रधान का चुनाव जिस प्रकार आप अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं उसी प्रकार ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाय । उसके बाद ये ग्रामीण पंचायतों के सदस्य अपने प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से चुनें। ग्रामीण पंचायतों के जो अधिकारी, लेखपाल, ग्राम सेवक और मंत्री हैं, इनके अधिकारों और कर्त्तव्यों की व्याख्या होनी चाहिए । बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० के अधिकारों की तो व्याख्या की गई, किन्तु इन तीनों की नहीं की गई । इन पर प्रमुख और प्रधानों का नियंत्रण होना चाहिये। गांव के प्रधान को मंत्री और ग्राम सेवक की चरित्र पुस्तिका में चरित्र अंकित करने का अधिकार होना चाहिये और उसी प्रकार क्षेत्र समिति के प्रमुखों को भी अपने मातहतों के बारे में अंकित करने का अधिकार होना चाहिये । इससे वे अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकेंगे। प्रधान और प्रमुखों के निर्वाचन के लिये कुछ शैक्षिक योग्यता का प्रतिबन्ध होना चाहिये । यदि प्रधान साक्षर नहीं चुने जाते तो वहां के मंत्री प्रोसीडिन्ग्स को स्वयं लिख लेते हैं और जो प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं उनके प्रारूप में परिवर्तन भी कर देते हैं । क्षेत्र समितियों के प्रमुख भी साक्षर होने चाहिये; यदि वे शिक्षित नहीं होंगे तो परिणाम यह होगा कि वहां के अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण प्रमुख पर होगा न कि प्रमुख का विकास अधिकारियों पर । जब तक यह सब नहीं होगा, वहां प्रजातंत्र का ढांचा शिथिल रहेगा और वहां कार्य नहीं हो सकेगा ।

आय के स्रोत की भी बात है । जो मालगुजारी या लगान वसूल किया जाता है उसका चौथाई अंश ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिये जिससे उनका कार्य सुचारु रूप से चल सके । इसी पर उनकी सारी योजनायें अवलम्बित और निर्भर होंगी । वरना कुछ दिन बाद ये पंचायतें कुंठित हो जावेंगी और कुछ भी कार्य नहीं कर सकेंगी । इनके विकास का सारा कार्य ठप्प पड़ जायगा ।

श्री जगन्नाथ (जिला जौनपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो अनुदान पेश है इस पर गांव की इकाई और गांव की उन्नति निर्भर है और वही सारे देश की उन्नति की आधारशिला है । गांव पंचायतों की परम्परा हमारे देश के लिये बहुत पुरानी परम्परा है । प्राचीन हिन्दुस्तान में ग्राम पंचायतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है । लेकिन आजकल जो ग्राम पंचायतें प्रदेश में चल रही हैं वे अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रही हैं । उसका कारण यह है कि इन ग्राम पंचायतों पर सरकारी नियंत्रण अधिक है और जो ग्राम के प्रधान चुने जाते हैं उनके चुनने में जो पद्धति अपनायी जाती है वह भी दोषपूर्ण है । क्योंकि उनसे गांवों में झगड़े खड़े हो जाते हैं और पूरा गांव दो विभिन्न दलों में बट जाता है और उसके कारण विकास का काम ५ साल तक रुक जाता है । आदरणीय बहिन जी ने बताया कि बहुत से गांवों में निर्विरोध चुनाव हुआ तो उन गांवों की एकता बनी रही और वहां जितने भी रचनात्मक कार्य हुए वे सुचारु

[श्री जगन्नाथ]

रूप से पूर्ण हुए। इसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि ग्राम प्रधानों के चुनाव निर्विरोध होने चाहिये। और जिन गांवों में चुनाव निर्विरोध न हों उनको सरकार निकट के गांवों में मिला दे। इससे डर कर वे अपने यहां निर्विरोध चुनाव कराने का प्रयत्न करेंगे।

दूसरी कठिनाई यह है कि हमारे यहां एक पंचायत सेक्रेटरी होता है उसके बारे में मेरा निश्चित मत है कि वह अधिकांश समय इधर-उधर घूमता रहता है, गांव के लोगों के लाभ के लिये जो काम होने चाहिये वे नहीं हो पाते हैं। वह कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता है और अपने रजिस्टर को खानापूरी कर लेता है।

एक कठिनाई यह भी है कि ग्राम पंचायतें छोटी-छोटी हैं और जो उनका टैक्स वसूल होता है उससे वे अपना विकास का कार्य पूरा नहीं कर पातीं हैं और सारा रुपया सेक्रेटरी के भत्ते और कागज पत्रों में खत्म हो जाता है। इसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि सरकार उनको गांवों में न भेजे और वे लोग भी लोगों के द्वारा ही चुने जायं।

गांवों की संपत्ति को बढ़ाने के लिये इस बात को आवश्यकता है कि रुपये में एक आना टैक्स वसूल करने का जो अधिकार उनको दिया है उसमें बड़ी कठिनाई होती है। सरकार को अपने राजस्व में से कुछ भाग पंचायतों को अवश्य देना चाहिये, तभी ग्राम पंचायतें अधिक उन्नति-शील हो सकती हैं।

एक ही क्षेत्र में लेखपाल, ग्रामसेवक और सेक्रेटरी आदि लोग कार्य करते हैं। इतनी बड़ी सरकारी कर्मचारियों की सेना गांवों के ऊपर रख दी है, यह उचित नहीं है। यदि उनको रखना आवश्यक हो तो २–२, ४–४ गांवों में उनको बांट दिया जाय जिससे एक ही क्षेत्र में रह कर वे सब काम कर सकें।

आज के ग्राम विकास की योजनाओं में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह है प्रधानों का अशिक्षित होना। इसका नतीजा यह होता है कि वे अपने कार्य को समझ नहीं पाते हैं। इसके साथ ही साथ जो विकास क्षेत्र हैं उनमें जो काम करने वाले लोग ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० आदि हैं वे उस अनुदान को जो जिले की ओर से मिलता है अधिकांश में गोलमाल कर देते हैं। वे लोग इधर-उधर मोटर लेकर घूमा करते हैं और कागजों में दिखाया करते हैं कि यहां डिग्लिंग हुई, यहां खाद का प्रयोग किया गया, इतने एकड़ में जापानी ढंग से खेती की गयी। वास्तव में वैसा खेतों में नहीं होता है वह तो उसकी डायरी में होता रहता है। इस प्रकार से इन कार्यों को चेकिंग की जाय तो जनता का बहुत कुछ कल्याण हो सकता है।

ग्राम पंचायतों के विकास में सब से बड़ी कठिनाई सरकारी कर्मचारियों का समय-समय पर हस्तक्षेप करना है। वे ग्राम पंचायतों के निर्वाचित किसी भी सदस्य को यह कह कर निकाल देते हैं कि यह फलां राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास बैठे हुए श्री हरिनाथ त्रिपाठी एक क्षेत्र में सरपंच थे, लेकिन उनको यह कह कर कि वे जनसंघ के सदस्य हैं, हटा दिया गया। तो यदि जनता के चुने हुए लोगों को सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से हटाने का काम करें तो इसकी शक्ति दिन पर दिन क्षीण होती चली जायगी और वह शक्तिहीन होगी।

जहां तक न्याय पंचायतों का सम्बन्ध है पहले यह समझा गया कि अगर न्याय पंचायतें बन गयीं तो न्याय के लिये लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। पूज्य महात्मा गांधी जी की भी यही कल्पना थी कि ग्रामीण जनता खर्च से बच जायगी, लेकिन ग्राम पंचायतें बन जाने पर आज छोटी-मोटी बातों को लेकर लोग आसानी से ग्राम पंचायतों में मुकदमें लेकर दे आते हैं और ग्राम पंचायतें पार्टीबन्दी के आधार पर उनका फैसला करती हैं। यही कारण है कि विकास योजनाओं को सफल स्वरूप देने का गांवों में जो एक उत्साह चाहिये वह हम नहीं दे पाते जिससे ग्रामीण उन्नति के सब काम नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से काम ग्राम पंचायतों को ऐसे दिये गये हैं जिसका नाजायज फायदा ग्राम समाज के प्रधान उठाते हैं। वैसे तो गांव समाज

को जो सम्पत्ति थी उसे आप धीरे-धीरे प्रधानों से अलग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो गांवों में चरागाह या खलिहान वगैरह थे वे धीरे-धीरे उन लोगों के कब्जे में चले गये जो कि प्रधानों के गुट में थे। जो गरीब थे और जिनको वह सम्पत्ति मिलनी चाहिये थी वह उनको कुछ भी नहीं मिल पायी। जो ग्राम पंचायतें हैं वे हर क्षेत्र में सफल हों, इनके लिये जितना भी प्रयास किया जाता है उनमें अब सहकारी समितियों का उद्भव भी एक है जिनके जिम्मे विकास क्षेत्र का काम चल रहा है। लेकिन धीरे-धीरे यह कार्य तभी सुचारु रूप से हो सकता है जब कि जो अधिकारी—जैसे जिलाधीश हैं या क्षेत्र के विकास अधिकारी हैं या जनता द्वारा चुने हुए आदमी हैं, वे अधिक-से-अधिक अपना समय विकास क्षेत्रों में घूमने में दें और अपने पूरे क्षेत्र में घूम-घूम कर लोगों को प्रोत्साहित करें, तो बहुत-सी ग्रामीण समस्यायें हल हो सकती हैं और ग्रामीण जीवन में एक नया मोड़ उपस्थित हो सकता है। जैसा कि आपने अभी बतलाया कि ग्रामीण लोगों से साल भर में घंटे दो घंटे श्रमदान लेने के लिये कोई कानून बनने वाला है, लेकिन कानून से इसमें सफलता कम मिलेगी। सफलता तो तभी मिल सकती है जब लोगों को उत्साहित किया जाय कि वे ग्रामीण जीवन में प्रेरणा लें। इसी तरह से गांव विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

इसके अतिरिक्त गांव में आज जितनी भी समस्यायें खड़ी हो रही हैं उनकी तरफ भी ग्राम प्रधानों को कुछ अधिकार मिलने चाहिये। जैसे कि एक छोटी-सी बात है कि गांव में कोई आदमी पेड़ से गिर कर मर जाता है या कोई कुएं में गिर कर मर जाता है तो आज गांव के प्रधान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह उस पर कोई निर्णय ले सके, जब तक कि उसे सम्बंधित पुलिस स्टेशन पर न लाया जाय। वैसे तो कौटुम्बिक रजिस्टर में लोगों के जन्म-मृत्यु लिखने का काम ग्राम प्रधान करता है, लेकिन इसके सिवा वह और कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि हर समय ग्राम का सेक्रेटरी उनके ऊपर चढ़ा रहता है जिससे कि वह कोई कार्यवाही नहीं कर पाता। उस रजिस्टर को सेक्रेटरी ही भरता है, ग्राम प्रधान केवल उस पर हस्ताक्षर अपने कर देता है। इसके अलावा अपने गुट वालों को प्रसन्न करने के लिये वह इस तरह की और बातें करता रहता है।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन में सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जहां तक पंचायतों के गौरव का, उनकी महानता का और उनके महत्व का प्रश्न है वह तो निर्विवाद है और विशेषतया हमारे देश और इस प्रदेश में बहुत पहले से पंचायतों की स्थापना हुई थी और उनके द्वारा ग्रामीण जीवन का संचालन होता चला आ रहा है। यह अवश्य है कि बीच में अंग्रेजी जमाने में उन पंचायतों को निष्प्राण व कुंठित कर दिया गया था। उनको एक मामूली कानून के मुताबिक इस प्रकार का स्वरूप दे दिया गया कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड लोगों के द्वारा वे चुनी जाती थीं और उनमें प्रायः वही लोग रहते थे कि जो सरकार के पिट्ठू होते थे। इस तरह से ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण समाज की उपेक्षा होती थी, परन्तु स्वराज्य के बाद देश के नेताओं ने इस कमी का अनुभव किया और अवसर पाते ही सन् ४७ में उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट पारित किया गया और उसके द्वारा बालिग मताधिकार के आधार पर पंचायतों का गठन हुआ, लकिन उस समय उनका निर्माण केवल इस दृष्टि से हुआ कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह अधिक से अधिक विस्तृत अधिकार ग्रामीण अंचलों की जनता को दिये जायं। लेकिन इस वक्त सरकार की ओर से उसके अलावा एक दूसरा प्रयास हो रहा है जिसके द्वारा हम ग्रामीण अंचलों का एक सुनियोजित विकास करना चाहते हैं और उसी विकास की ओर उन्मुख होकर हमने क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम बनाया और एक प्रयास लोकतन्त्र को विकेन्द्रित करने का किया और यही ग्रामीण जनता के विकास का सबसे अधिक उपादेय तरीका है कि हमने अपने यहां विकास की इस नई प्रक्रिया को विकेन्द्रित किया और उस ओर हमारा प्रयास हुआ। आज हमने यह प्लानिंग की, ग्रामीण अंचल की ग्रामीण जनता तक विकास को ले जाने की योजना बनाई जिससे यह आदरणीय सदन अवगत है। इस प्रकार अनवरत हम विकेन्द्री-

[रामलखन शुक्ल]

करण की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हर प्रकार के विकास के कार्यों को लोकतांत्रिक ढंग से सम्पन्न कर रहे हैं। पंचायतों का संगठन ऐसा है कि जिसकी दिशा में जरा बल दिया जाय और ठीक से इन इकाइयों को संगठित किया जाय तो वे ग्रामीण जीवन में एक पुनर्जागरण लाने में और एक क्रन्तिकारी परिवर्तन लाने में अवश्य ही निश्चित रूप से सफल होंगी।

इन ग्राम पंचायतों को, जो हमारी प्रथम इकाई हैं, स्वावलम्बी बनाने का प्रश्न बहुत महत्व-पूर्ण है। यह पंचायतें बनीं, हमने उनको इस रूप में ला दिया। लेकिन वास्तव में प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि क्या आज की व्यवस्था में यह पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी होकर उन जिम्मेदारियों को निभा सकती हैं जो हम उन पर डालना चाहते हैं? इसके लिये हमें दो प्रकार की बातों पर विशेष ध्यान देना होगा--एक तो आर्थिक दृढ़ता और दूसरी संगठनात्मक दृढ़ता। यह दो चीजें उनके विकास के लिये प्रथमतः आवश्यक हैं। जहां तक आर्थिक दृढ़ता का सम्बन्ध है, एक बात जो बहुत बार कही जा चुकी है और उसे मैं फिर दोहराये देता हूं, मालगुजारी का एक निश्चित अंश इन इकाइयों को मिलना चाहिये ताकि हम इनके द्वारा अपने विकास कार्यों को संचालित कर सकें। इसके अलावा हमारे ग्रामीण अंचलों में ऐसी-ऐसी बहुत-सी सम्पत्ति हैं जिसको यदि विकसित किया जाय तो बहुत कुछ आय उनसे हो सकती है, जैसे परती जमीनें हैं या पोखरे ताल आदि हैं उनमें सिंघाड़े आदि की पैदावार करके आय बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा भी कुछ पैसे का प्रबन्ध हो सकता है। इस तरह से ग्रामीण अंचलों की बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत को आर्थिक दृष्टि से दृढ़ता प्रदान की जा सकती है।

जहां तक उनकी संगठनात्मक दृढ़ता का प्रश्न है हमारा पिछले सालों का यह अनुभव रहा है कि इन इकाइयों में जितना ही अधिक चुनाव का स्थान होगा और इस तरह के कार्य कलाप चलेंगे उतना ही उनमें बिखराव और विघटन होगा। जहां तक सम्भव हो इन ग्रामीण पंचायतों के चुनाव निर्विवाद और सर्वसम्मत होने चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की कि जहां चुनाव सर्वसम्मति से न हो सकें वहां की पंचायतों को दूसरे गांवों की इकाइयों में मिला दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह सम्भव न हो सकेगा, क्योंकि इसमें मौलिक अधि-कारों का प्रश्न आयेगा। इस सम्बन्ध में अलबत्ता मेरा सुझाव यह है कि इन ग्राम सभाओं के प्रधानों का चुनाव केवल बहुमत के आधार पर न हो यानी सिम्पिल मेजारिटी से न हो जैसे कि ५१ प्रतिशत ने वोट दे दिया तो उसको ग्राम प्रधान मान लिया जाय, ऐसा न करके यह किया जाय कि जो दो-तिहाई वोट से आ जायं उसको ग्राम प्रधान बना दिया जाय। इस तरह से अगर अधिक से अधिक वोट की बात रहेगी तो समझौते की बात आ जायगी और झगड़े कम होंगे। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, कुछ समय और दे दिया जाय।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता था कि इन ग्रामीण अंचलों की बुनियादी इकाइयों के कार्य संचालन का सारा कार्य-भार पंचायत मंत्रियों के ऊपर डाला गया है, लेकिन आज उनकी दशा बहुत ही उपेक्षित है। आज दस वर्ष के बाद भी उनको सरकारी नौकर घोषित नहीं किया गया है, उनकी कोई सर्विस कन्डीशन्स निर्धारित नहीं की गयी और आज तक वह एक विपन्नावस्था में हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सभापतियों को भी वेतन देना चाहिये, मेरा विचार है कि यह एक हास्यास्पद आइडिया है और इस तरह से काम नहीं चल सकता, बल्कि आपस में इससे और संघर्ष बढ़ेगा और ग्राम पंचायतों के चुनाव में कटुता बढ़ेगी, क्योंकि आर्थिक प्रश्न खड़ा हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है और दृढ़ता के साथ निवेदन है कि पंचायत मंत्रियों को ऐसी अवस्था में पे किया जाय। आप ग्राम सेवकों की तरह उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनको ग्राम सेवक के स्तर पर ले आयें। दोनों का एक ही प्रकार का काम है। इसलिये दोनों को समान रूप दिया जाय तो बेहतर होगा।

ग्राम प्रधानों का काम रेवेन्यू विभाग से भी पड़ता है। लेखपालों और ग्राम प्रधानों का सम्बन्ध कुछ इस तरह का होना चाहिये कि लेखपालों को ग्राम पंचायतों की सम्पत्ति लेना अनिवार्य

हो। अगर ऐसा हो जायगा तो लेखपाल, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी और प्रधान सब मिल कर गांव के संगठन में आगे अच्छी तरह कार्य कर सकेंगे।

एक बात का और मैं विरोध करना चाहता हूं वह यह है कि गांवों में चार, चार सिपाही रख दिये जायं, क्योंकि ग्राम सभाओं का कार्य ठीक नहीं हो पाता है। यह लोगों के इनिशियेटिव को मारने का काम होगा। एक तरफ तो ग्राम पंचायतों को हम इनिशियेटिव देना चाहते हैं और दूसरी तरफ पुलिस राज्य कायम करना चाहते हैं चार सिपाही रख कर ताकि गवर्नमेंट के आदेशों का पालन हो और सुरक्षा कायम रह सके। मेरा निवेदन है कि सुरक्षा के लिये सुरक्षा दल बनाये जायं। यही लोकतांत्रिक स्वरूप है। जिस पर गांव की जनता का विश्वास हो वैसा किया जाय तो ज्यादा मुनासिब बात होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो आलोचनायें हम लोग यहां करते हैं उन पर अवश्य ध्यान दिया जाय। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया पटवारी या लेखपाल का सम्बन्ध ग्राम सभाओं से या ग्राम पंचायतों से बहुत ज्यादा है। जहां तक मेरा अनुभव है कि लेखपाल की एक ऐसी इकाई है जिसके सम्बन्ध को ग्राम पंचायतों से अलग नहीं किया जा सकता है और आवश्यकता हो जाती है कि उसका सुधार किया जाय। यों तो लेखपाल का सम्बन्ध ज्यादातर मुहकमा माल से होता है। उसका सम्बन्ध ग्राम सभाओं के सभापतियों से जोड़ दिया गया है जो कतई जुड़ता नहीं है और यही कारण है कि जितने कार्य ग्राम सभाओं या लेखपालों के द्वारा होते हैं वह न के बराबर होते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि जब ग्राम सभापति या भूमि प्रबन्धक समिति किसी पट्टे के किसी भूमिहीन को देता है और वह चाहता है कि इसमें लेखपाल सहायता करे, तो बड़ी परेशानी होती है। लेखपाल उस भूमिहीन के नाम वह पट्टा अगर चढ़ा भी देता है तो रिश्वत के बल पर। मुश्किल यह हो जाती है कि पट्टा कैसे कराया जाय? पट्टा अगर हो जाता है तो दूसरी दिक्कत यह होती है कि तसदीक कैसे कराई जाय? भूमिहीन जो बेपढ़ा होता है, कायदे कानून को नहीं समझता कैसे पट्टे की तसदीक कराये? सारी जिम्मेदारी लेखपाल पर जाती है। तो जब तक उसको रिश्वत न दी जाय तब तक उस बेचारे भूमिहीन के नाम उस जमीन का पट्टा नहीं हो पाता। उस हालत में सभापति भी मजबूर हो जाता है उस लेखपाल से कुछ कहने के लिये उस पट्टे को तसदीक कराने में। और जब किसी तरह से वह पट्टा तसदीक होता है तब फिर दूसरा कानून यह होता है कि उसका किसी तरीके से अमलदरामद कराया जाय। ऐसी तमाम कानूनी दिक्कतें हैं उस बेचारे भूमिहीन काश्तकार की। नतीजा यह होता है कि बहुत से पट्टे जो ग्राम सभापति भूमिहीनों को करते हैं या तो वे तसदीक़ ही नहीं होते और अगर तसदीक़ हो जाते हैं तो अमलदरामद ही नहीं होता और अगर अमलदरामद भी हो जाता है तो उस भूमिहीन को पता ही नहीं होता कि जिस भूमि का उसने पट्टा कराया है वह किस जगह है। वह लेखपाल से जाकर कहता है कि मुझे जमीन बताओ, लेकिन लेखपाल मौके पर बताने नहीं जाता। नतीजा यह होता है कि दो, तीन साल लगान देने के बाद आखिरकार उसे इस्तीफा देना पड़ता है और वह भूमिहीन भूमिहीन ही रह जाता है। तो जैसा कि सभी लोगों ने कहा या तो लेखपाल का ताल्लुक़ ग्राम सभाओं से हो या इसको अलग कर दिया जाय और जो पंचायत के मंत्री होते हैं उनको कुछ ज्यादा भत्ता मंजूर करके उनके जिम्मे यह काम सौंपा जाय या फिर लेखपाल की नियुक्ति और उसकी अलाहिदगी ग्राम सभापति पर रखी जाय। बहरहाल, इसका कोई न कोई तरीका ऐसा निकाला जाय जिससे लेखपाल की जो दिक्कत है वह दूर हो तभी ग्राम सभाओं का काम सुचारु रूप से कर सकता है। यही कारण है कि बहुत-सी जमीन जो ग्राम समाज की होती है उस पर जो जोरदार लोग होते हैं उनका कब्जा रहता है और वह भूमिहीनों और जानवरों को चरने के लिये नहीं मिल पाती, क्योंकि लेखपाल उनको बेदखली के लिये मजबूर नहीं करता। इस तरीके से सभापति भी मजबूर रहता है और जनता भी परेशान रहती है।

[श्री मदनपालसिंह]

दूसरे अदालती पंचायतों के पंचों का जो अभी तरीका है उसमें मैं समझता हूं सुधार होना चाहिये और जिस प्रजातांत्रिक तरीके से ग्राम सभाओं के पंचों का या ग्राम सभापति का चुनाव होता है उसी तरीके से अदालती पंचायतों के पंचों का भी चुनाव होना चाहिए। उनका चुनाव गांव के सदस्यों द्वारा होना चाहिये ताकि वे यह समझ कर चुन सकें कि कौन आदमी चरित्रवान और पढ़ा लिखा है। इसके अलावा इन पंचों के लिये कोई न कोई शिक्षा की योग्यता जरूर रखनी चाहिये ताकि वे सही फैसले कर सकें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि अदालती पंचायतों के फैसले जो अदालतों में पहुंचते हैं वे ज्यादातर खत्म कर दिये जाते हैं। इसलिये अगर पढ़े लिखे और काबिल पंच हों तो जो हमारा पंचायतों का मंशा है वह पूरा हो सकेगा। मेरे कहने का मतलब यह है अदालती पंचायतों के पंच वही लोग चुने जाने चाहिये जो काबिल हों ऐसा कुछ इसमें सुधार होना चाहिये।

ग्राम सभाओं के लिये ज्यादातर यह कहा जाता है कि वे अपने गांव की उन्नति श्रमदान द्वारा करें, लेकिन उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है जिसके द्वारा वे अपने यहां तरक्की के कार्य कर सकें। विकास बिना पैसे के नहीं होता है और उनको एक ही अधिकार दिया हुआ है कि वे टैक्स लगा सकती हैं और वह भी ज्यादा नहीं लगा सकती हैं। २००-३०० रुपये से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। इसके लिये जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि लगान का एक चौथाई भाग उस गांव को देना चाहिये। मैं समझता हूं कि इससे काफी विकास कार्य हो सकते हैं।

श्री रामप्यारे (जिला सिरोंजपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, जो विकास मन्त्राणी जी ने पंचायत के सम्बन्ध में अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं और साथ ही अपने विचार भी रखना चाहता हूं। पंचायतों की व्यवस्था कोई नई परम्परा नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। हमारा इतिहास बताता है कि वैदिक काल से लेकर १९वीं सदी तक पंचायत की व्यवस्था हमारे देश में किसी न किसी रूप में रही है। यद्यपि इस बीच में अनेक प्रकार की राजनीतिक उथल-पुथल होते रहे, लेकिन शासन का भार गांव सभाओं के ही पास रहा। जब अंग्रेजी राज्य कायम हुआ तो चार्ल्स मैटकाफ ने भी लिखा है उस समय छोटी-छोटी ग्राम इकाइयां थीं जो स्वतन्त्र थीं और गांव छोटे राज्य के रूप में स्वतन्त्र थे अपनी जरूरत के लिये परमुखापेक्षी नहीं थे। स्वतन्त्रता के आन्दोलन में हमारी पंचायतें अभिन्न अंग रही हैं। महात्मा गांधी जी ने मद्रास में, १९१६ ही में कहा था कि पंचायतें आन्दोलन का अभिन्न अंग हैं और इसी का समर्थन एनी बेसेंट ने १९१७ में किया था। इस प्रकार से पंचायतों की व्यवस्था हमारे देश में किसी न किसी रूप में रही है।

अब देखना यह है कि स्वतन्त्रता के बाद हमने जो पंचायतों की व्यवस्था की उसके पीछे उद्देश्य क्या हैं। उसके तीन अंग हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम अदालत। हमारे प्रदेश में एक लाख १२ गांव हैं और उनमें करीब ७२,३३३ गांव सभायें हैं। आज हम अपनी शासन शक्ति को विकेन्द्रित करने जा रहे हैं, छोटी-छोटी इकाइयों में उसको बिखेर देना चाहते हैं। इसमें सरकार के कई उद्देश्य हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश के पड़ोस में ऐन्टी डेमोक्रेटिक एलीमेंट, अप्रजातांत्रिक तत्व, हैं और दुनियां में बहुत सी जगह फौजी शासन हाल ही में लागू हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां डेमोक्रेसी की नींव मजबूत हो। इसलिये जरूरी है कि गांव के लोग समझें कि जनतन्त्र में उनका भी हाथ है, योजनाओं में वे भी सहयोग देते हैं और कामन परपज की चीजों में हिस्सेदार होते हैं। एक जमाना था जब डेमोक्रेसी की परिभाषा यह कही जाती थी कि जो राज्य वाद-विवाद और साधारण जनता की कान्सेन्ट (राय) से चलता हो वह प्रजातन्त्र है, लेकिन आज इसकी परिभाषा में अभिनवीकरण की बात है। आज हम जनतन्त्र की नींव को मजबूत करना चाहते हैं इस लिये यह होना चाहिये कि छोटे-छोटे गांवों को इकाई के बहुत से लोगों की राय का एक सिस्टम होना चाहिये। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो नियम सेंटर में या स्टेट में लेजिस्लेचर बना देता है, हालांकि उसमें पब्लिक की इच्छायें हैं, लेकिन वह दूर होते हैं। उसे साधारण जनता अनुभव नहीं कर पाती कि हमारा भी सहयोग है। ग्राम पंचायतों की जो व्यवस्था है वह बहुत अच्छी है। आज हम ग्राम

पंचायतों द्वारा सोशल एजूकेशन लाना चाहते हैं, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जगाना चाहते हैं। बहुत-सी गलतियां गांव पंचायतों में हो सकती हैं, लेकिन हमें उनके काम को ठोस बनाना है। आप देखेंगे कि संसार में उसी देश में प्रजातन्त्र मौजूद है जहां पर "रूरल लोकल गवर्नमेंट" (ग्रामीण स्थानीय सरकार) की स्थापना है। मुझे कई किताबें पढ़ने का अवसर मिला। मिस्टर ग्राइस ने "मार्डन डेमोक्रेसी" में लिखा है कि डेमोक्रेसी की सफलता वहीं हो सकती है जहां "रूरल लोकल गवर्नमेंट" हो। अगर आप अपने यहां लोकतन्त्र की जड़ मजबूत करना चाहते हैं तो आपको भी इस व्यवस्था को बनाना पड़ेगा जो कि आप की डेमोक्रेसी को मजबूत करे। आज कहा जाता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन हमारी सरकार जागरुक है। वह चाहती है कि देश में प्रजातंत्र मजबूत हो। हमारे यहां पंचायत व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

इसके अलावा कुछ मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे यहां रिहन्द बांध से ४५ हजार लोग डिस्प्लेस्ड (उद्वासित) हुए। उनकी ग्राम पंचायतें खत्म हो गयीं। मैं आप से अर्ज करूंगा कि उनका एक महीने के अन्दर चुनाव करवा दिया जाय, ३०, ४० पंचायतें होंगी, ताकि उनका क्षेत्र समितियों में प्रतिनिधित्व हो सके। मैं कल ही बोलना चाहता था, क्योंकि विकास पर कल चर्चा हो रही थी। हमारा जिला मिर्जापुर बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले को भी विशेष परिस्थितियों में ले लिया जाय जैसे उत्तराखंड, बुन्देलखंड हैं, कम से कम हमारे क्षेत्र को दक्षिणाखंड करके रख दिया जाय तो बड़ा उपकार होगा। हर क्षेत्र में सुधार होगा।

गांव सभाओं द्वारा आज हमारे किसानों को यह अवसर मिल रहा है कि अपने निर्णय द्वारा अपना शासन करें और योजनायें बनायें। गांव पंचायतें दो प्रकार के काम करती हैं—ऐच्छिक और अनिवार्य। उससे बड़ा लाभ होता है। जो तीसरा अंग अदालत पंचायत है वह एक नयी चीज है। जो गरीब जनता सैकड़ों मील दूर जा कर न्याय पाती थी अब वह न्याय उसको गांव में सुलभ हो रहा है। मैं आप से बताऊं, हमें तो प्रसन्नता की बात उस समय होती है, जबकि मैं देखता हूं कि बहुत से मुकदमे समझौते के बल पर तय हो रहे हैं। मैंने देखा कि ५६,६३३ मुकदमें १९६०–६१ में समझौते से तय हुए। यह प्रजातन्त्र में आपस में प्रेम भाव बढ़ने का एक नमूना है और हम ग्राम पंचायतों के द्वारा देश में आपस में प्रेम भाव जागृत करना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि जो महात्मा गांधी ने एक स्वप्न देखा था रामराज्य का, वह उनकी कल्पना इन ग्राम पंचायतों द्वारा साकार होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भाई इसके सम्बन्ध में कुछ इधर-उधर की आलोचना करते हैं कि हमारे सेक्रेटरी ठीक से काम नहीं करते, ग्राम-सभा के लोग ठीक से काम नहीं करते यह तो कमियां हैं, इनको तो हम मानते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन आखिरकार इनको दूर करने का तरीका क्या है? जबतक हम किसी पद्धति को अपनायेंगे नहीं, किसी मार्ग पर चलेंगे नहीं तबतक उसकी कमियां या अच्छाइयां नजर कैसे आयेंगी? हम लोग एक नया काम करने चले हैं, उसमें जो गलतियां हो रही हैं उनमें धीरे-धीरे सुधार होगा। और मैं आप से बताऊं कि मेरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे बैकवर्ड है और आज वहां का एक आदिवासी अपनी सरकार के सभी कामों को समझने लगा है, क्योंकि ग्राम पंचायतों की जो व्यवस्था है वह केन्द्र में और प्रदेश में जो सरकारें बनती हैं, उनका एक नमूना है। तो उसको एक ट्रेनिंग मिलती है आगे की तैयारी करने के लिये और देश की आगे आने वाली जिम्मेदारियों को सम्हालने की उसमें शक्ति आ जाती है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करने की जो कल्पना है, नीति है वह बहुत अच्छी है और मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि सदन भी इसका तहेदिल से समर्थन करेगा।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)––उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि पंचायतें हमारे प्रजातन्त्र की प्रथम इकाई हैं और यह भी सन्देह के परे हैं कि उनके विकास पर ही देश का विकास सम्भव है और उनकी क्रय शक्ति पर ही देश का 'औद्योगिक विकास

[श्री महादेव]

सम्भव है । ग्राम पंचायतों के विकास के लिये मैं बहुत विनम्रता पूर्वक एक सुझाव देना चाहता हूं। उसके उत्थान के लिये तीन पाये हैं--पहला पाया उसका है रचनात्मक नेतृत्व, दूसरा है उसकी योजना की कल्पना और तीसरा है उसका प्रबन्धात्मक पहलू। अगर इन तीनों पायों को हम ठीक तरह से लगा सकें तो गांवों के विकास की कल्पना की जा सकती है। जहां तक उसके प्रबन्ध का सम्बन्ध है मेरा विनम्र सुझाव यह है कि एक गांव सभा में एक अच्छा प्राइमरी स्कूल हो। अनिवार्य शिक्षा में हर गांव सभा में प्राइमरी स्कूल होने की आवश्यकता होगी। जितने लेखपाल, वी० एल०डब्ल्यू० वगैरह गांव में लगे हुए लोग हैं उन सबको शिक्षक बना दिया जाय ट्रेंड करके और उन्हीं के जिम्मे गांव के विकास की पूरी योजना दे दी जाय। उनका निवास स्थान अनिवार्य कर दिया जाय। तबादले बन्द कर दिये जायं। उसका हेडमास्टर ही सेक्रेटरी गांव सभा का हो जाय और वह सारे चार्जेज रेकर्ड आपरेशन, गांव पंचायत का और उसका सहकारी जीवन और उसका खाद और उसका बीज और उसके उत्पादन की सारी जिम्मेदारी गांव समाज पर छोड़ दी जाय। और उसी स्कूल में ग्राम पंचायत का एक कमरा भी रख दें या और भी चीजें जो चाहें जोड़ सकते हैं। इस तरह से एक सामूहिक रूप से उसके प्रबंध का एक सिलसिला हो जायगा और एक सामूहिक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जायगी। जहां तक उसके इन्स्पेक्शन का सवाल है, ब्लाक स्तर पर आपके एक्सटेंशन हैं, उनको कह दीजिये कि वह गांव सभाओं में जाकर जांच किया करें कि जो योजनायें कल्पित की गई हैं उन गांवों के लिये ठीक रूप से उनका पालन हो रहा है, वह बढ़ रही हैं, प्रगति कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जहां तक अध्यापकों का प्रश्न है उनके नियन्त्रण का प्रबन्ध जिला परिषद् के हाथ में हो। किसी ए० डी० ओ० या बी० डी० ओ० के हाथ में न हो। केवल उनको रिपोर्ट देने का अधिकार उनको रहे। इसलिये उनके हाथ में वह कठपुतली नहीं बनेंगे और न गांव समाज के। जहां तक रुपये-पैसे का गांव सभा से सम्बन्ध है, मेरा खयाल है कि हेड मास्टर को ही इस कैश बुक को लिखने का अधिकार होना चाहिये। ग्राम समाज इसको पास कर दिया करे कि पास बुक में रुपया जमा हो। बहरहाल, इस तरह से यदि उनका नियन्त्रण रहेगा तो यह भ्रष्टाचार का रास्ता अपने आप बन्द हो जायगा।

जहां तक लेखपाल के भ्रष्टाचार का सवाल है, रिकार्ड गांव सभा के पास रहेगा तो फिर हर प्रकार से लोगों को सुविधा रहेगी। हर समय हरएक गांव समाज का कर्मचारी वहां पर मौजूद रहेगा। जो देखना चाहेगा देख सकेगा। भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं रहेगा। यह बात मैंने प्रबन्ध के सम्बन्ध में कही।

जहां तक योजना की कल्पना का सवाल है अभी तक हम लोगों ने इसको गांव स्तर तक उतारा नहीं है। यहां पर हमको इस योजना में एक कमी दिखाई देती है। गांवों में अभी सामूहिक विकास की कल्पना नहीं है और न अभी वह आई है वह अभी तक कागज तक सीमित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उस गांव की योजना को आप कुटुम्ब के स्तर से आरम्भ करें। हर कुटुम्ब का एक रजिस्टर तैयार किया जाय। रजिस्टर में हर खानदान का एक-एक खाना हो। सन् ५१ से उसको देखा जाय कि फलां गांव में फलां कुटुम्ब की क्या हालत थी। कितने उसके पास पशु थे, कितनी आमदनी थी, कितनी जनसंख्या थी और हरएक कुटुम्ब की क्या परिस्थिति थी और ६२ में वह कुटुम्ब किस स्थिति पर पहुंचा। मैं समझता हूं इसके लिये कोई बुनियादी वर्ष कायम किया जाय और तब से देखा जाय कि उस गांव की जन संख्या, हर कुटुम्ब की स्थिति और उस की आमदनी क्या बढ़ी और क्या घटी ? यह सब देखा जाय। तब आपको भी पता लग जायगा कि इस वर्ष आपने क्या काम किया और उनकी क्या आमदनी हुई और कितने आमदनी के जरिये उनको प्राप्त हुए। यह भी प्लान होना चाहिये कि ५ वर्ष में किन जरियों से उसकी आमदनी को आप कहां ले जाना चाहते हैं, उसको किस तरह से शिक्षित करना चाहते हैं, उसके मकान की क्या व्यवस्था करना चाहते हैं, यह पूरा रिकार्ड उस खानदान का मालूम रहे और गांव सभा के पास वह रिकार्ड रहे। यदि कोई खेतिहर है तो उसके विषय में भी मालूम हो कि उसके

पास खेती कितनी है, पशु कितने हैं, दूध कितना होता है, इतने आदमी हैं, स्थिति अब यह है और ५ साल के बाद किस तरह से उसकी खेती उत्तरोत्तर बढ़ेगी। इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ५ साल के लिये हर कुटुम्ब की बातें आपको मालूम होनी चाहिये कि इतनी उन्नति या अवनति उसमें हुई है। इसका पूरा रिकार्ड गांव सभा के पास रहे। इसकी हर साल जांच होनी चाहिये कि किसी खानदान की प्रगति उस प्लान के अनुरूप हुई है या नहीं जो कि आपने ५ साल के लिये उनके लिये बनाया था और यदि उतनी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। यदि इस प्रकार से प्लान बनाये जायं तो हर खानदान को मालूम हो जायगा कि यदि उसने उन्नति नहीं की तो किस कारण से नहीं की और क्या उसमें उसकी कमजोरी रही। इस प्रकार की प्लानिंग होगी तो हरएक आदमी प्लानिंग में दिलचस्पी ले सकेगा। यदि आज वह उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो उसका खास कारण है। जब तक वह यह नहीं महसूस करता कि हमारे खानदान की आज १०० रुपये आमदनी है और ५ साल के बाद २०० हो जायगी तो वह दिलचस्पी नहीं लेता है। यह जो भी कल्पना आप आज कर रहे हैं उसके द्वारा हर एक खानदान को इकाई मानकर आप चलेंगे तो गांव वाले समझेंगे कि उनके लाभ की यह चीज है।

तीसरा सुझाव मैं रचनात्मक कार्य के विषय में देना चाहता हूं। रचनात्मक कार्य उस समय तक अधिक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि नेतृत्व नौकर या दूसरे लोगों के हाथ में रहता है, चाहे इन्सपेक्टर यह काम करे या दूसरा आदमी कोई काम करे, लेकिन यह भ्रष्टाचार का काम चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास आदमी नहीं हैं। अगर सेक्रेटरी रिकार्ड नहीं लिखता है तो गांव सभा का कूव्वत नहीं है कि कुछ कर सके। सेक्रेटरी को कहते हैं कि वह नौकर है। अगर वह न करे तो कौन करे, इसलिये यह सारा अवाज और सारा भ्रष्टाचार है जिसके कारण रचनात्मक कार्य गांव विकास योजना की कल्पना के अनुरूप हो रहा है। उसका खास कारण यही है कि हमारे गांवों में इस प्लानिंग डिपार्टमेंट का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो रचनात्मक कार्य कर सके। आदमी के माने यह नहीं हैं कि कुछ पढ़े लिखे लोग नौकर होकर वहां चले जायं। उनको वह नहीं मानते हैं। सवाल यह है कि क्या ये शिक्षित आदमी खेती, पशुपालन का काम, उद्योग का काम गांव में जाकर बढ़ा सकते हैं या नहीं, यदि उस प्रश्न को, जो गांव के विकास का नेतृत्व का प्रश्न है, हल नहीं कर सकते तो १० नौकर के बजाय आप ५० नौकर वहां भेज दीजिये तो वह गाड़ी आगे खिसकने वाली नहीं है। तो इस सवाल को हमें हल करना है कि गांव में पढ़े लिखे आदमियों को खेती, पशुपालन आदि में लगा कर बैठा सकते हैं अथवा उद्योग में लगा कर बैठा सकते हैं।

इसके साथ ही एक सवाल यह भी पैदा हो सकता है कि जिस पढ़े लिखे आदमी को सौ या डेढ़ सौ की नौकरी शहर में मिल सकती है उसे हम गांव में ले जा कर उतनी आमदनी दे सकते हैं या नहीं। यदि हम अधिक आमदनी उनको करा सकते हैं गांव में तो वे अवश्य वहां जा कर बैठ सकते हैं नहीं तो जबरदस्ती उन पर खेती या पशुपालन लादा नहीं जा सकता। इसका उत्तर हां, में हो सकता है यदि किसी भी शिक्षित नौजवान को जो कोई उद्योग चलाना चाहता है या पशुपालन में रुचि रखता है उसे वहां मौका दिया जाय। मेरा सुझाव है कि आप हर जिले में ४००, ५०० नवयुवकों को आमंत्रित करें और उन से पूछें कि वे कौन-कौन उद्योग चलाना चाहते हैं। उनमें आप चुनाव कीजिये और उसके बाद चुने हुए युवकों को आवश्यक ट्रेनिंग देकर उनको गांव में चार या पांच हजार रुपया ऋण दे कर सेटिल कर दीजिये। इस प्रकार आपका रुपया कहीं नहीं जाता और गांव को आदमी मिलते हैं तो उसके सामने आदर्श रूप में रहेंगे और गांव वालों को एक नया दृष्टिकोण देंगे और जो लोग नौकरी की खोज में मारे-मारे फिर रहे हैं उस समस्या से आपको नजात मिल जायगी।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि हाउस में बोलने के लिये आपका आज्ञा देने का आधार क्या है....

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामसिंह---मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कई आइटम्स को कोशिश की और आज सुबह से ही मैं प्रयत्न कर रहा हूं और अपना नाम भी आपको भिजवा दिया है, फिर भी मुझे समय नहीं मिल रहा है इसका कारण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---अच्छा, आप विराजिये।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचायतराज की मांगों के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं अपने विचार आपके द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने पंचायतराज के सम्बन्ध में कहा कि यह हमारी एक ऐतिहासिक व्यवस्था है और शताब्दियों से हमारा देश पंचायतों के सूत्र में बंधा रहा है। यह ठीक है कि भूतकाल में हमारे देश में किसी न किसी रूप में पंचायतें रहीं। वैदिक काल में शलाकाओं द्वारा हमारे चुनाव सम्पन्न होते थे। महाभारत काल में भी इन पंचायतों द्वारा ही हमारे समष्टि के कार्य प्रतिपादित होते थे। सिकन्दर के समय में भी पंचायतों की परम्परा का प्रतिपादन मिलता है, लेकिन उन पंचायतों में उनकी जनतांत्रिक प्रणाली और संगठन में जो मताधिकार का अधिकार था, प्रशासन करने की व्यवस्था का अधिकार था वह कुछ चन्द लोगों के हाथों में था। पहले पहल हमारे देश के इतिहास में महात्मा गांधी के उसूलों के अनुसार हमें यह ऐसी पंचायतें मिली हैं कि जिनमें हमारे देश के लोग, चाहे वे अमीर हों अथवा गरीब, सर्वहारा हों अथवा पूंजीपति, किसान हों अथवा मजदूर हों, सभी मिल कर इन पंचायतों की व्यवस्था में भाग ले सकते हैं, उसके प्रधान पदाधिकारी और सदस्य बन सकते हैं और इस दृष्टिकोण से हमारे देश को इन पंचायतों का एक विशिष्ट महत्व रहा है।

पंचायत के प्रशासन के संबंध में कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया है कि प्रधान का एलेक्शन डाइरेक्ट हो, डाइरेक्ट न हो। जब आदरणीय खेर साहब स्वशासन मंत्री थे तो उन्होंने पंचायतराज की भूमिका में यह बताया था कि हम जिस व्यवस्था का सूत्रपात करने जा रहे हैं उसमें दोनों तरह की जनतंत्र की प्रणाली--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपनायी जायगी। जनतंत्र की यही दो प्रणाली होती हैं---प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष---और इन्हीं दोनों का समावेश उसमें किया गया था। आज हर २१ वर्ष के नागरिक को चुनाव में भाग लेने का तथा वोट देने का अधिकार है। ग्राम सभा के संगठन में जहां डाइरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रयोग हुआ है वहीं कार्यकारिणी समितियों में जहां कि २०--३० सदस्य के करीब होते हैं वहां इन्डाइरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रयोग किया गया है। इन १३ वर्षों में हमारे देश और प्रदेश में समाज की दशा सुधारने के लिये जो भी कार्य हुये हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। पंचायतराज ऐक्ट की धारा १५ तथा १६ में उनके कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। गांव के जीवन से संबंधित कृषि सुधार पशु पालन, स्वास्थ्य सुधार, सिंचाई, बाल संगठन तथा जितने भी कार्य हो सकते हैं वे सब उनके सिपुर्द किये गये हैं। गांव जीवन से संबंधित ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनकी परिधि में न आती हो। उन सब कार्यों को करने का उनको अधिकार दिया गया है। उन सब कार्यों को करने के लिये लगातार हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है और ऐसे आदेश दिये हैं जिनसे दिनोदिन जनतंत्र पनप रहा है। हमने पंचायतों को ऐसे अधिकारों से लैस कर रखा है जो किसी समय में म्युनिसिपल बोर्ड आदि को भी प्राप्त नहीं थे। ये सब किस बात का प्रतीक है। अनुदान आदि देने के जो बी० डी० ओ० के अधिकार थे वे भी गांव पंचायतों को दे दिये गये हैं और उसके लिये उनको पूरी छूट दे दी गयी है, उसके लिये उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया है, वे स्वेच्छा से उसका उपयोग कर सकती हैं। तो यह सब किस बात का उदाहरण है ? यह सब इस बात का उदाहरण है कि हम दिनों दिन, उत्तरोत्तर, चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता सौंपते जा रहे हैं।

एक बात मैं पंचायतराज विभाग द्वारा पंचायतों के कर्मचारियों के लिये जो प्रशिक्षण कैम्प खोले जाने की व्यवस्था है उसके संबंध में कहना चाहता हूं। समय समय पर यह प्रशिक्षण

कैम्प शिक्षा देने का काम करते हैं जिससे कि वे पंचायत पदाधिकारी जागरूक होकर अपना कार्य कर सकें और गांवों का उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त पंचायत विभाग द्वारा १० प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। यह हमारा प्रभावकारी कदम है। पंचायत सेक्रेटरी को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक ६० मंत्री प्रशिक्षित हो चुके हैं और १२०० के करीब प्रशिक्षित करने की योजना है।

मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। नियोजन एवं विकास के अन्तर्गत जो प्रशिक्षण शिविर हैं उनको बड़ी बड़ी सुविधायें हैं। उनके प्रिन्सिपल्स तो अच्छा वेतन पाते हैं और उनका एक अच्छा स्टेटस है, लेकिन पंचायतराज के जो प्रशिक्षण शिविर हैं उन्हें देखने से यह मालूम हुआ कि उनको वे सुविधायें प्राप्त नहीं हैं और उनके प्रिन्सिपल्स को उतना वेतन नहीं मिलता। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनका भी एक पद हो और उनको भी वही वेतन मिले जो जैसा कि और नियोजन के प्रशिक्षण केन्द्रों में मिलता है। इसका भी सम्यक बजट हो, लाइब्रेरी हो, कृषि फार्म हो। पशु-पालन और कृषि के संबंध में, लेखपाल के कार्य के संबंध में भी उनमें एक शाखा जोड़ दी जाय जिसमें पंचायत मंत्री अपने पंचायत-पद का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और लेखपाल के कार्य से अवगत हो सकें। प्रशिक्षण केन्द्र को समृद्ध बनाया जाय, क्योंकि यह पंचायतराज का बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और पंचायतराज के प्रशिक्षण केन्द्रों को बजट बढ़ाया जाय। अनुदान की मांग और अधिक होनी चाहिये और यह बहुत सही मांग है।

पंचायत मंत्रियों के संबंध में भी कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। पंचायत मंत्री गत १३ वर्षों से सेवा कार्य करते आ रहे हैं और उन्होंने गांव के निर्माण में बहुत बड़ा काम किया है, उसको नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। उनकी सेवाओं को दृष्टि में रखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि उनको ग्राम सेवक के समकक्ष कर दिया जाय। उनका ग्राम सेवकों से अधिक प्रशासन और विधान से संबंध है। वे पंचायत राज की धाराओं से बंधे हुये हैं और नियमानुकूल कार्य करते हैं। पंचायत मंत्रियों का पद बहुत ही वैधानिक पद है, उसको ग्राम सेवकों के अनुरूप ही कर देना चाहिये और उनको उतना ही वेतन देना चाहिये जितना कि ग्राम सेवकों को मिलता है। साथ ही वे सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिये जायं या उनको वैसी सुविधा दे दी जायं, इतना मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। इस प्रकार से यदि ऐसे कार्य होंगे तो पंचायतराज के अन्दर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सम्मान और सत्य-निष्ठा का जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा और वह पंचायतराज के कार्य और निर्माण में अधिक सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

श्री झिलमिट झिल्लू (जिला गाजीपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ग्राम पंचायतें हमारे जनतंत्र की रीढ़ हैं, लेकिन जिस मकसद को लेकर उनको बनाया गया था, आजतक वह मकसद पूरा नहीं हुआ। गांव पंचायतें आज भी ज्यादातर गांव के पुराने जमींदार और धनी आदमियों के कब्जे में बनी हुई हैं और उसका नतीजा यह है कि पंचायतें उन्हीं लोगों के तिकड़म का साधन बन गयी हैं। पंचायतों का मकसद था कि विकास का कार्य करना, पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध करना, गांव के झगड़ों को समझौते से तय करना, लेकिन यह सब मकसद कई कारणों से पूरे नहीं हो रहे हैं। पंचायतों के पास आमदनी का साधन नहीं है। इसके लिये लगान वसूली का काम पंचायतों को सुपुर्द कर देना चाहिये और उनको लगान का एक चौथाई हिस्सा देने चाहिये, इससे उनकी माली हालत सुधरेगी और वे विकास का कार्य कर सकेंगी। गांव ता सारे काम उन्हीं के द्वारा बनने चाहिये और उन्हीं के द्वारा लागू होने चाहिये। पंचाया के कामों में अफसरों को कम से कम दखल-अन्दाजी करनी चाहिए। पंचायत सदस्यों कक चुनाव भी गुप्त रूप से होना चाहिये। पुलिस द्वारा जो जांच-पड़ताल होती है दफा १०९।११० और १०७ के मामलों में उसमें गांव सभा की मंजूरी भी होनी चाहिये।

[श्री झिलमिट झिल्लू]

इन सभी बातों को सुझाव के रूप में, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सामने पेश कर रहा हूं और अपनी मांगों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री रामसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आज इतने दिन के पश्चात् आपने इस सदन में मुझे बोलने का मौका दिया । आज यहां पर जिस अनुदान के ऊपर विवाद चल रहा है उसके संबंध में अधिक बातें न कहते हुये केवल दो-तीन सुझाव ही आपके सम्मुख रखना चाहता हूं । आज हम अपने देश के शासन को पांच प्रमुख इकाइयों में बाट सकते हैं, केन्द्र, राज्य, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति और ग्राम पंचायत । जब ग्राम पंचायतों की व्यवस्था स्थापित करने की ओर हम देखते हैं तो हम चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण करने के लिये पंचायतों को और शक्तिशाली बनाना चाहिये । इस संबंध में हमें यह भी देखना चाहिये कि उनकी व्यवस्था किस प्रकार से हो जिससे उनको अच्छी तरह से चला सकें । पंचायत स्तर पर मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं । ग्राम संबंधी मुख्य रूप से तीन चार कार्य होते हैं जिनका रोजाना ग्राम पंचायतों से संबंध रहता है, भूमि संबंधी कार्य, सहकारी समितियों का कार्य, लगान वसूली का कार्य तथा शिक्षा संबंधी कार्य । इन कार्यों से संबंधित तीन-चार अधिकारी गांव स्तर पर कार्य करते हैं, एक तो पंचायत मंत्री, दूसरे लगान वसूली के लिये अमीन और लेखपाल । तो इस सदन के सामने मेरा यह सुझाव है कि इन अधिकारियों को इस प्रकार से स्थापित किया जाय कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक पर्मानेन्ट अफसर रहे जिस तरह से कि ब्लाक में बी० डी० ओ० रहता है और जिला परिषद् में दूसरे अधिकारी होते हैं । इसी प्रकार से विलेज लेविल पर भी एक परमानेन्ट अफसर रहना चाहिये जिसके पास गांव के प्रत्येक रिकार्ड रहे और व प्रत्येक व्यवस्था को देखता रहे और सरकार को सुझाव दे कि फलां गांव के अन्दर फलां चीज की जरूरत है । वह गांव प्रधान के मातहत होना चाहिये ताकि उसके ऊपर प्रधान नियंत्रण रख सकें और गांव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ।

माननीया मंत्राणी जी ने सदन के सामने यह कहा था कि गांव पंचायत के लेविल पर हमने यह तय किया है कि प्रत्येक २१ से ४५ साल का व्यक्ति साल में ९६ घंटे का श्रम करे और जो श्रम न कर सके वह मजदूरी देकर अपने हिस्से का श्रम दूसरे से करवाये । इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि आपने जो इसमें विकल्प या आल्टानेटिव रखा है कि जो व्यक्ति ९६ घंटे श्रम न करे वह उसका मूल्य देकर दूसरे से करवाये, इसको न रखा जाय, क्योंकि ऐसा करके आप अंग्रेजों के जमाने की बेगार की प्रथा की पुनरावृत्ति करेंगे । आप यह बात बिल्कुल न रखें, बल्कि यह रखें कि जो आपने श्रम लेने की बात कही है वह प्रत्येक व्यक्ति से ली जायगी चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो. . . ।

श्री उपाध्यक्ष---आप जरा धीरे बोलिये ताकि आपका भाषण लिखा भी जा सके ।

श्री रामसिंह---मैं यह सुझाव दे रहा था कि श्रम लेने के संबंध में मंत्री जी ने जो आल्टरनेटिव रखा है वह नहीं रखना चाहिये, बल्कि प्रत्येक को श्रम करने के लिय मजबूर करना चाहिये ।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि ग्राम सभा के स्तर पर जो बंजर या कामन यूटिलाइजेशन की जो भूमि होती है उस भूमि को, आज जो लोग गांव सभाओं पर छाये हुये हैं, वे उन लोगों को देते चले जाते हैं जिनके पास पहले से भूमि है । बात यह होनी चाहिये थी कि जिनके पास जमीन नहीं है, जो एक-एक झोंपड़ी में ६-६ आदमी रह रहे हैं, उनको आपको यह जमीन देनी चाहिये थी, लेकिन जिनके पास जमीन है आप उन्हीं को और जमीन देते जाते हैं और फिर चाहते हैं कि समाजवाद की व्यवस्था हो । गरीब मजदूरों को कोई जमीन नहीं दी जा रही है । बंजर जमीन का एलाटमेंट इस तरीके से होना चाहिये कि जिन लोगों के पास रहने को जमीन

नहीं है उनको जमीन दी जाय । बाढ़ के जमाने में हमारे जिले में लोगों के मकान नष्ट हो गये, लेकिन उनके रहने का कोई प्रबंध नहीं किया गया । डेढ़ महीने तक लोगों ने चौड़े में जिन्दगी बितायी । उनके बसने का क्या आपने कोई प्रबन्ध किया ? फिर आप चाहते हैं समाजवादी समाज की स्थापना, लेकिन यह तो बिलकुल उसके प्रतिकूल है । इसलिए मेरा कहना यह है कि जमीन उन्हीं लोगों को दी जाय जिनके पास जमीन नहीं है ।

आपने जो यह डिसंट्रेलाइजेशन आफ पावर की स्कीम बनायी है, परिषद् और ग्राम पंचायतों के द्वारा यह विकन्द्रीकरण तो किया जा रहा है, लेकिन क्या आपने यह भी देखा कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ा जा रहा है ? उसका ब्लाक कमेटियों में कोई स्थान नहीं है । ब्लाक कमेटियों का जब इलेक्शन होता है तो माइनारिटीज को कोई सीट उनमें नहीं दी जाती । जिस प्रकार से असेम्बली और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होता है उस प्रकार से वहां क्यों नहीं होता है ? सहारनपुर जिले के १६ ब्लाकों में १६ लोग चुने गये, लेकिन उनमें एक भी हरिजन या मुसलमान को भी चुनाव में नहीं आने दिया । उस जिले में १६ लाख की आबादी है जिसमें से ५ लाख हरिजन हैं । क्या उनके चुनाव की आपने कोई व्यवस्था की ? आपको माइनोरिटी के लिये अवश्य ही कोई व्यवस्था करनी चाहिये थी । मुझे मालूम हुआ है कि ब्लाक कान्स्टीट्यूशन में आप चेंज करने जा रहे हैं, आप उसमें यह भी तब्दीली कर दें कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी स्थान दिया जाय । सरकार कहती है कि हम समाजवाद की ओर चल रहे हैं, लेकिन चलती पीछे की ओर है । ऐसा नहीं हो सकता कि समाजवाद का नाम लेने से हम सराहना करें, ऐसा करना मेरे लिये उचित न होगा, जो सरकार में कमियां हैं उनको तो हमें बताना ही होगा । आज हमारे लिये जिस चीज की आवश्यकता है उसको तो हमें सामने रखना ही चाहिये । आशा है सरकार इन बातों पर अवश्य विचार करेगी ।

*श्री शिवचरण (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राधेश्याम जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । सौभाग्य से आज दस वर्ष के बाद बहिन सुचेता जी के दर्शन हुए । मथुरा में जब वे गयीं थीं सन् ५४ में, तब दर्शन हुये थे और मैंने उनके सामने एक कविता पढ़ी थी । आज मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज गांवों की समस्या कैसे हल हो सकती है ? गांवों में जहां देखिये, दलबंदी है, रोज कत्ल होते हैं । गरीब आदमियों की कोई सुनवाई नहीं है । अगर कोई गरीब प्रधान चुन लिया जाता है तो उसका कत्ल हो जाता है । ऐसा रहेगा तो किस प्रकार से ग्रामों का विकास होगा । ग्रामों की हालत अब भी वैसी ही है जैसी कि अंग्रेजों के जमाने में थी ।

जब तक गांवों में यातायात उपलब्ध नहीं होता किस प्रकार से उनका विकास हो सकता है । २४ तारीख को माननीया मंत्राणी जी का एक पत्र मुझे मिला कि नाई की सराय से जलसर तक की रोड नहीं बन सकती । उसको अन्तरिम जिला परिषद् ही बनवा सकती है । आगरा कई बार लिखा गया, लेकिन वे कहते हैं कि हम असमर्थ हैं । जब ऐसी बात है तो फिर उस सड़क का सरकार प्रान्तीयकरण क्यों नहीं कर लेती है । क्या गांवों का विकास इस प्रकार से होगा ? नहीं होगा । जो थोड़ा सा विकास हुआ है उसको मैं आपके सामने रखता हूं । अमीर ज्यादा अमीर होता जाता है, मैंने विकास देखा, मन्त्री नौकरशाही के ऊपर फिजूलखर्ची देखा, अशोक होटल में वेतन का अट्टहास का विकास देखा, मुख्य मन्त्री, प्रधान मन्त्री का विमान उड़ते आकाश देखा, कोठी और बंगलों के भीतर आजादी का प्रकाश देखा, किसान पड़ा झोपड़ी में, करता आजादी की आस देखा ।

श्री उपाध्यक्ष—यह विषयान्तर हो रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शिवचरण---मैं विकास के ऊपर ही बोल रहा हूं कि ग्रामों के अन्दर विकास कहां बढ़ा।

श्री राधेश्याम---श्रीमन्, वैसे माननीय सदस्य नये हैं और इसलिये उनके साथ कुछ रियायत तो होनी चाहिये। पंचायतराज के साथ, विकास का सम्बन्ध तो है ही।

श्री शिवचरण---कहने के लिय जो कुछ भी कहा जाय, लेकिन आज ग्रामीण जनता को कौन-सी सुविधा आपके जरिये राज्य में प्राप्त है, जिला आगरा में जितनी भी कच्ची सड़कें हैं जैसे नाई की सराय से लेकर जलेसर तक, कुबेरपुर से बरहन तक, फीरोजाबाद से कोटला तक, एतमादपुर से दाऊजी तक, खनौली से सेमड़ा तक---ये सारी सड़कें बेकार पड़ी हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इन गांवों का विकास तब होगा जब कि इन शहरों का विकास हो जायगा.....

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम---श्रीमन्, सरकारी पक्ष की तरफ से विकास के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों व जिला परिषदों व क्षेत्रीय समितियों का जिक्र किया गया तो ये तो नये सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप बीच में क्यों बोलते हैं, वे खुद कह सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान माननीय सदस्य रखें कि वे विषय के अन्दर ही रहें।

श्री शिवचरण---मैं विकास के ऊपर ही बोल रहा हूं कि विकास के नाम पर सत्यानाश हो गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आप विषय के अन्दर ही रहें। ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में ही आप कहें।

श्री शिवचरण---उत्तर प्रदेश में मन्त्रिमन्डल का बढ़ता हुआ विकास देखा किया वाक आउट सोशलिस्टों ने, क्योंकि जनतन्त्र का विनाश देखा, रिक्शे वाले भिखमंगों का सबसे ज्यादा विकास देखा, बाढ़ और गरकी के मारे किसान बैठा उदास देखा, घर मकान बरबाद हो गये, कपड़ा बिना निराश देखा, बेकारी भुखमरी गरीबी ग्रामीणों का सत्यानाश देखा, इतने पर भी सरकारी टैक्सों का बढ़ता विकास देखा।

हमसे कहा गया था कि ग्रामों का विकास किया जायगा, लेकिन ग्रामों का विकास तभी होगा जब किशहर वालों के लिये यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायगी और उनके लिये सड़कों का निर्माण होगा। आज तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, लेकिन ग्रामों की हालत आज भी वही है। टूंडला के अन्दर देवखेड़ा एक ब्लाक है जहां की हालत मैंने वहां कई दिन व रात रह कर देखी है। वहां के जो बी० डी० ओ० हैं वे अपनी कार लेकर अपने रिश्तेदारों के यहां आते जाते हैं, टूंडला सिनेमा देखने जाते हैं, लेकिन गांवों के विकास की हालत देखने का उनको मौका नहीं मिलता।

गांधी जी के ग्राम राज्य का बनता हुआ मजाक देखा,
गांवों की हालत बिगड़ रही है, मैंने नक्शे साफ देखा,
ढोल पोल है विकास अन्दर, केवल नौकरशाही ठाट देखा,
जिला जेल आगरे के अन्दर, शिवचरण पर कम्बल व फटा टाट देखा।

कैसा है विकास के नाम पर तहां विनास होत चारों तरफ मुफ्त माल खाय अफसर बैठे मलंगा हैं।

मजदूर किसान दीन मेहनत करें प्रतिदिन फिर भी मरै भूखा और कपड़ा बिन नंगा हैं।

गांधी जी के सामने बिसवास दिया नेतनु ने जादिन हो सुराज बहै दूध घी की गंगा है।

दूध के बदले में आज खून बहे गाम गाम जहां देखो तहां होत हिंसा और दंगा है।

भुखमरी बेकारी अभी जनता में विद्यमान, मिनिस्टर अफसर रहैं मदमस्त चंगा हैं।

माननीय अध्यक्ष, अब यह दिन नजदीक है इस तौनाशाहीकृत गरीबी का फारि जायगा झंगा है।

श्री उपाध्यक्ष--आप कविता पढ़ रहे हैं, यह कोई तरीका नहीं है, अब आप बैठें।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आप की आज्ञा से मन्त्राणी जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। यों तो यह पंचायत राज भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है। सरकारी तरीके से न सही, लेकिन वैदिक काल से लेकर आजतक ग्रामीण तरीकेसे पंचायतों का प्रसार और विकास इस देशमें बराबर रहा है। इन पंचायतों पर तमाम विदेशी हमले हुए और अनेक प्रकार के आक्रमणों से उन को पददलित किया गया, लेकिन फिर भी हमारे यहां पंचायतों का वही पुरातन रूप सक्रिय देखने को मिलता है। इधर बीच में कुछ काल के लिये अंग्रेजों ने इन पंचायतों के विकास को देख कर अपने मन में यह सोचा कि इन ग्रामीणों के फैसलों को और इन पंचायतों के न्याय को और समझौतों को कैसे खत्म किया जाय, इन का कैसे हनन किया जाय। उन्होंने १९०९ में एक अपने तरीके की पंचायतें कायम करने के लिये एक आयोग कायम किया जिसे १९१५ में कई साल के बाद फिर अपनी कमेटी में पास किया और सन् १९२० में उन्होंने पंचायतों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिये अमन सभाओं के रूप में एक नई चीज स्थापित की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अशिक्षित समाज में हरिजन और बैकवर्ड लोगों की पंचायतों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उनका विनाश नहीं हुआ। उन में अपने मामलों को मसलों को और कामों को आपस में मिलकर तय करने का तरीका जारी रहा। एक अंग्रेज ने उन के बारे में लिखा था कि यह पचायतें और रूढ़ियां भारत में उसी तरह से चस्पां हैं जिस तरह से कि धरती पर खुर बन जाते हैं।

इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आजाद कराने के लिये घोषणा की गई और अनेक आन्दोलनों के बाद देश आजाद हुआ और बापू की प्रेरणा से सन् ४७ में हमारी इन पंचायतों का देश में प्रादुर्भाव हुआ और पंचायत राज कायम किया गया और वह आज भी चल रहा है। आज चमार, पासी ब्राह्मण और ठाकुर एक बिस्तरे पर बैठकर अपने मसलों को स्वयं सुलझाते हैं। मैं मानता हूं कि वहां कुछ गड़बड़ी भी है और ईमानदारीकी प्रथा अभी कम है,लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि आज चामार ठाकुर, ब्राह्मण भगी एक बिस्तरे पर बैठकर एक हृदय से बात करते हैं। जहां कुओं पर भंगी चमारों की औरतें प्यासी घड़े लिये खड़ी रहती थीं कि जब तक ब्राह्मण ठाकुर पानी भरकर न चले जायं तब तक वह कुयें पर चढ़ नहीं सकतीं थीं। लेकिन आज सब को समान अधिकार प्राप्त हैं। जो जमीन उन पंचायतों के अन्दर जहां हरिजनों की बस्ती है क्या वहां कुवों का निर्माण नहीं हुआ ? आज वह सभापतियों के अनुमोदन से अपने दरवाजे पर पक्का कुवां खोदे हैं। सैकड़ों की तादाद में अपने कुवें से वे पानी भरते हैं। सवर्णों के साझे में सार्वजनिक कुवें भी हैं उनमें भी वे पानी भरते हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे कह दे तुम इस कुवें में पानी न भरो लेकिन कुछ लोग इतनी ऊची उड़ान भरना चाहते हैं कि उन्हें हाथी

[श्री गुप्तार सिंह]

चूहे के बराबर दिखाई देता है। यह वास्तविकता नहीं बल्कि दृष्टिकोण है अगर उन्हें हाथी चूहे के बराबर दिखाई देता है, यह बहुत दूर से देखने का कारण है। जहां विषमताएं हैं उन्हें दूर कीजिये, गाली देने से विषमताएं दूर नहीं होंगी। जमीन कोई रबड़ नहीं है जिसे खींच कर बढ़ा दिया जाय। आप रोजगार का इन्तजाम कीजिये। जमीन का अगर बटवारा होगा तो आधा एकड़ हर एक के हिस्से में पड़ेगी और जमीन से किसान धनी नहीं हो सकता। पंचायतों के हाथ में जो परती है उसके लिये भी यह विधान है कि दशमांश छोड़ दिया जाय। बाकी पर खेती हो ही रही है।

एक बात जरूर है कि हमें इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये कि पंचायतों की रकम कैसे बढ़े? कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां जमुना और गंगा की कछार है, कछार की भूमि पंचायतों की है और पंचायतें उसका लगान वसूल करती हैं, लेकिन उस भूमि पर जो दरिया बहता है उस पर नाव घाट ८ हजार, ७ हजार, ६ हजार, ५ हजार अथवा २ हजार पर नीलाम होते हैं और वह अन्तरिम जिला परिषद् या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कब्जे में रहते हैं। मैं चाहता हूं कि जब भूमि ग्राम पंचायतों की है तो जो उस भूमि में जो जल भरा है वह भी ग्राम पंचायतों का होना चाहिये। तो उसमें जो नाव घाट लगते हैं वे घाट भी उन्हें अर्थात् पंचायतों को दे दिये जायं।

श्रीमान् जी ग्राम सेवकों के ऊपर एक प्रगति सहायक नियुक्त किया गया है जो ग्रामों में आंकड़े इकट्ठा करता है और बी० डी० ओ० के आंकड़ों के प्रतिकूल आंकड़े भेजने के लिये उसकी नियुक्ति हुई है, लेकिन इस प्रगतिशील सहायक का चरित्र पत्र बी०डी० ओ० के हाथ में है। तो समझ में नहीं आता कि बी० डी० ओ० की मंशा के खिलाफ सही आंकड़ों की रिपोर्ट वह कैसे दे सकता है? अगर सही रिपोर्ट इस प्रगतिशील सहायक से मंगानी है तो उसका चरित्र पत्र बी० डी० ओ० के हाथ में न दे कर डी० पी० ओ० के हाथ में दिया जाय। गांव में भूमि का सर्वे अवश्य होना चाहिये। जो गलियारे हैं, ८ हाथ तो नक्शे में दर्ज हैं, लेकिन वास्तव में वह गलियारा ३, ४ हाथ से ज्यादा नहीं निकल सकता। श्रमदान होता है कमजोर आदमी का खेत पड़ता है तो काट लिया जाता है, लेकिन मेरे खेत में आता है तो पंचायत वालों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उस गलियारे को साफ करें। उसी जगह पर मामला ढेर हो जाता है। इसलिये आप डिप्टी कलेक्टरों को आदेश दे दीजिये कि थोड़े समय के लिये बंगले छोड़ दें और जो ये गलियारे हैं उनमें लेखपाल को बुला कर नक्शे में जितना दर्ज है उससे चाहे दो हाथकम ही करा दिया जाय, परन्तु गलियारे ठीक करा दिये जायं। इससे बड़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा कछार में पंचायतों की बहुत सी जमीन है जोकि जबर्दस्त आदमी पांच बीघे का तो पट्टा करवाये हैं और २५ बीघे जोते हुए हैं। तो इसका भी बन्दोबस्त कराइये, इससे पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी।

जहां तक लगान वसूली की बात है, जमींदारी उन्मूलन क्या इसीलिये हुआ था कि पटवारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार लगान वसूल करेंगे? महात्मा गांधी का यह उद्देश्य नहीं था। आप ग्राम पंचायतों के जरिये लगान वसूल कीजिए, उनसे जमानत लीजिये और १० परसेंट उनको दीजिये ताकि जमींदार लोग जो पहले मुर्गा बनवाया करते थे वे भी पंचायतों के दरवाजे पर आ कर लगान अदा करें। आप यह कर दीजिये कि कोई भी सभापति वसूली के दो दिन बाद अपने पास रुपया नहीं रख सकेगा। हर गांव में डाकखाने हैं, वहां वे जमा करें।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप का समय समाप्त हो गया।

***श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज देश के अन्दर भावी सुख सम्पन्नता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर कार्य चलाया जा रहा है। उन योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये जनता से करोड़ों रुपये का टैक्स वसूल किया जाता है। इन लक्ष्यों को अगर हम सामने रखें, पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर अगर हम भावी सुख सम्पन्नता को देखें तो हम कह सकते हैं कि देश में प्रगति हुई है, भौतिक उन्नति हुई है, बड़े-बड़े बांध बने हैं, सड़कें बनी हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी द्रुतगति से गिरा है। हमारी भौतिक उन्नति दिखायी पड़ती है, लेकिन हमारी योजनाओं की विफलता हमारे राष्ट्रीय चरित्र के पतन के कारण होती जा रही है। इसलिये अगर हमें किसी योजना को सफलतापूर्वक सम्पन्न करना है तो हमको यह भी देखना पड़ेगा कि उस योजना के चालक राष्ट्रीय चरित्र से सम्पन्न हैं या नहीं।

आज हमारी ग्राम पंचायतों की योजना है। यह सत्य है कि राजसत्ता के विकेन्द्रीयकरण में कांग्रेस सरकार का यह बहुत बड़ा प्रयास है। ग्राम स्तर पर हम राजसत्ता को दे रहे हैं। विकेन्द्रित राजसत्ता का हस्तान्तरण हो रहा है, लेकिन हमने उसका नियमन सरकारी मशीनरी के द्वारा कर रखा है। जब उनके अन्दर हम शक्ति देते हैं तो यह सत्य है कि जनतन्त्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण बहुत सी गलतियां हुई हैं और होंगी, लेकिन मैं माननीया मन्त्राणी जी जिस लगन के साथ ग्राम की अर्थ और सामाजिक व्यवस्था को लाना चाहती हैं वही लगन यदि वे उन कर्मचारियों के अन्दर भी पैदा करें तो जो स्वप्न आज हम ले कर चले हैं वह पूरा हो सकता है। ग्राम सभापतियों के चुनाव के सम्बन्ध में भारतीय जनसंघ का यह दृष्टिकोण था कि गांव पंचायतों का चुनाव निर्विरोध होना चाहिये। माननीय मन्त्राणी जी ने यह भी बताया कि बहुत से गांवों में ४७ प्रतिशत ग्राम प्रधान निर्विरोध हुए हैं, वहां कोई विषमता नहीं आई, वहां किसी दलबन्दी का राज्य नहीं हुआ और सभी ने एक व्यक्ति को प्रधान बनाया। भारतीय जन संघ का तो यह निश्चित मत था कि उन्हीं गांवों को मान्यता दी जाय जिनमें निर्विरोध चुनाव हुए हैं। आर्थिक सहायता भी उनको ही दी जाय जहां निर्विरोध चुनाव हुए हैं और जहां पर पार्टीबन्दी या दलबन्दी इकट्ठी हो गई है वहां निश्चित रूप से कह देना चाहिये कि तुम पार्टीबन्दी करते हो, दलबन्दी करते हो, इसलिये जब तक तुम पार्टीबन्दी ठीक नहीं कर लेते और चुनाव निर्विरोध नहीं होता तब तक कोई सरकारी अनुदान तुमको नहीं दिया जायगा। आखिर कहीं पर तो आप राजनीतिक दलबन्दी को समाप्त करेंगे ही। अगर हमने ग्राम इकाइयों को प्रजातन्त्र का आधार माना है और दलबन्दी के आधार पर जकड़ते रहेंगे तो प्रजातन्त्र कदापि पनप नहीं सकता है। अगर ग्रामों की उन्नति करनी है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना है तो सर्व प्रथम हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि गांवों की दलबन्दी समाप्त की जाय और निर्वाचन निर्विरोध होना चाहिये। इसके लिये सरकार को आग्रह करना चाहिये और जहां निर्विरोध चुनाव न हो सके वहां उनको मान्यता प्रदान न की जाय।

दूसरी बात यह है कि मन्त्राणी जी ने कहा है कि जो लोग श्रम नहीं कर सकते हैं उनसे पैसा ले लेंगे, लेकिन यह गांवों के लिये कोई अच्छा आदर्श नहीं होगा। आखिर इस सबकी क्या जरूरत है? भारतीय जनसंघ का मत है कि गांव के लगान में से १० प्रतिशत गांव को दे देना चाहिये। इसके बाद किसी टैक्स की जरूरत नहीं होगी। इस पैसे से प्राइमरी स्कूल खुल सकता है, पढ़ाने के साधन जुट सकते हैं, स्वास्थ्य का केन्द्र खुल सकता है और पशु चिकित्सालय बन सकते हैं तथा सदैव के लिये निश्चित रूप से स्थायी साधन जुटाने का सूत्र हो सकता है।

इसके अतिरिक्त मैं आपके द्वारा एक सुझाव रखना चाहता हूं कि पंचायत सेक्रेटरियों का काम गांव सभाओं और गांव पंचायत में संतुलन बनाये रखने का है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर हमने देखा है कि सेक्रेटरी सभापति के साथ होकर अन्य प्रकार से कार्य करता है और गांव सभा के प्रश्न को खटाई में छोड़ देता है। उनकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, इसलिये सरकार उनको उनके जिले में न रखकर दूसरे जिले में स्थानान्तरण कर दे। वह स्थानीय होता है, इसलिये सारे कार्य में अव्यवस्था पैदा करके अपने घर का कार्य करता है और गांव के काम पर ध्यान नहीं देता है।

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी]

लेखपालों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं वैसे तो उसके बारे में लोगों की भिन्न-भिन्न कल्पनायें हैं, लेकिन सारे गांव की सूचनायें उसके पास रहती है उतनी सूचना ग्राम सेवक, केन सुपरवाइजर और सीड सुपरवाइजर किसी के पास नहीं होती है। सारी सूचना जमीन की और लगान की उसके पास होती है, इसलिये उसकी तनख्वाह बढ़ाकर उसका स्तर बढ़ाया जाय और प्रेम तथा स्नेह के साथ उसको समझाया जाय कि यह तुम्हारी योजना है और परिवार के प्रोडक्शन का प्लान उसके जिम्मे रखा जाय। हर परिवार का प्रोडक्शन प्लान बने कि योजना के अनुसार तुम्हें पैदा करना है और इतनी जमीन। अगर यह कार्य इसके जिम्मे किया जायगा तो उसका नैतिक स्तर ठीक होगा और उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।

श्रीमन्, गांव में एक काम को पांच आदमी करते हैं। आपका विलेज लेविल वर्कर वही खाद बांटता है, केन सुपरवाइजर, सीड सुपरवाइजर और पंचायत सेक्रेटरी आदि भी वही काम करते हैं। यह आपकी राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। इस तरह से ५ आदमी एक ही काम को कर रहेहैं, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस तरह न्याय पंचायत में ८–१० गांव होते हैं उसी तरह से गांव के अन्दर एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाय। लेखपाल को शिक्षा दीक्षा दे कर सेक्रेटरी बनाया जाय। सरकारी कर्मचारियों के काम का विभाजन करके उनको काम सौंपा जाय। इस तरह से एक सेक्रेटरिएट कायम करके लोगों को सुविधायें प्रदान की जायं।

दूसरा प्रश्न यह है कि १९५० के बाद ग्राम सभाओं की जितनी आमदनी हुई वह सारी आमदनी तहसीलदार महोदय के खजाने में जमा है। मैं मंत्राणी जी से कहना चाहता हूं कि गांव सभाओं को वह आमदनी दे दी जाय इस के लिये तत्काल आदेश दे दिये जायं, ताकि गांव सभाओं का कार्य न रुके।

तीसरी बात यह है कि हमारे बहुत से ग्राम प्रधान निष्क्रिय हैं जिन्होंने अपने जीवन में काम न करने का संकल्प कर लिया है। लोग कहते भी हैं कि गांव सभापति बहुत अच्छा है, इन्होंने न किसी का नुकसान किया और न अच्छा किया, ऐसे निष्क्रिय ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय, ताकि वे अपने कार्य से सचेत हों और अपने कार्य में वह दिलचस्पी लें।

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत अनुदान के समर्थन में आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं।

संसार के जितने भी अविकसित देश हैं उनमें भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर ऊपर से नीचे को सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। सन् १९३५ में सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट का काम प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने आरम्भ किया था। १९४७ में स्वराज्य होते ही सबसे पहले यह काम हुआ, यह कि बालिग मताधिकार दिया गया और उसके आधार पर नवीन विधान के अनुसार सारे देश में चुनाव हुए। उसी के आधार पर ऊपर से लेकर नीचे तक केन्द्र में, राज्य में, जिला स्तर पर और गांव स्तर पर शासन की इकाइयां स्थापित हुईं। जो गांव पंचायतों का संगठन १९४७ में आरम्भ हुआ था वही आज प्रथम इकाई के रूप में सर्वशक्तिमान बनने जा रहा है।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—मैं एक जानकारी चाहता हूं। मंत्री जी मे कहा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण नीचे से कर रहे हैं, ऊपर से नहीं। तो नीचे कहां सत्ता थी जिसका विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं। सत्ता तो ऊपर ही थी।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सावरेंटी रेजाइड्स इन दि पीपुल। असली सत्ता लोगों में रहती है और लोगों से आप लोग लेते हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—सत्ता का विकेन्द्रीकरण ऊपर से होता है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा नीचे से होता है। जब डेवलपमेंट नीचे से होगा और विकेन्द्रीकरण ऊपर से किया

जायगा तभी जा कर बीच में एक हो जायेंगे । उसी तरह से हम अपनी सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके शासन को गांव की इकाई तक पहुंचा रहे हैं । सारी शक्तियों को चाहे वे राजनीतिक हों, आर्थिक हों, अथवा सामाजिक शक्ति हों, सभी को धीरे-धीरे गांव सभाओं की तरफ ला रहे हैं । पहली बार जब गांव सभाओं का संगठन हुआ था तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि हम किस तरह से ग्राम सभाओं का संगठन कर सकेंगे । शुरू शुरू में जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर चुनाव हुये, लेकिन ज्यों-ज्यों हम शक्ति का विकेन्द्रीकरण करते जा रहे हैं हम धीरे-धीरे यह अनुभव करते जाते हैं कि छोटे से छोटा किसान, वह गरीब किसान जो एक अक्षर भी न लिख सकता वह भी अब शासन के मामले में अनुभव करने लगा है और ईमानदारी इस मामले में बरतने लगा है। ग्राम सभाओं की शक्तियों का लाभ लेकर ग्राम सभाओं को सुधार की तरफ ले जा रहे हैं । जिन गांवों में पहले नालियां नहीं थी, खड़ंजे नहीं थे, कृषि की उन्नति बहुत कम थी, वहां हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे निर्माण कार्य हुये हैं । कृषि की उन्नति में भी गांव सभाओं ने कितने ही बड़े बड़े काम किये हैं । हमारे अलीगढ़ जिले में तेहरा एक गांव है, माननीय मंत्राणी जी वहां की गांव सभा को देख आयी हैं । वहां पूरे गांव ने एक एक एकड़ में ४७–४७ मन अनाज पैदा किया है । सारे गांव भर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसकी पैदावार ४० मन फी एकड़ के हिसाब से न हुई हो । (व्यवधान) इसी तरह से फैजाबाद में नत्थू लाल एक आदमी को अधिक अन्न उपजाने पर राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री का पदक प्रदान किया गया है ।

श्री राधेश्याम––श्रीमन्, एक सूचना चाहता था । हमारे पड़ोस से सम्बन्धित बात है । मैं माननीय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदय से पूछना चाहता हूं, उनकी वह बात समझ में नहीं आयी, वह कौन सा गांव है, कहां पर किस हिसाब से पैदावार हुई और किस किसान की हुई ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ––मैं स्पष्ट कर दूं कि हाथरस तहसील में तेहरा एक गांव है जिसकी उपज इस वक्त यू० पी० में करीब करीब सबसे अच्छी है और उस गांव को मंत्राणी महोदया भी देख चुकी हैं ।

अभी राधेश्याम जी ने कुछ बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था । मैं उनको भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं । उन्होंने कहा था कि जब से अंग्रेजी शासन गया है उसके बाद से आज तक किसी गांव की कोई तरक्की नहीं हुई है । यह पहली बात उन्होंने आरम्भ की थी । मैं कहना चाहता हूं कि शायद ही कोई व्यक्ति भारत वर्ष का ऐसा हो जो इस पंचायती राज के नियम और पंचायती राज के ढांचे को, उसके संगठन को पसन्द न करता हो । यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और तमाम पार्टियों ने भी स्वीकार किया है । जहां तक प्रगति का प्रश्न है प्रत्येक गांव में काफी रुपया खर्च करके उसकी प्रगति तथा विकास करने की कोशिश की गई है । यह कोशिश की गई है कि गांव उन्नति करें, वहां खरंजे लगें, अच्छे मकान बनें, सफाई का प्रबन्ध हो, नालियां बनाई जायं, वहां के लोगों का जीवन ठीक प्रकार से चले, गांवों में अखाड़े और व्यायामशालायें हों, स्कूल बनाये जायं, पंचायत घर बनाये जायं और इस तरह से कितने ही निर्माण कार्य हैं, सड़कें बनाई गई हैं, सैकड़ों मील लम्बी सड़कें कच्ची और पक्की बनाई गई हैं । इस तरह से काफी उन्नति गांवों में हुई है ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि लगान की जो वसूली है वह गांव सभा करे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बात सुझाव की दृष्टि से बहुत अच्छी है और पसन्द की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है, लेकिन पहली बार जब यह काम दिया गया तो बहुत देर हो गई और बहुत सा रुपया वसूल नहीं हो पाया । इसलिये यह अनुभव हुआ कि वसूली का काम उनसे नहीं हो सकता और उसके लिये अमीन वगैरह से उसकी वसूली का इन्तजाम किया गया । पहली बार यह भी कहा गया था कि दस परसेंट कमीशन हम उन गांव सभाओं को देंगे जो कि अपना टैक्स वसूल करके दे सकेंगी, लेकिन उसमें फाइव परसेंट, टेन परसेंट भी वसूलियाबी नहीं हो पाई

[श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ]

मैं यह नहीं कहता कि कभी ग्राम सभाएं वसूलयावी नहीं कर पायेंगी, ज्यों-ज्यों लोगों को हम तैयार करते जायेंगे, ज्यों-ज्यों लोग ज्यादा जिम्मेदार होते जायेंगे त्यों-त्यों ऐसी जिम्मेदारी भी उनको दी जा सकेंगी ।

उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत मंत्री सरकारी नौकर न रखे जायं, वह सरकार की तरफ से न रखे जायं, बल्कि गांव सभा के अन्दर जो चुनाव हो, उसमें से एक ही एक अध्यक्ष, एक ट्रेजरर और एक पंचायत सेक्रेटरी इस तरह से चुने जायें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई काम ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से करना है तो ऐडमिनिस्ट्रेशन (शासन) को मजबूत बनाने के लिये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सरकारी आदमी को रखें जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक प्रकार से निभा सकें ।

एक दूसरे महोदय थे, उन्होंने यह भी बताया कि हमारे यहां बहुत से आदमी ब्लाक्स पर काम करते हैं । उनको एक या दो गांव बांट देना चाहिये । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने भी ब्लाक्स के काम हैं, पंचायतों के काम हैं वे सब मिलजुलकर किये जा रहे हैं । माननीय मंत्राणी जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि हम पंचायतों के विकास के कार्यों को एक संगठन में लाना चाहते हैं । इस तरह से हम प्रगति की ओर जा रहे हैं । हमारे यहां अभी प्रशिक्षण के लिये भी व्यवस्था की गई है । गांव सभा के प्रधानों को शिक्षण दिया जाता है और उसके सदस्यों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है । हम पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण देते हैं, परन्तु हम चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से गांव वाले अपने आप इस प्रशिक्षण की व्यवस्था करें । हम अपने प्रत्येक गांव में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वे एक संगठन बनायें । वहां सब प्रकार से व्यवस्था हो । प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो और गांव की रक्षा की भी व्यवस्था हो । इसीलिये ग्राम रक्षक दल की स्थापना हर जगह करने की योजना चलाई जा रही है और वह स्थापित होता जाता है । उनको पुलिस द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि गांव स्वयं इस प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करें । हम चाहते यह हैं कि गांव स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि एक एक गांव स्वतंत्र इकाई बन जाय ।

एक महाशय ने कहा था कि हमारे यहां इंडाइरेक्ट एलेक्शन हो रहे हैं इससे बड़ा नुक्सान होता है । मैं समझता हूं कि अगर एम० एल० ए० की तरह से सभी डाइरेक्ट एलेक्शन होने लग जायं तो इससे भी बड़ा नुकसान होगा । इसमें हमारे दो दृष्टिकोण हैं । एक तो यह है कि उसमें खर्चा बहुत होता है और इन्तजाम भी ज्यादा करना पड़ता है। समय भी ज्यादा लगता है। इतने एलेक्शन बाहर के देशों में भी नहीं होते है जितने यहां पर होते हैं । यदि हमारे यहां जिला परिषद् के या म्युनिसिपैलिटी के एलेक्शन भी डाइरेक्ट होंगे तो उससे बड़ा भारी नुक्सान होगा । देश के चुनाव में कम से कम एक दो एलेक्शन डाइरेक्ट हो जायं और बाकी इन्डाइरेक्ट तरीके से हों तो अच्छा है । उससे देश का काम भी आगे बढ़ेगा । इसी तरह से प्रधान का एलेक्शन जिन ग्राम सभाओं में सर्वसम्मति से हुआ है उनको पारितोषिक दिया गया है और आगे भी दिया जायगा । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग हमारे प्रजातंत्र की नींव है । सारे संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पंचायतराज की प्रथा इतने पुराने समय से रही हो जैसी की हमारे भारतवर्ष में रही है । ७ वीं शताब्दि में सारे भारत के हमारे गांवों में किसी किसी रूप में पंचायतें थीं, लेकिन शोक का विषय है कि अंग्रेजी राज्य के जमाने में वह जो हमारी पंचायतों का रूप था वह नष्ट हो गया, क्योंकि वह अंग्रेजी राज्य से स्पर्धा करने लगी थीं। मुझे पूरी तरह से याद है कि जब छात्र अवस्था में १६०४-५ में मैंने एक लेख माला पंचायतराज के विषय में लिखी तो उससे हमारे सत्ताधारी अंग्रेज बहुत नाराज हो गये थे उस लेखमाला में मैंने यह बतलाया था कि पंचायतों के जरिये से हम सारे देश का प्रबन्ध कर सकते हैं । सब महकमों का प्रबन्ध कर सकते हैं । मैं यह चाहता हूं कि हमारी पंचायतों को प्रबन्ध का समय दिया जाय और उनको अधिकार दिया जाय कि वह अपने गांव की रक्षा करें । और

उसकी देखभाल करें और स्वास्थ्य की रक्षा करें । सफाई की रक्षा करें । इसमें मेरा मतभेद है कि हमारी पंचायतों को न्याय करने का अधिकार दिया जाय । चाहे वह दीवानी का हो या फौजदारी का हो वह अधिकार पंचायतों को कतई नहीं मिलना चाहिये । हमारा अनुभव यह हैकि न्यायालयों का जो अधिकार पंचायतों को दिया गया है उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है । उनमें निष्पक्षता का भाव नहीं है और उनको कानून भी नहीं आता है कि वह कानून के मुताबिक मुकदमों को तय कर सकें । बरअक्स इसके देखने में आता है कि पंचायतें एक दूसरे अपने भाई के साथ, पड़ोसी के साथ अन्याय करती हैं । हमने कई ऐसे स्थान देखे हैं जहां मकान तुड़वा दिये, आदमी कैद कर दिया गया और जुर्माना भी बेकायदा कर दिया गया । जो जुर्माना नहीं देते उनको कैद कर दिया जाता है और उन पर सख्ती की जाती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि न्याय की शक्ति पंचायतों को नहीं दी जानी चाहिए ।

दूसरा अधिकार जो पंचायत को नहीं दिया जाना चाहिये वह शिक्षा के संबंध में है । शिक्षा के लिये उनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिये । एक और मेरा सुझाव है कि हमारे पहाड़ी जिलों में बहुत से गांव ऐसे हैं कि जिनके चारो तरफ जंगल है । उनमें पंचायतों को अधिकार मिले हैं कि उनकी लकड़ी (पेड़) बेच कर वे पंचायतों के काम में पेड़ों की कीमत लगायें, लेकिन अक्सर पंच लोग अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिये जिस पेड़ की कीमत जंगल विभाग के अनुसार १०० रुपया होती है उसे १० या ५ रुपये में दे देते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि उन पेड़ों की कीमत तो पंचायतों को दी जाय, लेकिन उनके बेचने का प्रबंध जंगल विभाग के हाथ में रखना चाहिये तथा जंगल विभाग के नियमों के अनुसार उनकी बिक्री होनी चाहिये । उनका नीलाम फारेस्ट डिपार्टमेन्ट का डी० एफ० ओ० के द्वारा किया जाना चाहिये, उसके निरीक्षण में नीलाम किया जाय और जो कीमत मिले वह पंचायत को दे दी जाय । पंचायतें उनसे फायदा अवश्य उठायें, लेकिन जो वर्तमान प्रणाली है कि जिनके अनुसार पंच लोग ही पेड़ बेंच लेते हैं वह उचित नहीं है और इसमें पेड़ों का पूरा पैसा पंचायत को नहीं मिल पाता । इसलिये उनकी बिक्री का प्रबंध फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के नियमों के अनुसार होना चाहिये और फायदा पंचायत को दिया जाना चाहिये । पंचायतें स्वराज्य के लिये बनती हैं, उनको 'कुराज' की स्थापना नहीं करनी चाहिये । हमारी बहुत सी पंचायतें आज 'कुराज' कर रही हैं, 'सुराज' नहीं । सरकार का कर्त्तव्य है कि ऐसी तमाम पंचायतों का निरीक्षण किया जाय, इसलिये कि ये पंचायतें लोगों की भलाई के लिये ही बनायी गयी है ।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या १२ का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । पंचायत जितना महत्त्वपूर्ण विभाग है उतने ही सुन्दर और सुदृढ़ हाथों से वह संचालित भी हो रहा है और इसलिये भविष्य में उसकी सफलता में मुझे बड़ा विश्वास है । यह पंचायत विभाग जो सरकार ने अपने हाथों में लिया है और उसे इतनी शक्ति प्रदान की है यह हमारे देश के लिये कोई नयी बात नहीं है । यह हमारे देश की परम्परा रही है और बहुत दिनों से समाज के सारे के सारे काम इन पंचायतों द्वारा ही किये जाते रहे हैं । हमारे भाई वैदिक काल की बात ऐसी कह रहे हैं जैसे उनको वैदिक काल से कुछ चिढ़ है, लेकिन दरअसल वैदिक काल से लेकर १९ वीं सदी तक हमारे देश में पंचायतें प्रचलित रही हैं और उनका एक मुख्य स्थान रहा है । उसके बाद हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य हुआ और उन्होंने सारे देश पर कब्जा कर लिया और उस काल में पंचायतों की शक्ति आहिस्ता आहिस्ता कम होती गयी और ऐसा वक्त आया कि १९ वीं सदी के पहले वह बिलकुल समाप्त हो गयीं । उसकी रूप-रेखा समाप्त हो गई । उसकी खूबियां समाप्त हो गयीं, जनता के अन्दर उनके प्रति जो श्रद्धा थी वह समाप्त हो गयी । नतीजा यह हुआ कि लोग पंचायतों के महत्व को भूल गये, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने लड़ाई की आजादी के साथ साथ पंचायतों पर बल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथ सिंह वैद्य]

देना शुरू किया । सन् १९१६, १७ और १९२० में महात्मा गांधी ने अदालतों का बहिष्कार किया और यह प्रार्थना जनता से की कि हमको पंचायतों के प्रबन्ध को सम्भालना चाहिये । इस प्रकार पुनः जनता पंचायतों के महत्त्व को समझने लगी और देश धीरे-धीरे इस ओर बढ़ने लगा ।

श्रीमन्, किसी भी संस्था को चलाने के लिये पहले उसके लिये उसी के मुताबिक वातावरण पैदा करना होता है और हमारे महात्मा गांधी ने तथा देश के अन्य नेताओं ने वैसा वातावरण देश के अन्दर पैदा किया । सन् १९४७ के अन्दर हमारी सरकार ने पंचायत राज्य ऐक्ट बनाया और उसके द्वारा पंचायतों को जीवन प्रदान किया । आज हमारे गांव के लोग पंचायतों के महत्त्व को समझने लगे हैं । जब उनके हाथ में अधिकार आये, शक्ति आई, तो जनता ने उनके महत्त्व को समझा । नतीजा यह हुआ कि सब जगह उनके चुनाव हुये, बालिक लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और यह महसूस किया कि जो अधिकार उनसे छीन लिया गया था वह अब उन्हें पुनः वापस मिल गया है । इस तरह से पंचायतें हमारे बीच में आयीं । आज गांवों में एक-एक बच्चा उनके महत्त्व को जानता है ।

गांव पंचायतों को दो भागों में विभाजित कर रखा है,--एक तो पंचायत गांव सभा है और दूसरी न्याय पंचायत है । न्याय पंचायत आज छोटे मोटे झगड़ों को आसानी से तय कर देती हैं । पहले उनके लिये जनता को ऊंची ऊंची अदालतों में, जैसे जज कोर्ट, हाई कोर्ट आदि में जाना पड़ता था और उसमें काफी रुपया खर्च होता था । आज उनका वही कार्य चन्द पैसों में और घर बैठे ही हो जाता है ।

इसी तरह आज गांव पंचायतों ने गांव का पूरा प्रबन्ध अपने हाथ में ले रखा है । गांव के आज जितने काम हैं वे सभी गांव पंचायत के संचालन से हो रहे हैं । आंकड़े देने का समय नहीं है, लेकिन मोटी-मोटी बात यह है कि सन् १९५१ से ५६-५७ तक ३ करोड़ से ज्यादा का काम श्रमदान द्वारा हुआ है । करोड़ों रुपयों का श्रमदान पंचायतों द्वारा हुआ है । पंचायतों द्वारा कच्ची पक्की तमाम सड़कों का निर्माण हुआ है, पुलियों और खरन्जों का निर्माण हुआ है तथा वहां की काफी परेशानी दूर हुई है । मैं माननीय मंत्राणी जी को यह आश्वासन देता हूं कि वे अपने विभाग में काफी सफल होती जा रही हैं और उनका विभाग आगे भी फूले फलेगा और उसका कार्य तेजी के साथ होता रहेगा । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं और जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनसे निवेदन करता हूं कि वे उसे वापस ले लें क्योंकि उन्होंने उसको केवल विवाद के लिये ही पेश किया है ।

श्री उपाध्यक्ष---श्री नवरंग सिंह ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---एक निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय । मुझे अपने कटौती के प्रस्ताव को बहुत दुःख के साथ वापस लेना है, क्योंकि बोलने की इजाजत तो देंगे नहीं । इसलिये उसे वापस लिख लिया जाय तो ज्यादा अच्छी बात है ।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, समय अगर ६ बजे तक बढ़ा दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा । यह प्रस्ताव रखा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने नवरंग सिंह जी को पुकार लिया है, उसके बाद ।

***श्री नवरंगसिंह** (जिला गोंडा)---उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह श्रम और सामुदायिक योजना के संबंध में अपोजीशन की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज पंचायत के संबंध में हमारी मंत्राणी जी ने जैसा कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम से उनका संबंध था और सही मानों में वह उसकी आलोचना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह समालोचना करती थीं और आज भी उन्होंने कुछ कबूल किया है कि सही बात कहने के लिये मैं हिचकूंगी नहीं, मैं इस बात के लिये हृदय से उन्हें धन्यवाद दूंगा, लेकिन आज पंचायत की जो रूप-रेखा है वह कैसी है ? हमारे भाइयों ने कहा कि गांधी जी की कल्पना थी पंचायतराज, ग्राम राज्य और कौन सा ग्राम राज्य ? जिसके पीछे राम राज्य का सपना देखा जा सकता था और जो कि बापू जी की कल्पना थी, लेकिन आज वह ग्राम राज्य, पंचायत राज या पंचायतराज्य है या कोई दूसरा राज्य है, इसके संबंध में सोच-विचार करना पड़ेगा । किसी जमाने में पंचायत राज के संबंध में हमारे यहां कहा जाता था कि "पंच ही परमेश्वर है" । तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि "जो पंचहि मत लागै नीका" । आज पंच पांच नहीं हैं । पांच हैं तो तीन हैं और तीन हैं तो उसमें दो हैं और दो हैं तो टाई पड़ गयी । आज पंच परमेश्वर नहीं हैं । वह सपना समाप्त हो गया । अगर किसी गांव के प्रधान का चुनाव हुआ और एक तरफ ५१ हैं, दूसरी तरफ ४९ हैं तो ४९ को उस गांव में रहने का हक नहीं है । जिस गांव में ५१ को रहने का हक हो और ४९ को उजड़ जाने का खतरा हो तो यह पंचायतराज, रामराज्य, किसी भी राज्य की कल्पना भगवान ही सोचें, हम तो इसको समझने में असमर्थ हैं ।

आज कहा जा रहा है कि हम बड़े-बड़े अधिकार दे रहे हैं । अंग्रेजों के जमाने में गांव का मुखिया सरकारी अफसरों के पीछे दुम हिलाता फिरता था और आज के थोड़े दिन पहले यहां से सरकारी हुक्म निकल चुका कि हर डिप्टी कलेक्टर अपने हलके के जितने प्रधान होंगे उनको किसी शिकायत पर बरखास्त और मुअत्तिल कर सकता है, किसी भी लेखपाल किसी भी सेक्रेटरी वगैरह की रिपोर्ट पर डिप्टी साहब उसको बरखास्त कर सकते हैं । जो स्थिति मुखिया की थी, वही आज प्रधान की है । प्रधान समझता है कि हम तो सरकार के गुलाम हो गये । जितने अफसरान जाते हैं, और उनके पीछे वह दुम नहीं हिलाता, तो वह कल ही बर्खास्त और मुअत्तल होगा, उसको वहां रहने की गुंजायश नहीं है । आज जैसे इस असेम्बली में मिनिस्टरों की भरमार है वैसे ही ब्लाकों में ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, ग्राम सेवक, ग्राम-सेविका, ग्राम लक्ष्मी, इन सबकी भरमार है । बिलकुल द्वापर का वहां नक्शा है । मैंने एक मर्तबा यहां पर जिक्र किया था कि वहां पर ग्राम--सेविका, ग्राम लक्ष्मी, ये सब तो गोपियां हैं, ब्लाक के दूसरे कर्मचारी ग्वाल-बाल हैं और बी० डी० ओ० तो कृष्ण कन्हैया ही हैं । बिलकुल द्वापर का युग दिखलाई पड़ रहा है । जैसा कि और भाइयों ने भी कहा, हमारे यहां गोंडा और बलरामपुर में, जितनी ब्लाकों की जीपें हैं वह सिनेमा में दिखलाई पड़ेंगी । अगर आप गांवों में उन जीपों को देखना चाहें तो मुश्किल पड़ेगी । अगर सही मानों में वे गांव वालों की तकलीफों में शरीक होते तो क्या ही अच्छा होता । हमने देखा कि गांव में खड़ंजे लगाये गये हैं ब्लाक और विकास क्षेत्रों की तरफ से, और अगर कोई तैयार हो तो साबित भी कर सकता हूं कि जहां किसी खड़ंजे के लिये १०० रुपया मंजूर हुआ तो जब पहले प्रधान ने ५० रुपये पहले अदा कर दिये तब ५० रुपये खड़ंजे के लिये गांव वालों को मिले . . . . .

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय वक्ता महोदय ने बी० डी० ओ० की भगवान कृष्ण से उपमा दी है । मैं समझता हूं कि बी० डी० ओ० को इतने बड़े महापुरुष कृष्ण की उपमा देना और ग्राम सेविकाओं को गोपियां कहना, इस प्रकार की जो उपमा है वह ठीक नहीं है, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको एक्सपंज किया जाय कार्यवाही से ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य इसको साफ कर देंगे ।

श्री नवरंगसिंह---जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी । जिस हालत में आपने कहा और समझा है उस तरह आप समझ सकते हैं, और दूसरे भाई जिस तरह

[श्री नवरंगसिंह]

चाहें समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो समझ की बात है। मैं सबको एक बराबर नहीं समझ सकता, यह मेरी असमर्थता है . . . .

श्री झारखंडे राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री उपाध्यक्ष—जो बात माननीय सदस्य ने उठाई थी वैसा मतलब वक्ता महोदय का नहीं था। उन्होंने वैसी कृष्ण की उपमा नहीं दी। अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नवरंगसिंह—मैं नहीं समझता कि वे कृष्ण के बराबर कैसे हो जायेंगे . . . .

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक तरफ तो बी० डी० ओ० को कृष्ण कहते हैं और दूसरी बार कहते हैं कि वे कृष्ण के बराबर योग्य नहीं हैं तो इन दोनों बयानों में कोई मेल नहीं बैठता। मैं इस पर सख्त एतराज करती हूं। हो सकता है कि दो चार जगह कोई खराब हों, लेकिन इतनी लड़कियां जो कार्य कर रही हैं उन सारी की सारी को, सारी कम्यूनिटी को कन्डेम करना कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है। ऐज ए वोमन मैं स्ट्रांगली आब्जेक्ट करती हूं।

श्री नवरंगसिंह—अगर गोपियों के नाम लेना जुर्म है या कृष्ण का नाम लेना जुर्म है या मिसाल देना जुर्म है तो मैं समझता हूं कि मुझको हमारी बहन क्षमा करेंगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं अपनी बहन से कि वह गोंडा हमारे साथ चलें और देखें . . . .

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जहां खराबी हो वह आप जरूर बताइये, उसका आपको हक है।

श्री नवरंगसिंह—जो मौके पर स्थिति है जो हम रोजमर्रा देखते हैं, उसको भी अगर न कहें तो अपने दिल को और अपनी आत्मा को धोखा देंगे। कहा गया कि हम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं, देते हैं, लेकिन आज भी गांव सभाओं के सभापतियों को संपत्ति रजिस्टर नहीं मिला है। उसको पता नहीं है कि गांव सभा की संपत्ति कौन सी है। स्थिति यह है कि अगर कोई दरख्वास्त देता है तो जवाब मिलता है कि संपत्ति रजिस्टर दे दिया गया है, लेकिन किसको दे दिया गया, यह पता नहीं चलता है।

आज इन पंचायतों ने गांवों को खोखला बना दिया है। आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में समूचा एका हो, एक राय हो। यह जरूर है कि लोगों को इलेक्शन का अड्डा मिल गया है। एक आदमी अगर एक पार्टी का है तो दूसरा आदमी दूसरी पार्टी का हो जायगा। इसलिये कम से कम दो तीन पार्टियां तो एक गांव में हो ही जाती हैं। यह नहीं कि इलेक्शन के जमाने में ही ऐसा होता हो, यह तो बाद को भी बना रहता है। हमारे यहां पहले यह तरीका था कि अगर किसी के बाप को कोई मार डालता था तो वह उसके यहां जाता नहीं था और कहता था कि उसके यहां हाड़ पड़ा है, लेकिन आज घर-घर हाड़ पड़ा है। इलैक्शन जहां हो गया तो हमेशा के लिये दुश्मनी हो गयी।

पहले तो पंच परमेश्वर हमारे यहां हुआ करते थे। वे पांच हुआ करते थे, लेकिन ३ या दो नहीं होते थे। आज भी हमारे यहां कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें प्रधान का चुनाव बहुमत से नहीं होता। वे आपस में तय कर लेते हैं कि हमारा चौधरी कौन होगा, लेकिन उनमें कोई झगड़ा नहीं होता। चौधरी चुना जाता है तो उनके यहां कत्ल, चोरी, डकैती और फौजदारी नहीं होती, लेकिन इन पंचायतों के चुनाव के कारण किस प्रकार से दुर्दशा लोगों की हो रही है, लेकिन वहां न जाकर यहीं बैठ कर हवाई किले बांधे जायें तो यह दूसरी बात है।

कहा जाता है कि उन लोगों को सब प्रकार के अधिकार दे दिये गये हैं। हमारे बीच में श्रम के लिये कुछ भाइयों ने एतराज किया कि पंचायतों को यह अधिकार क्यों दे दिये हैं।

उनको अधिकार दिया है कि वे मशक्कत ले सकें । हमारे भाई ने कहा कि मशक्कत सब से ली जानी चाहिये किसी से भी पैसा नहीं लिया जाना चाहिये । यह बात उचित है । मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में ऐसे लोग भी हैं जो सुबह से शाम तक मजदूरी करने के बाद भी शाम को इतना पैसा नहीं कमा पाते कि जिससे वे अपने बाल-बच्चों का भरण पोषण कर सकें । तो जिस रोज ऐसे लोगों को श्रम के लिये पकड़ा जायगा, उनके खाने की जिम्मेदारी किस पर होगी । सरकार पर उसकी जिम्मेदारी होगी या गांव की पंचायत पर ? तराई के क्षेत्र में बहुत सी जगहों पर अनाज दिया जाता है ५-१० सेर जो तय हो जाता है । इसी प्रकार से जिनके घर में खाने को नहीं है अगर उनसे मशक्कत ली जाय तो सरकार एक मिकदार नाज भी तय कर दे, ५-१० सेर जो चाहे तय कर दे, उनको श्रम करने के बाद शाम को दिया जाय, जिससे उनका भोजन तो चल जाय । हमारे पास पैसा है, खाना है, हम से एक दिन नहीं दो दिन मशक्कत ले लीजिये । उससे पैसा न लिया जाय, उससे मशक्कत ली जाय, यह तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी इस पर भी विचार किया है कि जो आदमी दिन भर मशक्कत करके अपने घर आयेगा उस दिन उसकी शाम की रोटी कैसे चलेगी ? इसके लिये भी इसमें कोई प्राविजन होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि हमारे तराई क्षेत्र में वहां के ठेकेदार लोग भी आज बेगार लेते हैं जिसे ठाकुर साहब अच्छी तरह से जानते हैं । तो क्या वहां भी यही होगा कि वहां के लोगों को बी० डी० ओ० के पास या तहसीलदार के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास बेगार के लिये हाजिर होना पड़ेगा । वहां भी ऐसा न हो इसके किये प्रोविजन करना होगा कि इसकी हम रोकथाम कैसे करें ।

श्री राजनारायण (जिला मिर्जापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्राणी महोदया ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, हमारी नीति ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की है । ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषदों तक जो विकेन्द्रीकरण की प्रथा कायम की गयी है वह बहुत जरूरी बात है । इस प्रथा को कायम करने के लिये हमें बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा । पंचायतों में एक बड़ा जबर्दस्त सुधार हुआ है कि जो पहले प्रत्यक्ष चुनाव होता था अब गुप्त रूप से चुनाव हो गया है जिससे बहुत से लोग जो जुल्म के बल पर गलत तरीके से चुनाव करा लेते थे, वह चुनाव अब समाप्त हो गया । श्रीमन्, जिस तरीके से हमारे विरोधी पक्ष के भाई, महात्मा जी ने जो स्वप्न देखा था उसका उपहास कर रहे थे, यह मुनासिब बात नहीं है । यदि देखा जाय तो पिछले दस वर्ष के अन्दर हमने ग्राम पंचायतों के जरिये गांवों के अन्दर एक नयी भावना पैदा कर दी है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं । अब तक जो हमारी कमजोरी थी कि पंचायतों, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों में कोई लगाव नहीं था, उस लगाव को कायम करके हमने एक यूनिट पंचायत ऐसी कायम कर दी है जहां कि निरीक्षण के जरिये, अपने सुझावों के जरिये, जिला परिषदों के अध्यक्ष और जिला परिषदों के मेम्बरान और क्षेत्र समितियां जो बनायी गयी हैं ब्लाक के स्तर पर, उनके अध्यक्ष अपने व्यवहार और नीति से ग्राम पंचायतों के अन्दर एक नया जीवन पैदा कर सकेंगे और इस तरह से सरकार की तरफ से एक बड़ा जबर्दस्त कदम उठाया गया है ।

हम जानते हैं कि जहां ग्राम पंचायतों के अन्दर ईमानदार सभापति चुन लिये जायेंगे वहां पुलिस के मुताल्लिक या किसी कर्मचारी के मुताल्लिक कोई शिकायत होने पर उसकी सुनवायी अवश्य होगी । जहां ईमानदार सभापति व ब्लाक के अध्यक्ष हैं वहां के विकास संबंधी कामों की कितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है । मैं जनता हूं कि जितनी योजनायें आज चालू हैं--जैसे रेशम के कीड़े पालना, चमड़े के लघु उद्योग या और दूसरे लघु उद्योग जहां कायम हैं वहां जितने कर्मचारी ब्लाक स्तर पर रखे गये हैं, वहां के अध्यक्ष सेक्रेटरी व इन लोगों के प्रयत्न से और गांव वालों के परिश्रम से उन ग्रामों में बड़े जोरों से काम चल रह

[श्री राजनारायण]

है । तो बजाय इसके कि हम गांवों में इन चीजों को कायम करें---महात्मा गांधी के स्वप्न को एक दूसरी नजर से देखना यह उचित बात नहीं है । हमें चाहिये कि दिन रात मेहनत करके गांव की जो यह इकाई है, उसको किसी तरह से मजबूत करें, इस तरफ हमारा ज्यादा जोर होना चाहिये । इस तरफ सरकार बराबर आगे बढ़ रही है । जो ग्राम समाज के सभापति होते हैं वे पदेन सदन सदस्य होते हैं, वे पदेन सदस्य होते हैं उनके द्वारा हम अपने ग्रामवासियों में एक नया विश्वास और एक नई उमंग पैदा कर रहे हैं । आज जैसा कि कहा गया हमारे इन ग्रामों में २ वजह से कमजोरियां हैं । एक तो वहां धन की कमी है और दूसरे प्रशिक्षण की कमी है । धन के साधन जुटाने के लिये ही यह कानून बनाया गया है कि जो ग्राम समाज अपने यहां तहसील वसूली का काम करना चाहें उनको वसूली की रकम का १३--१४ प्रतिशत दिया जायगा । अच्छा हो कि जिन विधायकों के क्षेत्रों में यह इकाइयां हैं वह उनमें सहायता प्रदान करें, वह अपने यहां उनके द्वारा लगान वसूली करायें और इस तरह से उनको काफी धन मिल जायगा । इसी तरह से तालों में सिंघाड़ा, या मछली उत्पादन से और छोटे छोटे लघु उद्योगों से आय को बढ़ाया जा सकता है । यदि इस तरह का प्रयत्न होगा तो कुछ दिन बाद जिस चीज का उपहास किया जाता है वह चीज देखने में नहीं आयेगी और स्थिति बदल जायगी । जिस प्रकार से उपमा दी गई वह बड़े खेद की बात है और मैं चाहता हूं कि ऐसी बातें आइन्दा न कही जायं । इससे हम कुछ आगे नहीं बढ़ते, बल्कि यह एक प्रतिष्ठा का सवाल है, यहां का एटीकेट कुछ ऊंचा होना चाहिये और स्तर गिरना न चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं मंत्राणी जी के इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

सूचना राज्यमंत्री (श्री बनारसीदास)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)---श्रीमन्,....

श्री दीपनारायणसिंह---श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि २३ मई के बाद बजट पर मैं आज तक नहीं बोला हूं । आप समय मुझे देना चाहें तो कह दें नहीं तो हम उठायें बिस्तर ।

श्री उपाध्यक्ष---समय होगा तो अवसर दूंगा, कोई सौदा तो हो नहीं रहा है ।

***श्री गिरवरप्रसाद** (जिला एटा)---उपाध्यक्ष महोदय, आज का सबजेक्ट, ग्राम-पंचायतें और न्याय पंचायतों का है । इस हुकूमत के आने के बाद जमींदारी खात्मा का कानून आया, फिर उससे काश्तकारों को फायदा पहुंचाया गया होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ । इसी तरह से न्याय पंचायतों से जो लाभ मिलना चाहिये था वह नहीं मिला । जमींदारी खात्मा से पहले हम लोग गांव के रहने वालों को जमीन मुफ्त मिलती थी और जमीन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज गांव के आदमी को ४०० रुपया प्रति बीघा जमीन मिलती है जब कि उसके पास पैसा नहीं है । उसे न जमीन जोतने को मिलती है और न मजदूरी का ही कोई साधन है । इसी तरह से आज प्रधानों की समस्या हुकूमत ने बना दी है । गांव के लोग इस हुकूमत के आने से पहले बिल्कुल नहीं जानते थे कि झगड़ा क्या होता है, लेकिन प्रधानों के चुनाव के सिलसिले में आज गांवों में बीसियों पार्टियां कायम हो गई हैं और एक-एक प्रधान को हजार-हजार और दो-दो हजार रुपया चुनावों में खर्च करना पड़ता है । आज नतीजा यह है कि उन का मुकदमा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हाईकोर्ट में पेंडिंग है और उसके फलस्वरूप एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। जो आप गांवों में आपस में मोहब्बत, सहयोग और मुरव्वत पैदा करना चाहते थे बजाय उसके आज वहां पर उसके विपरीत ही कार्य हुआ है। गांवों के इन प्रधानों को क्या कोई वेतन मिलता है ? यह प्रश्न देखने के योग्य है। जहां जिले के प्रधान, सूबे के प्रधान और देश के प्रधान वेतन लेकर काम करते हैं वहां मेरी समझ में नहीं आता कि गांव के प्रधानों को क्यों एक पाई भी तनख्वाह नहीं दी जाती है ? क्या गांव का प्रधान इतना त्यागी है, इतना मालदार है कि वह बगैर पैसा लिये काम करने को तैयार हो गया है। कचेहरियों में हाजिर होने के लिये उसे जाना पड़ता है उसके लिये पैसा कहां से आता है ? मेरा ख्याल है कि उसको इतना मौका दिया जाता है कि भ्रष्टाचार की नींव पैदा हो और इस तरह वह तरह-तरह के साधन पैसा पैदा करने के करता है। इस तरह कचेहरियों से भ्रष्टाचार पैदा करने की नींव पड़ जाती है और ऊपर के लोगों को प्रोत्साहन मिलता है।

न्याय पंचायत जो हुकूमत ने कायम की हैं उनके लिये यह कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत पुरानी प्रणाली है। क्या पहले गांव के लोगों पर न्याय पंचायतें जुर्माना किया करती थीं ? और पैसा वसूल करके खजाने में जमा किया करती थीं ? मेरी समझ में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। आज हुकूमत ने न्याय पंचायत कायम की है। उन्हें कानून से वास्ता पड़ता है। आई० पी० सी० के सेक्शन ५०४, ३२३, ३५२ आदि के मातहत उनको मुकदमें तै करने पड़ते हैं। ये अदालतें न्याय करें, या अन्याय करें, लेकिन इतना जरूर करती हैं कि जुर्माना लोगों पर करती हैं और वे जुर्माना की रकम खजाने में आकर जमा कर देती हैं। क्या गांव का आदमी पंचायती अदालत कायम होने से मालदार हो सकता है ? अगर एक मुकदमें में एक गांव पंचायत तीन हजार रुपया जुर्माना करती है तो गांव के आदमियों को खत्म करने के लिये काफी है। फिर समझ में नहीं आता कि न्याय पंचायतों में पंच बे पढ़े होते हैं। उनको ताजीरात हिन्द और कानून की वाकफियत नहीं होती। फिर जुडीशियल आफिसर, एम० डी० एम०, तहसीलदार, जज, हाई कोर्ट के जज पैसा लेते हैं तब मुकदमा तै करते हैं। तो कौन सी खसूसियत है गांव के आदमी में कि बगैर पैसा दिये हुए हो न्याय चाहता है। फिर जहां आदमी समय देता है तो पैसा पैदा करने की कोशिश करता है। होता यह है कि जुर्माना लेकर कुछ वह खजाने में जमा करता है और कुछ अपनी जेब में रखता है। न्याय पंचायतों के कायम करने में हालत खतरनाक हो गयी है। मुमकिन है गांव पंचायतों से हुकूमत को लाभ हो, क्योंकि वह जुर्माना करके खजाना भरती हैं, लेकिन जहां तक पब्लिक का सम्बन्ध है उसको कोई फायदा नहीं है।

एक बात मुझे और कहनी है। उसका न्याय पंचायत अथवा गांव सभाओं से सम्बन्ध नहीं है। हुकूमत ने जमींदारी अबालीशन कानून बनाया और यह नियम बनाया कि काश्तकार जमीन को सबलेट नहीं कर सकता है। इससे काश्तकार को क्या फायदा होगा ? जब उसके पास कोई साधन नहीं है और उसका गुजारा होना दुश्वार है और ऊपर से यह न्याय व्यवस्था वहां चालू की गयी है तो मैं समझता हूं कि एक लाख वर्ष के अन्दर भी गांव के आदमी को कोई राहत नहीं मिल सकती। मुमकिन है शहर के आदमी ने तरक्की की हो और हुकूमत ने बड़ा पैसा देहातों में लगाया हो, लेकिन गांव के ८० परसेंट आदमी को कोई लाभ नहीं हुआ है।

श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस ग्रांट पर बोलने के लिये समय दिया है उसके लिये मैं अनुगृहीत हूं। यह कहा गया है इस माननीय सदन के समक्ष कि पंचायतराज और पंचायतें जो हमारे देश में हैं वह हमारे जनतंत्र की आधारशिला हैं। वास्तव में जनतंत्र की आधारशिलायें पंचायतें ही हैं। पंचायतें पुराने जमाने में जब कि समाज सीधा सादा था, कोई जटिल समस्यायें नहीं थीं, आसानी से अपना कार्य सम्पन्न कर लेती थीं। तभी से, जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि पंच परमेश्वर के समान समझे जाते थे, उस समय की यह कहावत हमारे देश में चली आ रही है।

(इस समय ४ बज कर ३६ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः विराजमान हुए।)

[श्री महावीरसिंह]

आज कल हमारे समाज की समस्याएं बहुत जटिल होती जा रही हैं और उन समस्याओं को निपटाने के लिये हमारी ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें उसी तरीके से सचेत होकर ही अपना कार्यभार संभाल सकती हैं। यह ठीक है कि अंग्रेजी राज्य में केन्द्रीयकरण की वजह से हमारी ग्राम पंचायतों का लोप हो गया था, उनकी जिम्मेदारी कोई महसूस नहीं की जाती थी, लेकिन जब से हम को आजादी मिली है उस समय से हमारे ग्राम समाज और पंचायतें फिर हरी भरी दिखने लगी हैं। ऐसा मालूम होता है कि यहां पंचायतों की जड़ें मजबूती के साथ मौजूद थीं और आजादी के आते ही उनमें से हरी शाखायें फूट निकली हैं और बहुत शीघ्र ही वह अपने प्राचीन कर्त्तव्यों को पालन करने में समर्थ हो जायेंगी। ग्राम सभाओं और पंचायतों के समक्ष मुख्यतः दो समस्यायें हैं। एक तो यह कि कौन उनके पदाधिकारी हैं और दूसरे यह कि उनके पास क्या-क्या साधन हैं अपने कर्त्तव्यों को निभाने के लिये। जहां तक पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, वह तो ग्रामीण जनता से ही आते हैं, जैसी ग्रामीण जनता होगी वैसा ही उस ग्राम का प्रधान होगा, वैसी ही वहां की पंचायत होगी, यह भी तो एक साधारण सी बात है, लेकिन इसका केवल पंचायतों के सम्बन्ध में ही जिक्र करना उचित नहीं प्रतीत होता। अन्य विभाग भी हैं इस गवर्नमेंट के अन्दर जहां ऐसी बातें होती हैं, लेकिन केवल पंचायतों को ही इसका टार्गेट बना कर यह कहना कि पंचायतों को अधिक अधिकार देना उचित नहीं होगा, यह उचित नहीं है। यदि कोई तैरना सीखने वाला शुरू में पानी में डूबने लगता है इसलिये आप कहें कि उसे पानी में नहीं जाने देना चाहिये तो वह कैसे तैरना सीख सकता है। पंचायत अधिकारियों को, जिन्हें आप एलेक्शन के जरिये नियुक्त करते हैं उनको सही और गलत, दोनों ही काम करने का हक है। उनमें केवल इतनी चेतना पैदा करने की आवश्यकता है कि वह भले और शिक्षित आदमियों को चुन कर भेजें।

दूसरी बात यह है कि उनके पास क्या-क्या साधन हैं। इस सदन में अधिकांश माननीय सदस्य ग्रामों से आये हैं। वे जानते हैं कि बहुत से ग्रामों की आमदनी जो पंचायत टैक्स के रूप में आती है वह सौ, दो सौ पये से अधिक नहीं होती। तो इतने रुपये से क्या उद्धार का कार्य किया जा सकता है। तो जैसा कि मेरे मित्र लोगों ने यह सुझाव रखा है.....राजस्व से कुछ हिस्सा पंचायतों को अवश्य देना चाहिये चाहे वह एक चौथाई हो या छठवां भाग हो लेकिन बिना इसके इनका कार्य नहीं चल सकता है। मालगुजारी ग्रामीण जनता देती है, इसलिये उसका कुछ भाग उनके लिये खर्च होना चाहिये। जैसे शहरों में हाउस टैक्स लिया जाता है तो उसे म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर उनकी भलाई के लिये खर्च किया जाता है। इसी सिद्धान्त के अनुसार माल-गुजारी का कुछ भाग गांव समाजों को मिलना चाहिये जिससे उनकी दशा सुधारी जा सके। इसके अलावा मालगुजारी वसूली का कार्य भी उनको दिया जा सकता है, लेकिन इस सम्बन्ध में कामयाबी नजर नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्राम सभापति अवैतनिक होता है और वह वसूलयाबी में दिलचस्पी नहीं लेगा। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि मालगुजारी वसूली का काम गांव सभाओं को दिया जाय और उनको खर्चा दिया जाय जिससे वे अमीनों के द्वारा मालगुजारी वसूल करा सकें। यह आमदनी का जरिया हो सकता है।

यदि इनकी आमदनी नहीं बढ़ाई जायगी और चिल्लाते रहेंगे कि गांव में पार्टीबन्दी है तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कौन पार्टी नहीं बनाता है? इस सदन में भी पार्टियां मौजूद हैं तो यह कोई असाधारण बात नहीं है। हम लोग भी तो इलेक्शन के बाद अपना कर्त्तव्य भूल जाते हैं। इसको खिलाड़ी का खेल समझ कर नहीं खेलते हैं, बल्कि जिस पार्टी ने हमारा विरोध किया है उसके प्रति अपनी भावना एक इलेक्शन से लेकर दूसरे इलेक्शन तक ले जाते हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेकर नहीं चलते हैं। तो यह खाली गांवों की ही बात नहीं है, बल्कि सब जगह ऐसा देखा जाता है। इन शब्दों के साथ जो मंत्राणी जी ने अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटमोशन रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

समितियों के नाम वापसी तथा चुनाव की तिथि में परिवर्तन करने के संबंध में प्रस्ताव

सूचना राज्यमंत्री (श्री बनारसीदास)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परामर्शदात्री समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति आदि के जो चुनाव होने हैं उनके नाम वापस लेने की तिथि ३१ तारीख तक बढ़ा दी जाय और चुनाव ४ तारीख को किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मंत्री जी अगर प्रयत्नशील हों.....

श्री अध्यक्ष—उनका कहना यह है और वे चाहते हैं कि यथाशक्ति निर्विरोध चुनाव हो जायं। कुछ समितियां ऐसी हैं जिनमें दो एक नाम ज्यादा हैं, संभव हो सकता है कि दो एक दिन में ठीक हो जायं।

श्री उग्रसेन—यदि मंत्री जी प्रयत्नशील हों और समय की जरूरत हो तो व्यक्तिगत समय ले लें।

श्री अध्यक्ष—नाम वापस लेने का समय आज समाप्त होता है तो बजाय आज के ३१ तारीख तक बढ़ा दिया जाय, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव उसी दिन होगा जिस दिन मुकर्रर किया हुआ है, चुनाव नहीं बढ़ेगा। २ वाला चुनाव ४ को कर दें, लेकिन ४ तारीख को चुनाव हो जाय अनिवार्य रूप से।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, यही मेरा प्रस्ताव है।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—गांव सभाएं और पंचायतें

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें टाइम दिया, पंचायत पर बोलने के लिए। जो कटौती का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक दृष्टांत मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं और वह यह है कि एक जहर का बीज है उसको हमने बो दिया। उस बीज से जो पौधा उगेगा, जो टहनियां होंगी, जो पत्ते होंगे, जो फूल लगेंगे, जो फल लगेंगे, सब के सब जहरीले होंगे। आज जो पंचायत राज में है इसकी जड़ में एक जहरीली चीज है। उसकी टहनियां, फल, फूल सब जहरीले हैं। यह सोचने विचारने की बात है कि मैं इस तरह का दृष्टान्त क्यों दे रहा हूं। मैं इस दृष्टान्त के समर्थन में एक दूसरा दृष्टान्त आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वह चीज यह है कि अभी हमारे उस पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत राज आ जाने के बाद चमार, बाहमन, ठाकुर, कुर्मी, वैश्य, शूद्र सभी एक साथ बैठ कर अपनी समस्याओं को हल करते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही, लेकिन आज से कुछ दिन पहले अखबारों में इस तरह की बहुत-सी बातें आयी हैं कि कहीं-कहीं पर चमार अगर प्रधान चुन लिया गया तो कुछ बाम्हन और ठाकुरों द्वारा जिनको ईर्ष्या थी वह गोली से शूट कर दिये गये। क्या हमारे इस दृष्टान्त को कोई माननीय सदस्य गलत सिद्ध कर सकते हैं? यह बिल्कुल सत्य है।

दूसरी बात यह है, मान्यवर, कि हमारा देश देहातों का प्रदेश है, गांवों का देश है, यहां शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। पंचायत राज सिस्टम हमारे भारत की एक परम्परा रही है। वहां पर यह पंचायत राज सिस्टम बहुत हद तक सफल भी था, लेकिन जिन दिनों पंचायत राज सिस्टम हमारे प्राचीन काल में लागू था उस समय वह लोग "गाडलो" जरूर होते थे, देव तुल्य थे।

[श्री श्यामलाल]

उनकी प्रकृति दूसरे किस्म की होती थी। उस समय के समाज से आज के समाज से बड़ा भारी अन्तर है। मान्यवर, आज का भारतीय समाज में चाहे वह पढ़ा-लिखा समाज हो, चाहे वह देहाती समाज हो, या किसी प्रकार का समाज हो आज मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि वह वर्चू, वह गुडनस, आज हमसे दूर है। जिस समय हम कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं उस समय हमें एक पता चलता है कि हमारी दुनिया बिलकुल दूसरी है, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होते हैं, सर्विसेज में इंटर करते हैं, तो उस समय पता चलता है कि वास्तविक दुनियां क्या है। उस समय हमारे सम्मुख एक दूसरा चित्र आता है, एक दूसरा नजारा आता है। जब तक हम भ्रष्टाचार न करें तब तक न अपना पेट भरेगा और न परिवार वालों का ही पेट भरेगा। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि गवर्नमेंट सर्विस में जो करप्शन नहीं करता है, वह किसी न किसी अभियोग में फंसा कर निकाल दिया जाता है। इस तरह के बहुत से उदाहरण हमारे सम्मुख मौजूद हैं। आज पंचायत राज सिस्टम में हमारे देहात के लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। यह जो चुनाव होते हैं, इनमें भी भ्रष्टाचार होता है। मान्यवर, एक बात मैं आपके समक्ष और पेश कर देना चाहता हूं। हमारी यह सरकार यह कहती है कि हमारा मुख्य लक्ष्य समाजवाद है, कोआपरेशन है, सहयोग की भावना है, लेकिन पंचायत राज की यदि आप जांच करें तो गांवों में आपको पता चलेगा कि कितना बुरा ग्रूपिज्म है। कितना भेदभाव है, मनुस्य मनुष्य के बीच में कितनी बड़ी खाई है? तो मैं यह आपके द्वारा सम्बन्धित माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह जहर का बीज न बोकर के अमृत का बीज बोयें तो उसमें जो पत्ती निकलेगी, जो डाली निकलेगी, जो फल निकलेगा, जो फूल निकलेगा, वह सब अमृतमय होगा।

*श्री राधेश्याम---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे इस बात की भारी खुशी है कि चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों एक दो माननीय सदस्यों को छोड़ कर सब ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का करीब-करीब समर्थन किया है। चूंकि सुबह काफी मैंने समय लिया और काफी सुझाव सरकार के समक्ष रखे तो मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदय ने जो इसी विभाग से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ बातें कहीं, मैं उन बातों का उत्तर इस सदन के समक्ष पुनः देना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदय ने कहा श्रीमन्, कि हमने बालिग मताधिकार दिया। यदि वह यहां होते तो मैं उनसे कहता। दूसरे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदय बैठे हैं, वह भी एक नवयुवक माननीय सदस्य हैं वह उन्हें बतायेंगे। बालिग मताधिकार की बात कहना, मैं समझता हूं कि यह कोई एहसान आपने उनके साथ नहीं किया है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हम आपसे कम नहीं लड़े हैं। पूज्य बापू जी मौजूद थे। स्वतंत्रता के साथ-साथ बालिग मताधिकार मिला। जनतन्त्र में यह कोई बड़ी भारी बात नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि हायरस तहसील में तेहरा गांव को माननीय मंत्री जी ने देखा। एक एक एकड़ में ४७ मन के करीब अनाज उस गांव के कृषकों ने पैदा किया है। श्रीमन्, यह कोई एक जगह की बात हो सकती है। सारे प्रदेश की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भी खेती करने वाला किसान हूं और मुझे मालूम है कि कृषि के कार्यों में काफी मेरा इन्टरेस्ट रहता है, खुद अपने हाथ से खेती करवाना जानता हूं। ८ बीघे कच्चे खेत में ४० मन से ज्यादा गेहूं अपने द्वारा मैं नहीं पैदा करवा सका जबकि सारे साधन कृषि के जो कि आज के युग में हो सकते हैं, वह मैंने प्रदान किये। तो हो सकता है किसी एक गांव में ऐसी खेती हो गई हो, लेकिन यह इस बात का नमूना नहीं हो सकता कि सारे प्रदेश की कृषि बढ़ी है। उसके लिए यह कोई तर्क नहीं हो सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंग्रेजी जमाने से प्रगति की बात जो उन्होंने दोहरायी कि मैंने यह कहा कि अंग्रेजी जमाने से प्रगति बिल्कुल नहीं बढ़ी है तो उनको यह भ्रम था मैंने यह बात नहीं कही कि प्रगति बिलकुल नहीं बढ़ी है। मैंने कहा कि कुछ अंश तक बढ़ी है। मैं ऐसी बेबुनियाद बात इस सदन में नहीं कहना चाहता। चारों तरफ से सोच कर के मैं उस बात का पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ प्रगति बढ़ी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, परन्तु आप को देखना पड़ेगा कि इतना खर्चा करने के बाद और पन्द्रह सालों में जो प्रगति बढ़ी है वह कोई ठोस प्रगति नहीं मानी जा सकती है। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मंत्री जी को तेहरा ग्राम ही क्यों दिखाया? हाथरस तहसील में ही उनका निज का गांव है रोतायन, वह क्यों नहीं मंत्री जी को उन्होंने दिखाया? वह तो साधन सम्पन्न हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उनके गांव के किसान साधन सम्पन्न होंगे, तो वह क्यों नहीं उन्होंने दिखाया? दस पांच गांव अड़ोस-पड़ोस के दिखाते तो माननीय मंत्री जी को मालूम हो जाता। तो श्रीमन्, देखने की बात यह है कि जिन साधनों में जितना खर्च सरकार ने किया है उनको देखते हुए प्रगति कोई विशेष नहीं हुई है। यह उनकी दूसरी बात का जवाब है।

तीसरी बात उन्होंने कही न्याय पंचायतों की इस बात को मैंने सुबह भी दोहरायी थी। जरा ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायतों के सदस्य न्याय पंचायत के सदस्य होते हैं। न्याय की पंचायत के सदस्य ५०० रुपया तक की डिग्री दे सकते हैं, सिविल का काम कर सकते हैं जब कि कानून में एक एक शब्द के कई कई मानी हो सकते हैं और वही सदस्य उतने ही पढ़े लिखे जो सदस्य हैं ग्राम सभा के अन्दर वह ग्राम पंचायत में अपने लगान की वसूली नहीं कर सकते। उधर ५०० रुपये की डिग्री देने के योग्य हो सकते हैं और दूसरी तरफ राजस्व की वसूलयाबी करने में नाकाबिल हो सकते हैं तो यह एक कानूनी विरोधाभास है जिसको उधर के बैठने वाले ही समझ सकते हैं कि सरकार की तबियत में क्या बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और सबेरे मैंने भी कहा था कि यदि गांव में एक प्रधान हो। प्रधान के साथ पंचायत का मन्त्री, सरकारी न हो, वह भी गांव सभा के सदस्यों में से चुना हुआ हो, उसको सरकार तनख्वाह दे। वह सदस्य में से हम बना दें। तो यह कितना अच्छा सुझाव सरकार के सामने हो गया। जब ग्राम सभा का सदस्य पंचायत का मन्त्री होगा तो वह स्थानीय व्यक्ति होगा तो वह काफी काम कर सकता है। वह बाहर का आदमी नहीं होगा जिसको आने में कठिनाई का सामना करना पड़े। जब गांव पंचायत का मन्त्री रहेगा और प्रधान रहेगा तो वह अधिक दिलचस्पी से काम कर सकेंगे। जो ४० सदस्यों का चुनाव हुआ उसमें से ये होंगे तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। गांव का सारा कार्य, राजस्व वसूली का कार्य उस क्षेत्र में अच्छी तरह से कर सकेगा। सरकार कहती है कि हमने वसूली कराकर देखा है गांव सभा ने वसूली का काम अच्छी तरह से नहीं किया। जब उसी प्रान्तीय सरकार के राजस्व विभाग के अमीन और वही चपरासी हैं और उसके साथ ४ सिपाही रहते हैं तो फिर कौन-सी बात आपत्ति की हो सकती है। अब भी वही लोग काम करते हैं। क्या तहसीलदार से वसूलयाबी कराना चाहते हैं। अगर सरकार मेरी बात मान ले तो ग्राम पंचायत यह समझेगी कि हमारे अधिकार बढ़ गये हैं। ग्रामीण लोग समझेंगे कि हमारे अधिकार बढ़ गये हैं और यह सब हमारे मातहत हैं। हम ग्राम के मालिक हैं। वह वसूली करके सरकार को देंगे और वह भी आपको २३ करोड़ रुपया वसूल कर के देंगे। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ५।।। करोड़ रुपया हम उनको कर्ज देंगे। मगर कर्जा देने से उनकी समस्या हल होने वाली नहीं है। मैंने यह सुझाव दिया था कि एक बटा चार राजस्व की वसूली का भाग आप ग्राम पंचायतों को दें। वह गांव सभाएं सुगमता से उन्नति के कार्य पर खर्च करेंगी। इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में आपको करना पड़ेगा आप उनको दीजिये एक बटा चार राजस्व का भाग। ५।।। करोड़ कर्जा देने से उनकी उतनी उन्नति नहीं हो सकती है। यह आप को मालूम हो जायेगा। यह मेरा ठोस सुझाव है सरकार को इसको मान लेना चाहिये। अगर इस पर सरकार ने विचार किया तो मैं जानता हूं कि ग्राम पंचायतों में वाकई में ठीक काम होगा और ग्राम पंचायतें सही

[श्री राधेश्याम]

रूप से ग्राम सभाओं के आधार पर चलेंगी। जो बातें मैंने कही हैं उन पर सरकार पुनः विचार करे।

पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने चुनाव की बात कही। मैंने भी कहा था कि पंचायतों का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर होना चाहिये और वह प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होना चाहिये। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बड़ी मुश्किल पड़ जायगी इस वजह से अप्रत्यक्ष चुनाव कराये गये। वह चाहते हैं कि चुनाव जितने भी हों वे कम से कम प्रत्यक्ष हों और ज्यादा से ज्यादा अप्रत्यक्ष हों, क्योंकि उसमें ज्यादा नुक्सान नहीं होता है। मेरे ख्याल से पंचायतों के अन्दर जो सरकार का दृष्टिकोण है वह मुझे गलत मालूम पड़ता है। सारी दुनिया में प्रत्यक्ष चुनाव की मांग हो रही है और जिस समय हम अंग्रेजों से आजादी के लिये लड़ रहे थे तो उस समय भी हम बराबर इस बात की मांग करते थे कि प्रत्यक्ष चुनाव हमारे यहां होना चाहिये, लेकिन वही आज अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं। इससे अधिक और क्या बात हो सकती है। मैं चाहता हूं कि पंचायतों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिये। अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली से कुछ चन्द व्यक्तियों का फायदा हो सकता है। जनता का अधिकार उनके ऊपर नहीं रह जाता है। इन शब्दों के साथ मेरे कटौती के प्रस्ताव को सदन स्वीकार करे जिससे महात्मा गांधी का चौखम्बा राज्य स्थापित करने का स्वप्न ग्राम समाजों की स्थापना करके पूरा हो सके।

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—अध्यक्ष महोदय, आज बहुत से सम्मानित सदस्यों ने बहुत से किस्म के सुझाव और समालोचना पंचायत राज के सम्बन्ध में मेरे सामने रखे हैं। बहुत बार एक ही बात लोगों ने अलग-अलग तरीके से कहीं और उसके साथ ही बहुत से सुझाव आये हैं। उस में बहुत सी बातें सही हैं और बहुत सी बातें बढ़ा-चढ़ा कर कही गयी हैं। किसी साहब ने कहा कि इस से ज्यादा करप्ट विभाग उनको दूसरा नहीं दिखलाई पड़ता, किसी ने कहा कि पिछले १५ साल में उनको इसमें कोई तरक्की नहीं दिखायी दी। सब ज्यों का त्यों है और रिपोर्ट्स सारी बोगस हैं, कुछ काम नहीं होता। जोप की पुरानी शिकायत भी की गयी। ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, गृह लक्ष्मी, ग्राम लक्ष्मी की बातों को भी दोहराया गया जो कल कही जा चुकी थीं। पंचायत में कोई साहब चाहते हैं कि सारे नान-आफिशियल्स हो जायं और उनको तनख्वाह दी जाय। किसी ने कहा कि पंचायत सेक्रेटरी सुलजिम है वह गलत काम करता है और कोई कहता है कि प्रधान ही सारी गड़बड़ कर रहा है। किसी ने कहा कि प्रधान की ताकत और बढ़ा देनी चाहिये। इस तरह आप देखेंगे कि जिसकी जैसी मनोभावना है उसके अनुसार ही उसके विचार हैं और मैं सब में एक मेल नहीं बैठा सकती। मैं केवल दो, चार बातों का जवाब दूंगी, इसलिये कि सारी बातों का जवाब देना भी संभव नहीं है।

यह कहा गया कि नान-आफिशियल्स पदाधिकारी बनें और उनको तनख्वाह दी जाय। अव्वल तो यह प्रपोजल मुझे कतई पसन्द नहीं है। इतना पैसा सरकार और पंचायत कहां से लायेगी कि सब को तनख्वाह दी जा सके, लेकिन बात यह है कि हमारी परम्परा यह रही है कि नान-आफिशियल्स अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। यह एक अच्छी परम्परा है और इससे लोगों की इज्जत बढ़ती है। मैंने खुद गांव में जा कर, काम कर के देखा है और अगर नान-आफिशियल्स को तनख्वाह दी जाती है तो उससे उनकी इज्जत घट जाती है। इससे जनता पर कुछ ज्यादा अच्छा असर नहीं पड़ेगा। उनका प्रभाव सभा में घट जायगा तनख्वाह मिलने से।

इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि पंचायत के पंच और न्याय पंच एक ही क्यों न हों। यह सुझाव प्रगतिशील सदस्य की तरफ से आ रहा है और इसे सुन कर मुझे हैरानी होती है। प्रजातन्त्र में एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि जुडिशियरी और ऐडमिनिस्ट्रेशन को अलग-अलग होना चाहिये।

जो सजा दे वही सजा को इम्प्लीमेंट करावे इसमें बड़ी धांधली और जुल्म हो सकता है और इसमें तानाशाही का रास्ता खुल सकता है। इसलिये न्याय पंच और दूसरे पंचों का अलग-अलग रहना ही ठीक होगा और हम लोग जो डेमोक्रेटिक वातावरण में पले हैं उनको यह बात ठीक समझ में नहीं आती।

इसके बाद कहा गया कि आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है। मैं समझती हूं कि इसमें कुछ बात सही है और कुछ गलत। शायद पहले-पहल वाटर टाइट कंपार्टमेंट बने हुए थे, लेकिन कोशिश आज यह है कि ब्लाकों की मार्फत सारे काम किये जायं। पंचायत से क्षेत्र समिति और उससे जिला समिति तक लिंक बना हुआ है। पंचायत के नुमाइन्दे क्षेत्र समिति में आयेंगे और उस क्षेत्र समिति के नुमाइन्दे जिला परिषद् में, और यह विकास का सारा काम इन्हीं तीनों संस्थाओं के जरिये होना चाहिये, यह हमारा विचार है। इसलिये इन तीनों को अलग-अलग रख कर वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह से काम कराना भी गलत है। हमने कुछ अफसरों को घटाने के उद्देश्य से ए० डी० ओ० आदि के पद को कम भी किया है, उनको एक दूसरे में मर्ज किया है और उनकी देख-रेख के लिये ऊपर बी० डी० ओ० रहता है और उसके सुपरवीजन में हम सारा काम कोआर्डिनेशन के साथ कराने की कोशिश करते रहते हैं।

कई शिकायतें लेखपालों के सम्बन्ध में हैं। रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शिकायतें हैं। लेखपालों की शिकायत कुछ सही हैं जरूर, जो वह पट्टा वगैरह लिखने में देरी करते हैं उस तरफ रेवेन्यू विभाग को और हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों को तकलीफ न हो और यह सब दिक्कत दूर हो। इसके लिये हमने कानून में कुछ परिवर्तन भी किये हैं जिसका जिक्र मैंने सवेरे किया था।

माननीय राधेश्याम जी ने यह कहा कि कुछ काम नहीं हुआ है। सड़कों का उन्होंने जिक्र किया। मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में सड़कें नहीं हैं, मगर १०-१२ साल दिल्ली रहने के बाद जब मैं यहां आई और मैंने गांव-गांव में जाकर देखा, तो मैं इतना जरूर महसूस करती हूं कि काफी तरक्की हुई है और काफी सड़कें बनी हैं। अगर आप आंकड़े उसके चाहते हैं तो पिछली पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें बनाई गयी हैं उसके आंकड़े देखें। उस योजना में डेढ़ हजार मील से अधिक पक्की सड़कें बनी हैं। २० हजार मील के करीब कच्ची सड़कें बनी हैं और इसके अलावा और भी रिपेयर आदि का काम हुआ है। यह पंचायतों द्वारा किये गये कार्य के आंकड़े हैं, जिला परिषद् के आंकड़े में प्राप्त नहीं कर सकी।

एक जगह जो ४८ मन एक एकड़ में अनाज पैदा हुआ उस पर आश्चर्य प्रकट किया गया। उसको आप हमारी प्रगति का नमूना नहीं मानते। यह बात सही है कि प्रदेश में हर एक एकड़ में इतनी पैदावार नहीं हुई है, मगर यह बात सही है कि हमारा प्रोडक्शन एवरेज पहले से बढ़ा है। हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन १९५०-५१ में ११.५९ मिलियन टन हुआ जबकि १९६०-६१ में वह १४.९५ मिलियन टन हुआ। तो क्या कुछ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है?

श्री उग्रसेन—यह किस किताब से आंकड़े लिये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह पंचवर्षीय रिपोर्ट के अन्दर आपको मिल जायेंगे। दूर जाने की जरूरत नहीं है।

माननीय महावीर प्रसाद जी ने कुछ सुझाव दिये जो मुझे पसन्द आये। उन्होंने कहा कि जो प्रगति का प्रोग्राम बने उसका वहां के परिवार के साथ समन्वय हो और उसको परिवार के लोग समझें तभी फायदा होगा। तो यह आइडिया तो सही है, और ऐसा होना चाहिये हमें परिवार को भी उसका अनुयायी बनाने की चेष्टा करना है। जब गांव का प्रत्येक परिवार उसको समझेगा तभी सही मानो में तरक्की होगी। एक बात यह कही गयी कि जो भी काम हो उसका अच्छी तरह से इकोनामिक सर्वे होना चाहिये काम का और यह देखना चाहिये कि किस-किस मद में हमने कितनी प्रगति की है। हम लोग भी यह चाहते हैं कि हर गांव में डिटेल्ड सर्वे

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

करें, मगर यह एक बड़ा ट्रीमन्डस काम है। यह हर जगह करना सम्भव नहीं है। वैसे मैं बताऊं आपकी जानकारी के लिये कि हमने ५ पाइलेट प्रोजेक्ट में इस काम को करने के लिये फैसला किया है। हम वहां पर ऐसा ही तरीका अख्तियार कर रहे हैं। हम इस बात का पूरा सर्वे कर रहे हैं कि वहां पर कितने लैंडलेस लोग हैं, कितने क्राफ्ट्स मैन हैं, कितने बेकार लोग हैं, कितनों के पास जमीन है, कितनों की स्वायल कंजर्वेशन करना चाहिये आदि आदि सारी बातों को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं। हम यह भी कर रहे हैं कि किस तरह से एक क्राफ्टसमैन की मदद करके, उसको पैसा आदि देकर, उनको नये काम करने के रास्तों पर लगा सकते हैं। दूसरे कोआपरेटिव्स को संगठित करके जो लैंडलेस हैं उनको लेकर नयी योजना लागू करके संगठित किया जाय। तीसरी योजना है कि पंचायत में इतना इनिशिएटिव आ जाय कि वह उद्योग शुरू कर सके तो हम उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। दो एक जगह उद्योग शुरू हुआ है, काम ठीक चल रहा है और हम चाहते हैं कि चाहे पंचायत के जरिये से, चाहे कोआपरेटिव के जरिये से या व्यक्तिगत, ट्रेडीशनल जो वर्कर्स हैं उनको शक्ति देकर, उनको टेक्निकल एडवाइस और पैसा देकर और संगठित करके काम चलाया जाय। इस विषय में हम जब सारा ट्रांस्फरेंस आफ पावर कर देंगे और सब संस्थाएं अपना काम संभाल सकेंगी तो हमारी गांव सभा और क्षेत्र समिति सब काम ठीक तरह से चला सकती हैं।

एक कमेटी में मैं थी, जयप्रकाश जी भी थे, उसमें हम यह स्टडी कर रहे थे कि सबसे कमजोर जो तबका गांव का है उसको जो मदद मिलती है, उस गांव को जो लोन बांटा जाता है उसमें से उसको नहीं मिलता। एक कारण यह है कि एक पावरफुल आदमी किसी न किसी तरकीब से पैसा ले लेता है, प्रधान का गुट है वह ले लेता है और दूसरा कारण यह है कि गरीब सिक्योरिटी नहीं दे सकता इसलिये वह ले नहीं पाता। यह जो समस्या है, इसके बारे में हमने विचार किया है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने मेरे उत्तर प्रदेश में आने के दो साल पहले एक कमेटी आफ कम्युनिटी डेवलपमेंट बनायी थी कि वीकर सेक्शंस आफ कम्युनिटी के पास किस तरह से सहायता पहुंचे। जयप्रकाश नारायण जी उसके चेयरमैन थे। उसमें स्टडी करते समय बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने आयीं कि उनको कैसे हल किया जाय। उसकी रिपोर्ट अभी विचाराधीन है, उस पर जो फैसला होगा वह मैं समझती हूं भारतवर्ष के आल इंडिया लेविल में वह बन जायगा और उसके मुताबिक काम होगा। तो उसी सिलसिले में हमारे सामने यह चीज आयी कि जापान के अन्दर जो विलेज का आर्गेनाइजेशन है वह खुद सर्वे करता है अनएम्प्लायड का और सर्वे करके जो कि उनके यहां पंचायत का सब्सीटयूट है---वह लोग कोशिश करके उद्योग चलाते हैं और उनका फर्ज होता है कि वह उद्योग चलाकर सबको काम दें और अगर गांव में बेरोजगारी दूर न हो सके तो उस बाडी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, लेकिन हम इतना भार अपनी बाडीज पर नहीं लाद सकते। हमारी समस्या समुद्र जैसी है जिसको गवर्नमेंट आफ इंडिया भी नहीं हल कर पा रही है। नये-नये रोजगार के रास्ते निकालने के बाद भी चूंकि हमारी आबादी बढ़ती है, इसलिये बेरोजगारी की रफ्तार काफी बढ़ी रहती है, इसलिये इस काम का भार हम उनको नहीं दे सकते। बड़े लेविल में, अगर हम हाथ बटायें तो शायद इसको सुलझा सकें। अगर हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन्स इतने शक्तिशाली हो जायेंगे कि हम उनसे सक्रिय ढंग से काम ले सकेंगे तो लेंगे, लेकिन आज वह चीज मुश्किल है।

जैसा कि आपने जिक्र किया कि किसी की जमीन दूसरे ले लेते हैं, ऐसी चीजें क्यों होती हैं। उसका कारण, जैसा कि कल मैंने कहा था, यह है कि हमारे उस लेविल पर जो नागरिक हैं उनमें उतनी शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है कि वह अपने हक को सुरक्षित रख सकें।

आप जो डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं तो गांव सभा में तो लोग डायरेक्ट ही आते हैं। हाथ उठा कर इलेक्शन होता है, लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं वह भी एक्सप्लायट करने में पीछे नहीं रहते। वह समझते हैं कि जो पीछे बैठे हुए हैं वह नाकाबिल हैं, इसलिये वह एक्सप्लायट करते हैं। तो एक्सप्लायटेशन का कुछ न कुछ पैटर्न जरूर रहेगा जबतक

शक्तिशाली होकर लोग अपने को सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं हो जाते। हम साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो नीचे के लोग हैं उनको शक्ति दी जाय, पोलिटिकल, आर्थिक और नैतिक शक्ति दी जाय, उनको सिखाया जाय और काम करने का तरीका बतलाया जाय। जब वह उसमें माहिर हो जायेंगे तब एक्सप्लायटेशन और करप्शन रुक सकता है।

करप्शन लेक्चर देने से नहीं रुक सकता है। इसके लिये सरकार को कदम उठाना चाहिये, यह सही बात है। सरकार की तरफ से कदम उठाये भी जाते हैं। हां, जितना करप्शन रुकना चाहिये वह नहीं रुक पाता है सरकार की तरफ से, यह भी मैं मानता हूं। क्योंकि आज सारे समाज में करप्शन का वातावरण बना हुआ है। हर एक आदमी जो यहां बैठे हैं वह बिना एक सेकेन्ड सोचे हुए भी किसी को सिफारिश करने चले जाते हैं। जब हमारा यह स्टैंडर्ड हो जाय कि हम यह समझने लगें कि यह सिफारिश का काम करप्ट है तो सुधार हो सकता है यूरोप में यह काम नहीं होता। अलग-अलग मुल्क में अलग-अलग स्टैंडर्ड हैं। इस मुल्क में हम इस चीज को खराब नहीं समझते हैं। करप्शन को हटाने के लिये एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिये और वह तभी होगा जब हमारा एकोनामिक स्टैंडर्ड अच्छा हो जायगा। अमेरिका में सड़क पर अखबार पड़े रहते हैं, कोई भी आदमी आता है, दाम रख कर अखबार उठाकर चला जाता है। लेकिन इस देश में यह नामुमकिन है। वहां लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि उनको छोटी-छोटी चोरियां करने की जरूरत नहीं है, बड़ी-बड़ी चोरियां वहां होती हैं। तो जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तब एक्सप्लायटेशन भी दूर होगा। हम यह नहीं कहते कि इसके लिये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वह उसको दूर करे। साथ ही हर व्यक्ति को जो जहां है, उसकी भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कह सके कि हमने कभी गलत काम के लिये हाथ नहीं उठाया, हिन्दुस्तान में बहुत कम लोगों को यह कहने का हक होगा।

अपने मुल्क में हमको यह स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। जबतक हम अपना स्टैंडर्ड ऐसा नहीं बनाते हैं तबतक बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० और पंचायत सेक्रेटरी का ऐसा स्टैंडर्ड बनाना मुश्किल होगा। हम इन संस्थाओं को पावर्स ट्रान्सफर कर रहे हैं जो कि एलेक्टेड बाडीज हैं, आप एम० एल० ए० और एम०पी० जिला परिषद् में बैठे हुए हैं जो कि डायरेक्टली एलेक्टेड हैं, आपको अधिकार है वोट देने का, वहां के कामों को नया मोड़ देने का, आप लोग वहां वह स्टैंडर्ड लाइये। अगर आप लोग अपने ऊपर अंकुश रखें, उस स्टैंडर्ड को लायें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले साल जब जब डिबेट का मौका यहां आयेगा तो आप लोग ही कहेंगे कि करप्शन खत्म हुआ। जादू की लकड़ी से यह करप्शन हट नहीं सकता। गवर्नमेंट को भी चाहिये कि वह एक-एक केस में सख्त कदम उठाये जहां गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेती है वहां गवर्नमेंट को ब्लेम करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। महात्मा जी ने सोशल और पोलिटिकल लाइफ में एक स्टैंडर्ड बनाया, पहले अपने जीवन में वह स्टैंडर्ड लाये। उनके सामने जाने में हमारा सर झुक जाता था क्योंकि उनका जीवन साफ था और आइने में अपनी शक्ल देखकर हमें शर्म आती थी। उन्होंने जो स्टैंडर्ड रखा उससे हम लोगों का भी स्टैंडर्ड अच्छा हुआ। लेकिन जब हम और आप सभी एक्सप्लायट करेंगे, अपने ऊपर अंकुश नहीं रखेंगे तो शिकायतें दूर नहीं हो सकतीं। मैं यह नहीं कहती कि यह हो नहीं सकता, जरूर हो सकता है क्योंकि हमारा पुराना इतिहास ऐसा रहा है, हम में आदर्श हैं, हम काम कर सकते हैं, हमने काम करके भी दिखाया है, हमने अंग्रेजों की शक्ति को यहां से हटाया। यदि हम फ्रस्ट्रेशन भूल जायं, मायूसी को भूल जायं, लालच की बातों को भूल जायं, कूप-मंडूक न बने रहें तो हम इस काम को कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीजों को देखने से कोई फायदा नहीं है। मैंने माननीय नवरंगसिंह को एन्टरप्ट किया था, वह पुराने आदमी हैं, मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जहां वर्कर्स, स्त्री और पुरुष काम करते हैं, समाज में ऐसे अन्याय होते हैं और मुझ से ज्यादा ऐसे अन्यायों से नफरत करने वाले कम हैं। हम उनको रोकना चाहते हैं, उनको रोकना हमारा धर्म है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में स्त्रियों का स्थान कुछ अच्छा नहीं है । स्त्रियों की आप लोग इज्जत नहीं करते हैं और स्त्रियों से काम भी आप लोग लेना नहीं जानते हैं । इसलिये बहुत कम औरतें बाहर काम करने को आ पाती हैं । जो थोड़ी औरतें बाहर काम करने को आती हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगी । १९३७ में सबसे पहले मैंने फैजाबाद में ग्रामीण स्त्रियों से काम शुरू करवाया था । मुझे मालूम है कि उस समय उनकी क्या दशा थी, कितनी पिछड़ी हुई और डरी हुई वे थीं लेकिन आज जब इतने वर्षों बाद उन्हीं गांवों में जाकर उनको देखती हूं--ग्राम सेविका और ग्राम लक्ष्मी के रूप में तो मुझे खुशी होती है । लेकिन मेम्बर साहबान उनका मजाक उड़ाते हैं, वे १५-१५ मील पैदल चलती हैं । मैंने उनको स्वयं अपनी आंखों से देखा है । मैं केवल हवाई जहाज पर दौरा नहीं करती मैंने स्वयं उन बहनों के साथ घर-घर जाकर देखा है, काम किया है । जब कि पुरुष वर्कर्स मोटरों पर चलते हैं वे पैदल जाती हैं, दस-दस मील पैदल चलती हैं । वे बड़ी हिम्मत से काम करती हैं । लेकिन आपने कभी उनकी तारीफ नहीं की । पढ़ी-लिखी शहरों की लड़कियां जो गांवों में जाकर धूल छानती हैं, उनका जीवन कैसा निरानंद होता है, क्या कभी आपने इसको सोचा है ? उनको आपके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, समाज के प्रोटेक्शन की आवश्यकता है । आज स्त्रियां आगे आ रही हैं, और एक बदलाव समाज में स्पष्ट रूप से आ रहा है। स्त्रियां बाहर काम करने आ रही हैं और जब इस प्रकार से वे बाहर काम करने आयेंगी तो उनको आपके प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी । नवरंगलाल जी इतने बड़े आदमी हैं, उनकी उम्र काफी बड़ी है । उनके बड़े-बड़े बाल-बच्चे होंगे । उन्होंने उनको गोपियों की मिसाल दी, उससे मुझे अफसोस हुआ । हो सकता है कुछ गलती हो लेकिन उसके लिये उनको इस प्रकार से नहीं कहना चाहिये था । वह कह सकते थे कि खेद की बात है कि हमारे जिले में ऐसी बात है, उसमें सुधार होना चाहिये । लेकिन मुझे खेद है कि कभी भूल कर भी, गलती से भी, आपने उन लोगों की तारीफ नहीं की । मैं जानती हूं कि उनको रहने की तकलीफ है, लेकिन वे साहसी हैं, दूर दूर जाकर काम करती हैं नये किस्म का काम करती हैं । इससे आज देश में एक नया वातावरण पैदा हो रहा है और नये नये सोशलिस्टिक स्टेट के चरणों का एवोल्यूशन हो रहा है । मैं आशा करती हूं कि आप सब इसमें हमारी मदद करेंगे और अगर सब की सहानुभूति रहेगी तो इस देश का भविष्य बन जायगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष के सामने ग्रांट नंबर १२ को स्वीकृति के लिये पेश करती हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२--गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ९७,४४,५०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊः
२९ मई, १९६२ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थियां

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पृष्ठ ४१३ पर]

राज्य संपत्ति विभाग द्वारा दिनांक १० जून, १९६१ से २० अप्रैल, १९६२ तक की अवधि में खरीदी गई गाड़ियों का विवरण

			रु० न० प०	
१—यू० एस० क्यू०	.. ९६६३ अम्बेसडर	..	१२४५९.८०	सितम्बर, १९६१ में खरीदी गईं ।
२—यू० एस० क्यू०	.. ९६७० अम्बेसडर	..	१२४५९.८०	
३—यू० एस० क्यू०	.. ९६६९ अम्बेसडर	..	१२४५९.८०	
४—यू० एस० क्यू०	.. ९६६८ अम्बेसडर	..	१२४५९.८०	
५—यू० एस० क्यू०	.. ९६८० अम्बेसडर	..	१२४५९.८०	
६—यू० एस० क्यू०	.. ९७१३ अम्बेसडर	..	१२४५९.८०	
७—यू० एस० क्यू०	.. ९७६४ फिएट	..	१०६०८.६६	
८—यू० पी० डी०	.. १७०१ अम्बेसडर	..	१२४८३.१८	अप्रैल, १९६२ में खरीदी गई।
९—यू० पी० डी०	.. १७२४ अम्बेसडर	..	१२४८३.१८	
		कुल रु०	११०३३३.८२	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१५ पर]

गाजीपुर जिले में बाढ़ विभाग द्वारा बनाये गये बांध, नहर, तथा रेगुलेटर की सूची

तहसील	बांध	नहर	रेगुलेटर
मोहम्मदाबाद	१—गोशालपुर २—गोविन्दपुर ३—आसाबार	रामगढ़ पम्प नहर	१—गोधनी नाले पर ५ २—गरार नाले पर ३ ३—खारा नाले पर १ ४—धौवाडीह नाले पर १ ५—गोशालपुर बंद पर ४ ६—गोविन्दपुर बंद पर २ ७—आसवार बंद पर २
गाजीपुर	गोशन्डेपुर	..	१—गोधनी नाले पर ५ २—हरसारपुर नाले पर १ ३—धामपुर बांध पर १ ४—गाजीपुर शहर में ५
सैदपुर		१—लालगंज रजबहा २—ऐकमा रजबहा	१—चकिया नाले पर १ २—खरारी नाले पर २
जमनियां		१—बंदौली नहर २—देवैथा रजबहा ३—दिलदारनगर रजबहा ४—तियारी माइनर ५—कुसी ,, ६—उसिया ,, ७—हामिदपुर ,, ८—दरौली ,, ९—नौली रजबहा १०—नागसार माइनर ११—त्रिलोकपुर माइनर १२—रक्षाहा ,, १३—महना ,, १४—डेवल ,,	

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१९ पर]

	सिविल	मेकेनिकल	योग
१--सन् १९५२ से अब तक नियुक्त किये गये अस्थायी सहायक अभियन्ताओं की संख्या	४७९	५३	५३२
BREAK—UP			
२--ऐसे अस्थायी सहायक अभियन्ताओं की संख्या जो विभाग छोड़कर चले गये हैं ।	६०	५	६५
३--ऐसे मौजूदा अस्थायी सहायक अभियन्ताओं की संख्या, जो सन् १९५७ तक नियुक्त किये गये थे और आयोग द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं ।	१४६	२८	१७४
४--ऐसे मौजूदा सहायक अभियन्ताओं की संख्या जो सन् १९५७ तक नियुक्त किये गये थे और आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये ।	३	..	३
५--ऐसे मौजूदा सहायक अभियन्ताओं की संख्या, जो सन् १९५८ अथवा उसके पश्चात् नियुक्त किये गये और आयोग के समक्ष अभी तक नहीं भेजे गये हैं ।	२७०	२०	२९०
योग ..	४७९	५३	५३२

टिप्पणी --क्रम-संख्या ५ में वर्णित सहायक अभियन्ताओं के आयोग के समक्ष न भेजे जाने के कारण यह हैं कि सरकार इन पदों को एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर भरने के प्रश्न पर विचार कर रही थी ।

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३६–३८ का उत्तर
पीछे पृष्ठ ४२६ पर]

क्रम-सं०	पदों के नाम	प्रश्न सं० ३६ के संबंध में सूचना	प्रश्न सं० ३७ के संबंध में सूचना	प्रश्न सं० ३८ के संबंध में सूचना
१	२	३	४	५
१	कृषि इंजीनियर।	कृषि इंजीनियर के कुल पद ८ थे। इनमें से ३ पद (जिनमें एक पद सरप्लस स्टोर्स के डिस्पोजल का भी शामिल है) कृषि विभाग को स्थानान्तरित हुए। शेष ५ पद सिंचाई विभाग में ही रहे। जो इन पदों के ३ पदाधिकारी कृषि विभाग को स्थानान्तरित हुए उनमें से दो ऐसे थे जिनकी सेवायें १ सितम्बर, १९५५ को १० वर्ष से अधिक की थीं। और जो ५ अधिकारी सिंचाई विभाग में रहे उनमें से केवल एक की सेवायें १० वर्ष से अधिक की थीं। ये पदाधिकारी अब भी विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं।	इनकी ज्येष्ठता सूची बन गई है और लोक सेवा आयोग को इनके स्थायी करने के संबंध में पत्र लिखा जा चुका है। लोक सेवा आयोग ने कुछ आपत्तियां की हैं जिन पर सिंचाई विभाग से परामर्श किया जा रहा है, क्योंकि जितने अधिकारी सिंचाई, नियोजन और कृषि विभाग में हैं उन सब के स्थायीकरण का एक साथ विचार किया जा रहा है।	इनको शीघ्रातिशीघ्र स्थायी कर देने का प्रयास किया जा रहा है।
२	सहायक कृषि इंजीनियर।	कुल २३ पोस्टें थीं, जिनमें से ७ पोस्टें कृषि विभाग को, और २ नियोजन विभाग को स्थानान्तरित हुईं और शेष १४ पोस्टें सिंचाई विभाग में रहीं। इनमें से जो अधिकारी सिंचाई और नियोजन विभाग में गये उनके संबंध में यह सूचना नहीं प्राप्त हो		

क्रम-सं०	पदों के नाम	प्रश्न सं० ३६ के संबंध में सूचना	प्रश्न सं० ३७ के संबंध में सूचना	प्रश्न सं० ३८ के संबंध में सूचना
१	२	३	४	५
		सकी है कि किसी की सेवा १ सितम्बर, १९५५ को १० वर्ष या उससे अधिक की थी या नहीं। जहां तक सूचना उपलब्ध हुई है उसके अनुसार अधिकांश की सेवा १० वर्ष से कम की थी। जहां तक कृषि विभाग में स्थानान्तरित ७ अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनमें से केवल एक की सेवा १० वर्ष से अधिक की थी। ये सभी अधिकारी अब भी कार्य कर रहे हैं।		
३--सीनियर मेकैनिकल इंस्पेक्टर।		सिंचाई विभाग से अभी सूचना प्राप्त न हो सकी है। नियोजन विभाग में ५ पोस्टें स्थानान्तरित की गई थीं और जो लोग उन पर कार्य कर रहे थे उन सबों की सेवा १० वर्ष से अधिक की थी। इनमें से दो रिटायर हो गये हैं और शेष अभी कार्य कर रहे हैं। कृषिविभाग को कोई सीनियर मैकेनिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट स्थानान्तरित नहीं हुई थी।	जो पांच सीनियर मेकैनिकल इंस्पेक्टर और २० मैकेनिकल इंस्पेक्टर नियोजन विभाग को स्थानान्तरित हुये थे वे स्थायी कर दिये गये हैं। कृषि विभाग में ऐसा पदाधिकारी आया ही न था और सिंचाई विभाग से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	प्रश्न नहीं उठता है।
४--मेकैनिकल इंस्पेक्टर		सिंचाई विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। नियोजन विभाग को २० पोस्टें स्थानान्तरित हुई थीं। उन पर कार्य करने वालों में कितनों की सेवा १० वर्ष या उससे अधिक की थी उसकी सूचना अभी मिल नहीं पाई है। और यह भी ठीक-ठीक पता नहीं चला है कि वही व्यक्ति जो स्थानान्तरित हुये थे अभी कार्य कर रहे हैं। कृषि विभाग को कोई मेकैनिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट स्थानान्तरित नहीं हुई थी।		

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९(२)के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर]

मंत्रियों के द्वारा १-१०-६१ से १५-२-६२ तक सरकारी हवाई जहाज से की गई यात्राओं का व्योरा

तारीख	पद	से	स्थान तक	हवाई यात्रा का समय	
१	२	३		४	
२-१०-६१	मुख्य मंत्री, यू० पी०, लखनऊ	लखनऊ	कानपुर	०२.१०	घंटा
,,	,,	नागपुर	हैदराबाद	०२.३५	,,
३-१०-६१	,,	हैदराबाद	मद्रास	०१.५५	,,
,,	,,	मद्रास	मदुराय	०१.४०	,,
५-१०-६१	,,	मदुराय	मद्रास	०१.४०	,,
,,	,,	मद्रास	हैदराबाद	०२.१०	,,
,,	,,	हैदराबाद	भोपाल	०२.४५	,,
,,	,,	भोपाल	आगरा	०१.५५	,,
७-१०-६१	,,	आगरा	दिल्ली	००.५५	,,
८-१०-६१	,,	दिल्ली	लखनऊ	०१.५५	,,
१५-१०-६१	,,	लखनऊ	कानपुर	००.२०	,,
१५-१०-६१	,,	कानपुर	लखनऊ	०१.००	,,
१७-१०-६१	गृह मंत्री	लखनऊ	वाराणसी	०१.००	,,
१८-१०-६१	,,	वाराणसी	इलाहाबाद	००.३०	,,
,,	,,	इलाहाबाद	लखनऊ	००.४५	,,
,,	,,	लखनऊ	दिल्ली	०१.३५	,,
,,	,,	दिल्ली	लखनऊ	०१.४०	,,
२०-१०-६१	मुख्य मंत्री, यू०पी०	लखनऊ	दिल्ली	०१.३५	,,
,,	,,	दिल्ली	फूलबाग	००.५५	,,
२३-१०-६१	,,	फूलबाग	लखनऊ	०१.०५	,,
२७-१०-६१	,,	लखनऊ	दिल्ली	०१.३०	,,
२८-१०-६१	,,	दिल्ली	लखनऊ	०१.३०	,,
३०-१०-६१	,,	लखनऊ.वाराणसी और वापिस		०२.१०	,,
१५-११-६१	श्री मुरार जी देसाई वित्त मंत्री, केन्द्रीय सरकार	जैयपुर	लखनऊ	०२.००	,,
१६-११-६१	मुख्य मंत्री, यू०पी०	लखनऊ	दिल्ली	०१.४०	,,
१७-११-६१	,,	दिल्ली	लखनऊ	०१.२५	,,
२०-११-६१	,,	लखनऊ	दिल्ली	०१.३५	,,
,,	,,	दिल्ली	लखनऊ	०१.३०	,,
२१-११-६१	सिंचाई मंत्री, यू० पी०	लखनऊ	पटना	०१.३५	,,

तारीख	पद	से स्थान	तक	हवाई यात्रा का समय	
१	२	३		४	
२२–११–६१	सिंचाई मंत्री, यू० पी०	पटना	लखनऊ	०१.४०	,,
२४–११–६१	मुख्य मंत्री, यू०पी०	लखनऊ	दिल्ली	०१.३५	,,
२५–११–६१	,,	दिल्ली	सारसवा	००.४५	,,
२६–११–६१	,,	सारसवा	आगरा	०१.१५	,,
२७–११–६१	,,	आगरा	सारसवा	०१.१५	,,
२८–११–६१	,,	सारसवा	दिल्ली	००.४५	,,
२९–११–६१	,,	दिल्ली	लखनऊ	०१.३०	,,
२९–११–६१	गृह मंत्री, यू० पी०	लखनऊ	दिल्ली	०२.००	,,
,,		दिल्ली	लखनऊ	०१.३५	,,
३०–११–६१	मुख्य मंत्री , यू० पी०	लखनऊ	दिल्ली	०१.४५	,,
१–१२–६१	,,	दिल्ली	लखनऊ	०१.२०	,,
३–१२–६१	,,	लखनऊ	धाना	०१.३०	,,
,,	,,	धाना	सफदरगंज	०२.१५	,,
५–१२–६१	,,	सफदरगंज	आगरा	००.४५	,,
६–१२–६१	,,	आगरा	सफदरगंज	००.४५	,,
,,	,,	सफदरगंज	लखनऊ	०१.३०	,,
७–१२–६१	,,	लखनऊ	सफदरगंज	०१.४५	,,
८–१२–६१	,,	सफदरगंज	लखनऊ	०१.३५	,,
९–१२–६१	श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, मंत्री, केन्द्रीय सरकार	लखनऊ	दिल्ली	०१.५५	,,
११–१२–६१	मुख्य मंत्री, यू० पी०	लखनऊ	दिल्ली	०१.४०	,,
१२–१२–६१	राजस्व मंत्री, यू० पी०	लखनऊ	वाराणसी	०१.४०	,,
१३–१२–६१	,,	वाराणसी	लखनऊ	०१.०५	,,
२०–१२–६१	मुख्य मंत्री, यू० पी०	लखनऊ	दिल्ली	०१.३०	,,
,,	,,	दिल्ली	लखनऊ	०१३५	,,
२६–१२–६१	सिंचाई मंत्री, यू० पी०	लखनऊ	गोरखपुर	०·१००	,,
२७–१२–६१	मुख्य मंत्री, यू० पी०	लखनऊ	सफदरगंज	०१.३०	,,
२९–१२–६१	,,	सफदरगंज	इलाहाबाद	०२.००	,,
३०–१२–६१	,,	इलाहाबाद	लखनऊ	००.४५	,,
३–१–६२	,,	लखनऊ	पटना	०१.३५	,,
६–१–६२	,,	पटना	लखनऊ	०१.५५	,,
७–१–६२	,,	लखनऊ	बरेली	०१.००	,,
१२–१–६२	,,	लखनऊ	इलाहाबाद	००.३५	,,
,,	,,	इलाहाबाद	लखनऊ	००.४०	,,

नत्थी 'च'

[देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२८ पर]

तालिका

१—श्री गनेश मल, ग्राम बहरामपुर, पोस्ट आफिस मधुबन, जिला आजमगढ़ को उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक १६-४-६१ के उत्तर में १०-३-६२ को सूचित किया गया कि इंटौरा माइनर के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वह ठीक की जा रही है ।

२—श्री गोरखराय, ग्राम भूंग मास, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ को उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक २४-४-६१ के उत्तर में २५-८-६१ को यह सूचित किया गया कि रईसा माइनर की लाइन को हटाना सम्भव नहीं है ।

३—श्री अमीरुद्दीन, ग्राम व पोस्ट फतेहपुर तालरतोय, जिला आजमगढ़ को उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक ४-३-६१ के उत्तर में १०-३-६२ को सूचित किया गया कि फतेहपुर माइनर पर सर्विस रोड बनाना जरूरी है ।

४—श्री रामशब्द, प्रधान ग्राम सभा फतेहपुर गोडहरा, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ को उनके प्रार्थना-पत्र १६-३-६१ के उत्तर में बताया गया कि उनके ग्राम की सिंचाई के लिये जो कुलाबा लगा है वह सही है और दूसरे कुलाबे की आवश्यकता नहीं है ।

५—श्री श्यामलाल चौहान, ग्राम सिंहासी, को उनके काम का पूरा भुगतान कर दिया गया था इसलिये उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक ४-३-६१ के उत्तर में जो भुगतान न करने के शिकायत के सम्बन्ध में था, कोई सचना नहीं दी गई ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३२ पर)

सन १९४८ के अन्त तक ३९,८१७ गाड़ियां और ८,२९६ परमिट थे। अब प्रदेश में १,०३,३६५ गाड़ियां और १८,८८१ परमिट हैं। विभिन्न आर० टी० ओ० के दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या १९४८ में तथा अब इस प्रकार है:

कार्यालय	कर्मचारियों की संख्या	
	१९४८ में	अब
आगरा	१८	३१
इलाहाबाद	१८	२५
बरेली	१८	२८
गोरखपुर	१८	२५
कानपुर	१८	३२
लखनऊ	१८	२९
मेरठ	१८	३०
नैनीताल	११	१९
देहरादून	..	२१
वाराणसी	..	११
झांसी	..	६

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३५ पर)

मद	कुल संख्या	हरिजन
ए० टी० आई०	३४५	९
क्लर्क	४११०	१६४
कन्डक्टर	३४३१	४०९

विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

क्रम-सं०	नाम गांव	जनसंख्या	दी गई सहायता का वर्ग।
१	बगहा	१४७२	७,०१० रु० हाउस सबसिडी तथा १७,४७५ ० तकावी दी गई तथा बडहलगंज–डेरवा रोड पर टेस्ट वर्क खोला गया। इसके अतिरिक्त गांव बजहा और कोलखास के अधिकतर निवासियों को ग्राम नेल बार पट्टी में जमीन ऊंची करके तथा ग्राम नवलपुर के निवासियों को उसी ग्राम में एक दूसरे स्थान पर टेस्ट वर्क द्वारा जमीन ऊंची करके बसाने का प्रस्ताव है। अन्य ग्राम के लोग स्वयं उसी क्षेत्र में इधर-उधर बस गये हैं।
२	कोलखास	४७२	
३	नवलपुर	१८०	
४	गरमाकोल	९०९	
५	बरडीहा	५९९	
६	बेलथर	१९०	
७	जतपुर	१३०	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

क्र०सं०	नाम ग्राम	कृषि योग्य भूमि	अकृषि योग्य भूमि	योग	क्षेत्रफल जो १३२३ फ० के बाद कटान न रुकने के कारण नदी के पेटे में चला गया	अनुमानित राजस्व जो कम हो गया
१	२	३	४	५		६
१	नरहरपुर ..	५०—०	१५०—०	२००—०		२५४—०
२	खडेसरी ..	२४३—०	१५०—०	३९३—०		९४१—०
३	मुहाल जतकर ..	५—०	१०—०	१५—०		२९—०
४	रुदौली ..	२—०	५—०	७—०		४—०
५	छपरा ..	७—०	१५—०	२२—०		३७—०
६	उसका ..	..	१५—०	१५—०		..
७	खुटमार ..	१३—०	७५—०	८८—०		४८—०
८	नक्लपुर ..	६—०	८—०	१४—०		१३—०
९	सेमरा खुर्द ..	..	४५—०	४५—०		१—०
१०	सेमरा ..	..	३५—०	३५—०		१—०
११	बेरिया खास मु० ..	२३—०	१०—०	३३—०		११९—०
१२	बेरिया खास ए० ..	११३—०	१२६—०	२३९—०		५४६—०
१३	जैतपुर ..	३३९—०	६८७—०	१०२६—०		१२३०—०
१४	मुग्रोना ..	५४—०	७८—०	१३२—०		२१६—०
१५	नरही ..	३६—०	५५—०	९१—०		१४७—०
१६	डेरवा ..	४८७—०	१३३३—०	१८२०—०		६८३—०
१७	कृपालपुर ..	१८—०	१२५—०	१४३—०		६२—०
१८	बेलथर ..	२९७—०	८२५—०	११२२—०		९२४—०
१९	बेलवा तुरन्तसिंह ..	७९—०	२५—०	१०४—०		१७३—०
२०	नेतवार पट्टी मु० ..	३८—०	५०—०	८८—०		१४१—०
२१	(?) ए० ..	१—०	१८—०	१९—०		४—०
२२	बरडीह ..	३५—०	२३०—०	२६५—०		६९—०
२३	बगहा ..	५१०—०	६९६—०	१२०६—०		२१८२—०
२४	परसिया भदवार ..	५१—०	६१—०	११२—०		१८०—०
२५	परसिया जदीद ..	६५—०	९७—०	१६२—०		..
२६	गोनहा ..	१८४—०	५१८—०	७०२—०		४३०—०

क्रम-सं०	नाम ग्राम	क्षेत्रफल जो १३२३ फ० के बाद कटान न रुकने के कारण नदी के पेटे में चला गया			अनुमानित राजस्व जो कम हो गया
		कृषि योग्य भूमि	अकृषि योग्य भूमि	योग	
१	२	३	४	५	६
२७	अबंदपार ..	७—०	१७—०	२४—०	६—०
२८	गरयाकोल ..	२३—०	३९—०	६२—०	१०२—०
२९	जराम कोल ..	४३—०	९२—०	१३५—०	१६८—०
३०	कोलखास ..	२३९—०	२५५—०	४९४—०	९३०—०
३१	कोलखास ..	२१८—०	२९९—०	५१७—०	७७१—०
३२	बेतवा गुलाबसिंह ..	२०—०	१३६—०	१५६—०	२४—०
३३	अजेयपुरा ..	१३२—०	२०३—०	३३५—०	४९३—०
३४	गारखपुरा ..	१०—०	७४—०	८४—०	३७—०
३५	खेराटी ..	१७—०	१३३—०	१५०—०	३१—०
३६	मुन्डाडोह	१६—०	५१—०	६७—०	७८—०
३७	परसिया मधभरवा ..	२९—०	११८—०	१४७—०	१११—०
३८	शेरपुर ..	४१—०	१६१—०	२०२—०	१५८—०
३९	रामगढ़ ..	९—०	१८—०	२७—०	९७—०
४०	नागपुर ..	१—०	२७—०	२८—०	५९—०
४१	जाईपार ..	८८—०	३२५—०	४१३—००	४४९—०
४२	कोडरी ..	३१—०	२५४—०	२८५—०	५१—०
४३	सोहराभार ..	२३—०	६९—०	९२—०	९०—०
४४	झाझापरसना ..	१३—०	२०—०	३३—०	४७—०
४५	खजुरी गोसाई ..	१३—०	३—०	१६—०	५२—०
४६	छपिया उभराव ..	१०—०	२०—०	३०—०	४७—०
४७	तिवारीपुर ..	३—०	५०८—०	५११—०	१८५—०
४८	सहुआकोल ..	३—०	१७—०	२०—०	५—०
४९	सुर एहमतमाली ..	३८—०	३४—०	७२—०	१३६—०
५०	ताल भगना ..	४—०	६—०	१०—०	४८—०
५१	डोमरी ..	१६०—०	१२—०	१७२—०	६९९—०
५२	कोटिया निरंजन ..	१७५—०	३५—०	२१०—०	२७०—०
५३	गोनघट ..	२—०	१०५—०	१०७—०	१०९—०
५४	ज्ञान कोल ..	३६—०	८—०	४४—०	१४२—०

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर)

राजकीय नलकूप उत्तरसियां से विगत पांच वर्षों से सिंचाई द्वारा हुई आय का विवरण निम्नलिखित है ।

कूप का नाम	वर्ष	आय
उत्तरसिया	१९५७-५८	३५.००
	१९५८-५९	११५.००
	१९५९-६०	५३.००
	१९६०-६१	२२३.००
	१९६१-६२	..
योग ..		४२६.००

त्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर)

सिंचाई प्रखंडक, गाजीपुर

गाजीपुर जिले के नलकूपों की ग्रुप वाइज सूची

क्रम-संख्या	कूप संख्या	गांव
		गाजीपुर ग्रुप
१	१	नूरूल्लाहपुर
२	२	नसीरपुर
३	३	माधौपुर मिश्रोली
४	४	चक हसनउद्दीन
५	५	बबुराइपुर
६	६	अरीपुर
७	७	जिरगों
८	८	कहुतरी
९	९	रानीपुर
१०	१०	परमानन्दपुर
११	११	महुआरी
१२	१२	अमनजलपुर
१३	१३	ससुन्दी
१४	१४	चक दाउद
१५	१५	तिलारी
१६	१६	नूरपुर
१७	१७	सादातपुर
१८	१८	बिरनों
१९	१९	पीरनगर
२०	२०	वस्तुआ
२१	२१	गाई
२२	२२	बीकापुर
२३	२३	गाजीपुर केन्ट नं० १
२४	२४	गाजीपुर केन्ट नं० २
२५	२५	बैंपुर
२६	२६	सिगेंरा
२७	२७	मरदह
२८	२८	बउरी
२९	२९	शँखपुर
३०	३०	तलवँड
३१	३१	आराजी रजवेपुर
३२	३२	सराय खान
३३	३३	मेहर अलीपुर
३४	३४	चक सदन
३५	३५	सराय शरीफ
३६	३६	सहँरी
३७	३७	सउरम
३८	३८	हुलासपुर
३९	३९	मेहरौली
४०	४०	सबुआ
४१	४१	मनपुर
४२	४२	बरहपुर
४३	४३	कुसमी कलां
४४	४४	सिकन्दरपुर बुजुर्ग
४५	४५	गाजीपुर कैन्ट नं० ३
४६	४६	बधूपुर
४७	४७	महमूदपुर
४८	४८	पडुंची
४९	४९	मदसर
५०	५०	कहूतरी नं० २
५१	५१	जमलापुर
५२	५२	मनकापुर
५३	५३	बेदौली
५४	५४	सुमाखरपुर
५५	५५	कनसहरी
		सैदपुर ग्रुप
१	१	शंकरपुर
२	२	मुडियर
३	३	अन्शीपुर
४	४	सिकन्दर चक
५	५	सैदपुर
६	६	तिरछी

क्रम-संख्या	कूप संख्या	गांव
७	७	मलिक शाहपुर
८	८	खानपुर
९	९	नेसरा
१०	१०	देवकली
११	११	इलयूर
१२	१२	रास्तीपुर
१३	१३	बाकर चक
१४	१४	नसीरपुर केदार नं० १
१५	१५	करकापुर १
१६	१६	करकापुर २
१७	१७	मुदसाई
१८	१८	माहपर
१९	१९	बिरसिंहपुर
२०	२०	बसैला
२१	२१	चक भहताब
२२	२२	खिताबपुर
२३	२३	रानीपुर बलभद्र
२४	२४	मोहर बुजुर्ग
२५	२५	मदनपुर
२६	२६	सैमपुर
२७	२७	नउरा खास
२८	२८	नसीरपुर देननर २
२९	२९	सरौली
३०	३०	महमूदपुर
३१	३१	खानपुर
३२	३२	विश्नबल
३३	३३	तिलखरा खुर्द
३४	३४	बहेदिया
३५	३५	इन्बल
३६	३६	मढ़िया
३७	३७	भुजौवां
३८	३८	रकबपुर मांझा
३९	३९	नारी धन्य देवरा
४०	४०	चन्दीपुर
४१	४१	पुरा अहिरान
४२	४२	तरांव
४३	४३	देवचन्दपुर
४४	४४	कोइलवार
४५	४५	बउरवा
४६	४६	मुस्तफनबाद
४७	४७	विशनपुर कलां
४८	४८	परसेनी
४९	४९	बरहपुर
५०	५०	सोना
५१	५१	अनवारा
५२	५२	उंवौरी
५३	५३	हाजियाबाद
५४	५४	रावल
५५	५५	चुरका बुजुर्ग
५६	५६	मझैला
५७	५७	चकेरी
५८	५८	नायक डीह
५९	५९	मौवा
६०	६०	लिधिया
६१	६१	अमारी
६२	६२	अमैठा
६३	६३	शंकरपुर
६४	६४	शेखपुर
६५	६५	नेमाना सानो
६६	६६	औरताह
६७	६७	सराय गोकुल
६८	६८	खानक हकनां

मुहम्मदाबाद ग्रुप

१	१	बनका
२	२	लखमीपुर
३	३	चक अबदुल्लाह
४	४	बरतर
५	५	उनरपुर
६	६	कमालपुर
७	७	सराय बहादुर
८	८	बुखारीपुर
९	९	बैरन चक
१०	१०	कुंडेसर १
११	११	खैरुल्लाह चक
१२	१२	डिहवा १
१३	१३	डिहवा २
१४	१४	अलावलपुर
१५	१५	रसूलपुर
१६	१६	मुग्गारकपुर
१७	१७	लोकनाथ पाह

क्रम-संख्या	कूप संख्या	गांव
१८	१८	टन्डवा
१९	१९	मेख
२०	२०	दिलावरपुर
२१	२१	बहोरन पाह
२२	२२	हुसैन बक्स
२३	२३	शेरपुर
२४	२४	रानीपुर
२५	२५	आमघाट
२६	२६	बेदौली माझी
२७	२७	केवड़ा
२८	२८	फौरोजपुर
२९	२९	हातिमपुर
३०	३०	सुल्तानपुर
३१	३१	बधूपुर
३२	३२	अब्बासपुर
३३	३३	मोहना
३४	३४	करजूरी
३५	३५	कुन्डेसर २
३६	३६	युसुपन चक
३७	३७	मिजांबाद
३८	३८	गन्धपा
३९	३९	सुल्तानपुर
४०	४०	पतार
४१	४१	बेनीपुर
४२	४२	नसीरपुर
४३	४३	नियावन खास
४४	४४	कनवारा कला
४५	४५	नसीरपुर गन्धपा
४६	४६	बिजवां
४७	४७	शिवउरी डीह सिसवार
४८	४८	हरदासपुर
४९	४९	अलावर
५०	५०	कमसरी
५१	५१	बाकी
५२	५२	सराय मुझरे
५३	५३	परसा
५४	५४	मखदूपुर
५५	५५	मोहनपुर (जलापुर कवारी)
५६	५६	ऐमा
५७	५७	बीरपुर
५८	५८	आमलख
५९	५९	सुबकर

जमानिया ग्रुप

१	१	जमानिया

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ९० एल० ए०--८४५ ।